

Fifteenth Lok Sabha
XV Session (05/12/2013 to 21/02/2014)

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुस्वार, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक)

संख्या 336

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री मुरारीलाल सिंह, लोक सभा के वर्तमान सदस्य; श्रीमती गुरबिंदर कौर बरार, सातवीं लोक सभा की सदस्य; श्री आर०पी० सारंगी, छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य; श्री मोहन सिंह, दसवीं, बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य तथा राज्य सभा के वर्तमान सदस्य; श्री राम नरेश कुशवाहा, छठी लोक सभा के सदस्य; श्री मोहन धारिया, पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य; डॉ० नितीश सेनगुप्ता, तेरहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री एच०पी० सिंह, बारहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया—

(एक) 21 से 24 सितम्बर, 2013 को नैरोबी, केन्या में वेस्टगेट मॉल पर हुए आतंकी हमले में चार भारतीय राष्ट्रिकों समेत 67 व्यक्तियों की मृत्यु और छह अन्य भारतीय राष्ट्रिकों के घायल होने।

(दो) 27 सितम्बर, 2013 को मुंबई मझगांव क्षेत्र में एक बहु-मंजिला इमारत के ध्वस्त होने के कारण 61 व्यक्तियों की मृत्यु।

- (तीन) 13 अक्टूबर, 2013 को उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में फाइलीन चक्रवात के कारण 23 व्यक्तियों की मृत्यु।
- (चार) 22 नवम्बर, 2013 को आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हेलन चक्रवात के कारण 10 व्यक्तियों की मृत्यु।
- (पांच) 14 अक्टूबर, 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के समीप नवरात्रि महोत्सव के दौरान हुई भगदड़ में 111 लोगों के मारे जाने और 100 व्यक्तियों के घायल होने।
- (छह) 3 दिसम्बर, 2013 को बिहार के औरंगाबाद जिले में बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में सात पुलिसकर्मियों की जान जाने।
- (सात) फिलीपींस में महाचक्रवात 'हेयान' के कारण बड़े पैमाने पर हुई बर्बादी और विनाश।

सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

3. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई अतः तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1—20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 (शक)

संख्या 337

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने डॉ॰ नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के निधन के बारे में सभा को सूचित किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने डॉ॰ मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की:—

- (i) श्री सुशीलकुमार शिंदे
- (ii) श्रीमती सुषमा स्वराज
- (iii) श्री मुलायम सिंह यादव
- (iv) श्री दारा सिंह चौहान
- (v) श्री शरद यादव
- (vi) प्रो॰ सौगत राय
- (vii) श्री टी॰के॰एस॰ इल्लेंगोवन
- (viii) श्री बसुदेव आचार्य
- (ix) श्री भर्तृहरि महताब
- (x) श्री अनंत गंगाराम गीते
- (xi) श्रीमती सोनिया गांधी

(xii) डॉ० संजीव गणेश नाईक

(xiii) डॉ० एम० तम्बिदुरई

(xiv) श्री गुरुदास दासगुप्त

(xv) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह

अध्यक्ष ने डॉ० नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक व्यक्त किया।

डॉ० नेल्सन मंडेला की आत्मा की शांति के लिए सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई अतः तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 21—40 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

पूर्वाह्न 11.48 बजे

(लोक सभा सोमवार, 9 दिसम्बर, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2013/18 अग्रहायण, 1935 (शक)

संख्या 338

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री मनोरंजन सूर के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और दोपहर 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 42—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा स्वदेश में विकसित अपने पहले इंटर-प्लेनेटरी प्रॉब “मंगलयान” को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए जाने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को बधाई दी।

अपराहन 12.02 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पर रखे गए:—

- (1) (एक) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) प्रतिभूति विधि (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 9) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 11) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (क) (एक) ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

*अपराहन 2.01 बजे

- (दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- * (7) (एक) मुर्मुगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुर्मुगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) मुर्मुगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) मुर्मुगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- * (8) (एक) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (चार) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(9)(एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (चार) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(10)(एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (चार) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- * (11) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- * (12) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (चार) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- * (13) (एक) वी० ओ० चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तुतीकोरिन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वी० ओ० चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तुतीकोरिन के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- * (14) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (चार) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(15) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(16) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(17) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास (पेंशन निधि न्यास), मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मुम्बई पत्तन न्यास (पेंशन निधि न्यास), मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(18) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकांनि 504(अ) जो 24 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (आवासों का आबंटन) संशोधन विनियम, 2013 का अनुमोदन किया गया है।

- (दो) सांकांनि 536(अ) जो 8 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2013 का अनुमोदन किया गया है।
- (तीन) सांकांनि 537(अ) जो 8 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) (संशोधन) विनियम, 2013 का अनुमोदन किया गया है।
- (चार) सांकांनि 674(अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2013 का अनुमोदन किया गया है।
- (19) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट), विशाखापत्तनम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकारी समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट), विशाखापत्तनम का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (20) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (1) का०आ० 3423(अ) जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची I में और संशोधन किए गए हैं।
 - (2) का०आ० 2901(अ) जो 24 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची II में और संशोधन किए गए हैं।
- (21) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 7 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 535(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2013 जो 12 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 540(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) ऑल इंडिया हैण्डलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया हैण्डलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (27) (एक) रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 2013 जो 10 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 213 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (30) संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) राष्ट्रपति द्वारा 16 सितम्बर, 2013 को प्रख्यापित प्रतिभूति विधि (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 9)।
- (दो) राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर, 2013 को प्रख्यापित संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनःसमायोजन (तीसरा) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 10)।
- (तीन) राष्ट्रपति द्वारा 28 सितम्बर, 2013 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 11)।
- (31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (32) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) का०आ० 1961 (अ) जो 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 2361 (अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 235(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का०आ० 2317 (अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1192(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का०आ० 2318 (अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का०आ० 2319 (अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छह) का०आ० 2320 (अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सात) का०आ० 2321 (अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2249(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (आठ) का०आ० 2322 (अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (नौ) का०आ० 2323 (अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दस) का०आ० 2021 (अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के झांसी-उई खंड के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 2221 (अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के होस्पेट-चित्रदुर्ग खंड के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 2227 (अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1515(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तेरह) का०आ० 2229 (अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा-यमुनानगर-साहा-बरवाला-पंचकुला खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 2325 (अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कुट्टीपुरम-एड्डुपल्ली खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 2326(अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-संबलपुर खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (सोलह) का०आ० 2425 (अ) जो 8 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 (लुधियाना-तलवंडी खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 2594 (अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के

हजारीबाग-रांची खंड के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

- (अठारह) का०आ० 2491 (अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के दिल्ली-आगरा खंड के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (उन्नीस) का०आ० 2606 (अ) जो 26 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै से कन्याकुमारी खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 2660(अ) जो 2 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 468(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कीस) का०आ० 2661(अ) जो 2 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1075(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बाइस) का०आ० 2682(अ) जो 5 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के झांसी-उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश खंड और उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा से लखनाडोन खंड के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (तेइस) का०आ० 2736(अ) जो 10 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2021(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौबीस) का०आ० 2798(अ) जो 16 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 413(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) का०आ० 2825(अ) जो 20 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 467(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (छब्बीस) का०आ० 2921(अ) जो 26 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (जोबई-मेघालय/असम सीमा खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (सत्ताइस) का०आ० 2926(अ) जो 27 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर से जम्मू बाईपास के अंत तक के खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (33) चेन्नई एन्वायरमेन्टल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (34) चेन्नई एन्वायरमेन्टल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सा०का०नि० 616(अ) जो 10 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा०का०नि० 699(अ) जो 22 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) तदर्थ छूट आदेश संख्या 1/1/2013 दिनांक 17 सितम्बर, 2013, जिसका आशय बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड राज्य में होटल अथवा रेस्तरां द्वारा 17 सितम्बर, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान प्रदान की गई विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं को सेवाकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(36) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

- (एक) सांकांनिं 581(अ) जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वर्तमान सनसेट समीक्षा का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग और चीनी ताइपे में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित शीर्ष 8523 के अंतर्गत आने वाले डिजिटल वर्सटाइल डिस्क-रिकार्डेबल के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 22 जुलाई, 2014 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनिं 582(अ) जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन से स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड के हाट रोलड फ्लैट प्रोडक्ट (अधिकतम चौड़ाई 1605 मि॰मी॰ तक) के सभी आयातों पर दिनांक 4.1.2013 की अधिसूचना सं॰ 1/2013-सीमा शुल्क (एसजी) द्वारा लगाए गए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क को निर्धारित शुल्क के रूप में अभिपुष्ट करना है, जिसकी अवधि 4.1.2013 से प्रारंभ होकर 27.7.2013 तक (जिसमें ये दोनों तारीखें शामिल हैं) होगी और इसकी दर 20 प्रतिशत होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनिं 599(अ) जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम परक्लोरेट के आयात पर अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए उसमें विनिर्दिष्ट दर से प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनिं 600(अ) जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित जिंक ऑक्साइट के आयात पर सनसेट समीक्षा में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर और 5 वर्ष की अवधि के लिए उसमें विनिर्दिष्ट दर से प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पाँच) सांकांनि 679(अ) जो 10 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं सहायक शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई गई प्रतिपाटन जांच के अंतिम परिणाम के अनुसरण में 5 वर्ष की अवधि के लिए यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित सेफाड्रॉक्सिल मोनोहाइड्रेड औषधि की प्रचुर मात्रा के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनि 680(अ) जो 10 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं सहायक शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम परिणाम के अनुसरण में 5 वर्ष की और अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित डकटाइल आयरन पाइपों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनि 696(अ) जो 21 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कोरिया आर पी में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित मैथिलीन क्लोराइड के आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनि 698(अ) जो 22 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह उपबंध किया गया है कि मैसर्स शीनवे कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक) के माध्यम से मेसर्स फोशन क्वियांगबियाओ सेरेमिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) द्वारा सीएचटी 6907 अथवा 6908 अथवा 6914 के अंतर्गत आने वाली विट्रिफाइड/पोर्सलिन टाइलों के सभी आयात, जो दिनांक 10 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं 35/2012-सीशु (एडीडी) के अनुसरण में अनंतिम निर्धारण के अधधीन थे, अंततः 155 रु० प्रति वर्ग मीटर के प्रतिपाटन शुल्क के भुगतान पर आकलित किए जाएंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनि 710(अ) जो 28 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं सहायक शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम परिणाम के अनुसरण में

5 वर्ष की और अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित 'पैरासिटामोल' के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क का उदग्रहण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) सांकायिक 635(अ) जो 17 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क के उपबंधों के अंतर्गत वैधानिक दर में संशोधन करके (क) आभूषणों और उनके हिस्सों, जो कि बहुमूल्य धातुओं के बने हों या जिन पर बहुमूल्य धातुओं की परत चढ़ी हो, और (ख) स्वर्णकारों या रजतकारों के पात्र और उनके हिस्से, जो कि बहुमूल्य धातु से बने हों या जिन पर बहुमूल्य धातु की परत चढ़ी हों, पर आधारभूत सीमा शुल्क को बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (37) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकायिक 587(अ) जो 30 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकायिक 628(अ) जो 12 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकायिक 666(अ) जो 1 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 10/97-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (38) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकायिक 586 (अ) जो 30 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकायिक 630 (अ) जो 13 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या

12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सा०कार्नि० 678 (अ) जो 10 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 53/2011-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा०कार्नि० 713 (अ) जो 30 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (39) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सा०कार्नि० 631(अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर वापसी नियम, 1995 में संशोधन किए गए हैं ताकि गेहूँ की शुल्क वापसी को अपात्र बनाया जा सके तथा दूध, दूध उत्पादों, छेना और इसके उत्पादों पर लगाई गई शुल्क वापसी की अपात्रता को समाप्त किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह संशोधन 21.9.2013 से प्रभावी है।
- (दो) सा०कार्नि० 632(अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21.9.2013 से शुल्क वापसी की अखिल औद्योगिक दरों को अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

6. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें नागालैंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड से निर्वाचित सदस्य श्री सी०एम्० चांग द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने संबंधी दिनांक 19 सितम्बर, 2013 का एक पत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने 21 सितम्बर, 2013 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

7. विधेयकों पर अनुमति

- (एक) महासचिव ने 6 अगस्त, 2013 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 7 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

- (1) कंपनी विधेयक, 2013;
 - (2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2013;
 - (3) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2013;
 - (4) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2013;
 - (5) संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2013;
 - (6) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013; और
 - (7) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2013
- (दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—
- (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013;
 - (2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013;
 - (3) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013;
 - (4) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2013;
 - (5) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2013; और
 - (6) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

8. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने लोक लेखा समिति (2013-14) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'रक्षा सम्पदा प्रबंधन' के बारे में 89वां प्रतिवेदन।
- (2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित 'परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के क्रियाकलाप' के बारे में 90वां प्रतिवेदन।
- (3) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'आदर्श सहकारी आवासीय सोसाइटी' के बारे में 91वां प्रतिवेदन।

9. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोविन्द चन्द्रा नास्कर ने “केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीटीडी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन” के बारे में 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी समिति के 47वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 51वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि मंत्रालय (कृषि सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी समिति के 46वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 52वां प्रतिवेदन।
- (3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यकी विभाग) की अनुदानों की मांगों से संबंधित पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार को इष्टतम करने के बारे में कृषि संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन (2011-12) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 53वां प्रतिवेदन।
- (4) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी समिति के 48वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

*प्रतिवेदन, लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 17क (1) के अंतर्गत 12 अक्टूबर, 2013 को जब सभा सत्र में नहीं थी, अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

- (5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी समिति के 49वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

12. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्त सेवाएं और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 75वां प्रतिवेदन[§]।
- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 76वां प्रतिवेदन[§]।
- (3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 77वां प्रतिवेदन[§]।
- (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 78वां प्रतिवेदन[§]।
- (5) 'बैंकिंग क्षेत्र में नए लाइसेंसों के बारे में नीति' विषय पर 79वां प्रतिवेदन[§]।
- (6) 'परिचालन में जाली करेंसी नोट' के बारे में 79वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 80वां प्रतिवेदन।
- (7) 'महंगाई और मूल्य वृद्धि' के बारे में छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 81वां प्रतिवेदन।
- (8) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 71वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 82वां प्रतिवेदन।

[§] 75वें से 79वें प्रतिवेदन, निदेश 71क (1) के अंतर्गत 18 अक्टूबर, 2013 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया। इन प्रतिवेदनों की अधिप्रमाणित प्रतियां 25 अक्टूबर, 2013 को राज्य सभा के सभापति को सूचना के लिए अग्रेषित की गईं।

अपराहन 12.12 बजे

13. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यों, मैं श्री पी०सी० चाको से दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच करने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करने से पहले सभा को बताना चाहती हूँ कि मुझे श्री यशवंत सिन्हा से संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने समिति में चर्चा के दौरान किए गए कतिपय नियमों के उल्लंघन के बारे में कतिपय आपत्तियां उठाने हेतु मेरी अनुमति मांगी है। मुझे श्री गुरुदास दासगुप्त और श्री कल्याण बनर्जी से भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कतिपय आपत्तियां उठाने हेतु मेरी अनुमति मांगने का संदेश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में, मैं इस संयुक्त समिति का गठन किए जाने हेतु प्रस्ताव में दिए गए विचारार्थ विषयों का उल्लेख करना चाहती हूँ जो 24 फरवरी, 2011 को इस सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और जो श्री यशवंत सिन्हा द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में संगत भी प्रतीत होता है। उनमें से एक विषय यह भी था कि यह संयुक्त समिति इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

इसलिए, संयुक्त संसदीय समिति के गठन हेतु प्रस्ताव में अंतर्विष्ट सभा के निर्देशों के अनुसार और प्रक्रिया नियमों के नियम 279 और 280 में निर्धारित उपबंधों तथा अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देशों के निर्देश 71क के अनुसरण में समिति से सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी उल्लेख करना चाहती हूँ कि नियमों में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसमें किसी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विधिवत् रूप से स्वीकार किए गए प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उस पर चर्चा शुरू करने अथवा आपत्तियां उठाने की अनुमति हो।

इसलिए मैं संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के प्रक्रम में कोई वाद-विवाद शुरू करने अथवा आपत्तियां उठाए जाने की अनुमति देना नहीं चाहती।”

14. दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन

श्री पी०सी० चाको ने दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन[®] और कार्यवाही सारांश[®] प्रस्तुत किया।

[®] प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश के निर्देश 71क (1) के अंतर्गत 29 अक्टूबर, 2013 को जब सभा सत्र में नहीं थी, अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किए गए और अध्यक्ष लोक सभा, ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया। प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश उसी दिन राज्य सभा के सभापति की सूचना के लिए अग्रेषित किए गए।

15. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

- (1) महिला अशिस्ट निरूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012 के बारे में 258वां प्रतिवेदन।
- (2) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013 के बारे में 259वां प्रतिवेदन।

16. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने महिला अशिस्ट निरूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012 और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013 के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० संजय जायसवाल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखा:—

- (1) भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2013 के बारे में 73 वां प्रतिवेदन#।
- (2) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2013 के बारे में 74वां प्रतिवेदन#।
- (3) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 75वां प्रतिवेदन।
- (4) एड्स नियंत्रण विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 76वां प्रतिवेदन।
- (5) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 77वां प्रतिवेदन।

** ये प्रतिवेदन क्रमशः 24 सितम्बर और 27 नवम्बर, 2013 को माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किए गए थे तथा इन्हें उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया गया।

ये प्रतिवेदन 20 नवम्बर, 2013 को माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किए गए थे तथा इन्हें उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया गया।

18. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

- (1) राजस्थान विधान परिषद् विधेयक, 2013 के बारे में 63वां प्रतिवेदन।
- (2) विधिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013 के बारे में 64वां प्रतिवेदन।
- (3) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 के बारे में 65वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.17 बजे

19. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री पबन सिंह घाटोवार 9 दिसम्बर, 2013 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.19 बजे

20. समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से प्राक्कलन समिति की शेष अवधि के लिए श्री जगदीश शर्मा जिन्हें लोक सभा की सदस्यता से निरर्हित कर दिया गया है, के स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.20 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.00 बजे पुनःसमवेत हुई)

अपराहन 2.00 बजे

21. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले

विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा ओडिशा के सम्बलपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ० विनय कुमार पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों और मापदंडों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री इज्यराज सिंह द्वारा राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फ्लोराईडयुक्त पानी पीने के कारण विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों की समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एम० कृष्णास्वामी द्वारा टिंडीवनम से नागरी और तिरुवन्नामलाई के बीच नई रेल लाइनों के निर्माण कार्य में तीव्रता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री सतपाल महाराज द्वारा हाल ही में प्राकृतिक आपदा से तबाह हुए उत्तराखंड राज्य में जनता को पर्याप्त मुआवजा देने और राहत तथा पुनर्वास कार्य किए जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री शिवराम गौडा द्वारा विषम परिस्थितियों के चलते अनार के उत्पादन में आई कमी के कारण परेशान उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री माकनसिंह सोलंकी द्वारा मध्य प्रदेश के बरवानी में केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन निर्माण के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री नलिन कुमार कटील द्वारा कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी०सी० रोड और सूरथकल के बीच सड़क को चार लेन वाली सड़क बनाने संबंधी निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रामकिशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले के सभी गांवों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित करने और समेकित कार्ययोजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री कपिल मुनि करवारिया द्वारा उत्तर प्रदेश में दयालपुर रेलवे स्टेशन को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा पूर्व-मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत सोनपुर रेलवे मंडल में महेशखुंट के समीप स्थित रेल समपार पर एक सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल के पूर्व और पश्चिम मिदनापुर में जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण संबंधी घटल मास्टर प्लान को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा देश में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋणों को स्वीकृत किए जाने और ऐसे सभी ऋणों पर उन्हें ब्याज की पूरी छूट का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री पी० लिंगम द्वारा चेन्नई-कोल्लम रेलमार्ग पर रेल लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने के कार्य को जल्दी पूरा करने हेतु विशेष अनुदान आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री जोस के० मणि द्वारा पश्चिमी घाट के छोटे और सीमान्त किसानों के जीवनयापन और आवास संबंधी अधिकारों का हनन करने वाले पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने के लिए प्रस्तावित नए दिशानिर्देशों संबंधी अधिसूचना को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.02 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2013 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2013/19 अग्रहायण, 1935 (शक)

संख्या 339

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने मानव अधिकार दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 62—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नॉर्थ इस्टर्न हैण्डिक्राफ्ट्स एंड हैडलूमस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (दो) नॉर्थ इस्टर्न हैण्डिक्राफ्ट्स एंड हैडलूमस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013 जो 10 जुलाई, 2013 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/7/2013/एचपी-आई/स्था०/2106-2108 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013 जो 10 जुलाई, 2013 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/14/2003/एचपी-आई/स्था०/2009-2111 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013 जो 10 जुलाई, 2013 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/06/2113/एचपी-आई/स्था०/2112-2114 में प्रकाशित हुए थे।
- (6) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का तीसरा प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में की-गई-कार्यवाही ज्ञापन।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) नेशनल सफाई कर्मचारीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल सफाई कर्मचारीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरामेडिकल संवर्ग निरीक्षक (रेडियोग्राफर) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2013, जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांकाणि 617(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर ट्रांसपोर्ट और मोटर मेकेनिक संवर्ग, समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2013, जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 475(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (10) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकाणि 618(अ) जो 11 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 14 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या सांकाणि 81(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (दो) सांकाणि 619(अ) जो 11 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 14 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या सांकाणि 81(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (11) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स को-ऑपरेटिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (12) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स को-ऑपरेटिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1994-1995 से 2012-2013 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अंतर्गत पादप (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2013, जो 26 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 2919(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 31 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना संं कांआ 3293(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (15) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री ए०के०एस० वियजन ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'गैस का आबंटन और मूल्य निर्धारण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2013-14) का 19वां प्रतिवेदन *(15वीं लोक सभा)।
- (2) 'शहर गैस वितरण परियोजनाएं' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 13वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन।
- (3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-14)' के बारे में 16वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

6. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० रतन सिंह अजनाला ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

* 19वां प्रतिवेदन, अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क(1) के अंतर्गत 18 अक्टूबर, 2013 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

- (1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 242वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 252वां प्रतिवेदन।
- (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 244वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 253वां प्रतिवेदन।
- (3) मद्रास उर्वरक लिमिटेड की विनिर्माण सुविधाओं की क्षमता में वृद्धि और विस्तार के बारे में समिति के 248वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 254वां प्रतिवेदन।
- (4) उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में समिति के 249वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 255वां प्रतिवेदन।
- (5) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 243वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 256वां प्रतिवेदन।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे—
 - (एक) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 166वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (3) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.08 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण.....मुझे अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, मैं सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं रखने की स्थिति में नहीं होऊंगी..... यदि सभा में व्यवस्था नहीं है, तो मैं सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं रखने की स्थिति में नहीं होऊंगी।”

अपराह्न 12.10 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 11 दिसम्बर, 2013 के
पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2013/20 अग्रहायण, 1935 (शक)

संख्या 340

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में भीषण टंड के कारण अनेक बालकों सहित लगभग साठ लोगों के कथित रूप से मारे जाने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनःसमवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 82—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2013 जो 24 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 3242(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2012 जो 28 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 731(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) सा०का०नि० 303(अ) जो 13 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सउदी अरब में निवास कर रहे भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण-पत्र हेतु शुल्क माफी के बारे में है।
- (3) तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

तेरहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. विवरण संख्या 53 | तीसरा सत्र, 2000 |
| 2. विवरण संख्या 34 | दसवां सत्र, 2002 |
| 3. विवरण संख्या 32 | बारहवां सत्र, 2003 |

चौदहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 4. विवरण संख्या 26 | पांचवा सत्र, 2005 |
| 5. विवरण संख्या 28 | छठा सत्र, 2005 |
| 6. विवरण संख्या 24 | नौवां सत्र, 2006 |
| 7. विवरण संख्या 24 | दसवां सत्र, 2007 |
| 8. विवरण संख्या 21 | बारहवां सत्र, 2007 |

- | | | |
|-----|-----------------|----------------------|
| 9. | विवरण संख्या 21 | तेहरवां सत्र, 2008 |
| 10. | विवरण संख्या 19 | चौदहवां सत्र, 2008 |
| 11. | विवरण संख्या 16 | पंद्रहवां सत्र, 2009 |

पंद्रहवीं लोक सभा

- | | | |
|-----|-----------------|----------------------|
| 12. | विवरण संख्या 17 | दूसरा सत्र, 2009 |
| 13. | विवरण संख्या 15 | तीसरा सत्र, 2009 |
| 14. | विवरण संख्या 15 | चौथा सत्र, 2010 |
| 15. | विवरण संख्या 12 | पांचवां सत्र, 2010 |
| 16. | विवरण संख्या 11 | छठा सत्र, 2010 |
| 17. | विवरण संख्या 9 | सातवां सत्र, 2011 |
| 18. | विवरण संख्या 9 | आठवां सत्र, 2011 |
| 19. | विवरण संख्या 8 | नौवां सत्र, 2011 |
| 20. | विवरण संख्या 7 | दसवां सत्र, 2012 |
| 21. | विवरण संख्या 5 | ग्यारहवां सत्र, 2012 |
| 22. | विवरण संख्या 4 | बारहवां सत्र, 2012 |
| 23. | विवरण संख्या 2 | तेरहवां सत्र, 2013 |
| 24. | विवरण संख्या 1 | चौदहवां सत्र, 2013 |

- (4) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), राम नगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), राम नगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो दानिशा टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो दानिशा टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुडा का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (19) (एक) हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडांकी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडांकी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का 63वां वार्षिक प्रतिवेदन।
- (दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।
- (24) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2013 जो 17 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 691(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2013 जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 620(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (25) (एक) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिन्दी, आगरा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिन्दी, आगरा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के बीच शैक्षणिक सहभागिता के मानकों का संवर्धन और उनको बनाए रखना) विनियम, 2012 जो 27 सितम्बर, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-1/2011(सीपीपी-II) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (33) भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत यात्रियों के लोक वहन के लिए भूमिगत रेल का खोला जाना (संशोधन) नियम, 2013 जो 25 अक्टूबर 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 706(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री उदय प्रताप सिंह का दिनांक 27 नवम्बर, 2013 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और यह कि उन्होंने उनका त्यागपत्र 10 दिसम्बर 2013 से स्वीकार कर लिया है।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री पी० चिदम्बरम ने वर्ष 2013-14 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.05 बजे

9. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण, मुझे से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, मैं सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं रखने की स्थिति में नहीं होऊंगी चूंकि सभा में व्यवस्था नहीं है, अतः मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाने के लिए विवश हूँ।

चूंकि सभा में व्यवस्था नहीं थी, सूचनाएं सभा के समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.07 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री के० सुधाकरण द्वारा केरल के कन्नूर में रक्षा विभाग का एक पेंशन संवितरण कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के पुष्कर और मेड़ता शहरों के बीच सीधा रेल-सम्पर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (3) श्री के० जयप्रकाश हेगड़े द्वारा कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड द्वारा कर्नाटक के कुद्रेमुख में ईको-टूरिज्म परियोजना की स्थापना के लिए सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश के करीमनगर में एक मिनी पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (5) श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र रसोई गैस ग्राहकों को प्रत्यक्ष नकदी अंतरण योजना का लाभ पहुंचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा देश में विशेषकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए झुग्गी कलस्टर्स का विकास करने और राजीव आवास योजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री एस० एस० रामसुब्बू द्वारा पृथक मत्स्यन मंत्रालय बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कुण्डलिया सिंचाई परियोजना और मोहनपुरा सिंचाई परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा यूनिट रन कैंटीनों के कर्मचारियों को सी०एस०डी० कर्मचारियों के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 और 75 की तत्काल मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती दर्शना जरदोश द्वारा देश में विशेषकर गुजरात के सूरत में डाकखानों के जर्जर भवनों की मरम्मत करने और डाक विभाग में खाली पदों को भरने का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किसानों से सरकारी दर पर कृषि उत्पादों की सम्पूर्ण मात्रा की समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए खरीद प्रक्रिया की निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिनांक 1.1.2004 के बाद स्थापित नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भर्ती किए गए कर्मचारियों की पेंशन योजना की मोबिलिटी/पोर्टेबिलिटी और पूर्व सेवा की अवधि को शामिल किए जाने संबंधी मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (14) श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में भारी बारिश के कारण परेशान लोगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जमूहार-पुनपुन सड़क पर पुनपुन नदी के ऊपर एक पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) डॉ० रत्ना डे द्वारा देश में क्षय रोग की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री अब्दुल रहमान द्वारा तमिलनाडु के वेल्लोर शहर में साथुवाचेरी में पैदल यात्रियों के आवागमन को सुकर बनाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 पर एक भूमिगत पैदल पारपथ बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री एस० सेम्मलई द्वारा तमिलनाडु के सलेम शहर को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजना के दूसरे चरण में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री राजू शेटी द्वारा कर्नाटक में अल्ममाती बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.07 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा गुस्वार, 12 दिसम्बर, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2013/21 अग्रहायण, 1935 (शक)

संख्या 341

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनःसमवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 102—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेटेरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेटेरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओशन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओशन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुडगांव के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (17) (एक) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (19) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (20) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (क) (एक) वैपकॉस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) वैपकॉस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (ख) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (क) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) एनएचडीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (ख) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

- (ग) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) वर्ष 2013-2014 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के परिणामी बजट* के शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (24) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2013 जो 1 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-3(2)/रेजि०-जे० (अमेंड)/2013/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं, जो 30 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/64/2013 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं, जो 30 सितम्बर, 2013 के

*परिणामी बजट 21.03.2013 को सभा पटल पर रखा गया था।

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 104/33/एकाउंट्स में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (27) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं, जो 26 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2013 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (28) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकाणिं 564(अ) जो 21 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या सांकाणिं 490(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (29) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या बीवाई-ईएल 2013/28 जो 17 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 यथासंशोधित लागत और संकर्म लेखाकार (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 के अनुसरण में दक्षिण भारतीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मृत्यु के कारण उत्पन्न एक रिक्त स्थान के प्रति परिषद 2013 के लिए हुए नए निर्वाचन (उप-चुनाव) के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (30) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (31) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2013 जो 31 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणिं 719(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (32) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेलवे रेड टैरिफ (संशोधन) नियम, 2013 जो 19 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणिं 740(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

4. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री के०डी० देशमुख का दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और यह कि उन्होंने उनका त्यागपत्र 12 दिसम्बर, 2013 से स्वीकार कर लिया है।

5. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने प्राक्कलन समिति (2013-14) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'प्रोजेक्ट ऐरो का कार्यानिष्पादन' विषय के बारे में 27वां प्रतिवेदन।
- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय चिकित्सा परिषद्' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2004-05) के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।
- (3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'खाद्यान्नों की खरीद और भण्डारण' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2012-13) के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी० करूणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति (2012-13) के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2013-14) का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) ग्रामीण विकास मंत्री ने भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—
 - (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने वर्ष 2013-14 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.06 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2013

अपराहन 12.07 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी जिले के सिवनी क्षेत्र के विभिन्न खंडों में रेल अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) श्री एम्के राघवन द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर वेंगलाम से इदिमुझिकल के बीच कालीकट बाईपास के शेष भाग के निर्माण कार्य को शीघ्र अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री केपी धनपालन द्वारा ईपीएफ पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में नालगोंडा जिले के मिर्यालगुडा शहर में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री सज्जन वर्मा द्वारा एक महिला की कथित रूप से जासूसी किए जाने के मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा असम में पूर्व-पश्चिम गलियारा परियोजना के तहत कछाड़ जिले से दीमा हसाऊ जिले तक सड़क के निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स जैसा संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री महेन्द्र कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के मजदूरों की समस्याओं को सुलझाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री यशवंत लागुरी द्वारा ओडिशा में ककराहाड, बांसपाल, बामेबारी के रास्ते डेकानाल से जोडा तक जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री चंद्रकांत खैरे द्वारा महाराष्ट्र सरकार की ईएसआई योजना को राज्य कर्मचारी बीमा निगम को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.07 बजे

13. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

माननीय सदस्यों, जैसा आपको विदित है कि वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को चर्चा और मतदान के लिए आज की कार्य सूची में शामिल किया गया है। मैंने अनुपूरक कार्य सूची जारी करके वर्ष 2013-14 के लिए रेलवे से संबंधित अनुपूरक मांगों पर आज चर्चा और मतदान की अनुमति दी है। संवैधानिक अपेक्षानुसार लोक सभा द्वारा अनुपूरक मांगों और

संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किए जाने के बाद विनियोग विधेयकों को राज्य सभा के विचार हेतु भेजा जाएगा।

माननीय सदस्यों, मुझे मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं जिन्हें सभा के समक्ष लाना मेरा कर्तव्य है।

माननीय सदस्यगण इस बात को समझते हैं कि यह सुनिश्चित करना भी मेरा कर्तव्य है कि वित्तीय कार्य का समय से निपटारा हो। अतः मैं निदेश 2 के अधीन यह निदेश देती हूँ कि सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं लाए जाने से पूर्व, यह सभा अनुपूरक मांगों से संबंधित मर्दानों को ले।

अपराह्न 12.08 बजे

14. (एक) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2013-14

(दो) सांविधिक संकल्प—स्वीकृत

लिया गया समय: 04 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मर्दानों पर एक साथ चर्चा की गई:—

(एक) वर्ष 2013-14 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं० 1, 4, 5, 7 से 12, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 31 से 34, 36, 39, 42 से 44, 47 से 49, 51, 53, 55 से 61, 64, 66, 67, 69, 73, 74, 76, 83, 84, 88, 89, 91, 93 से 97, 100 से 102, 104 और 105;

(दो) सांविधिक संकल्प

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया निम्नलिखित संकल्प स्वीकृत हुआ:—

“यह सभा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क के अनुसरण में 17 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 44/2013-सी०शु० [दिनांक 17 सितम्बर, 2013 का सा०कार्गि० 635 (अ)] जिसका आशय सांविधिक दर में संशोधन कर सीटीएच 7113 अथवा 7114 के अंतर्गत आने वाले (क) बेशकीमती धातु अथवा बेशकीमती धातु जड़ित धातु से निर्मित आभूषण सामग्री और इसके भाग; और (ख) बेशकीमती धातु अथवा बेशकीमती धातु जड़ित धातु से निर्मित आभूषण सामग्री स्वर्णकार की सामग्री अथवा चाँदी आभूषण निर्माता के जेवर और उसके भाग पर मूल सीमा-शुल्क (बीसीडी) की दर 10% से बढ़ाकर 15% करना है, का अनुमोदन करती है।”

वर्ष 2013-14 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की सभी अनुपूरक माँगों सं० 1, 4, 5, 7 से 12, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 31 से 34, 36, 39, 42 से 44, 47 से 49, 51, 53, 55 से 61, 64, 66, 67, 69, 73, 74, 76, 83, 84, 88, 89, 91, 93 से 97, 100 से 102, 104 और 105 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) की अनुदानों की अनुपूरक माँगों (सामान्य) 2013-14 की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

15. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2013

16. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2013

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 12.14 बजे

17. अनुदानों की अनुपूरक माँग (रेल)—2013-14

लिया गया समय: 02 मिनट

वर्ष 2013-14 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की माँग संख्या 16 वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की माँगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

18. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) (संख्यांक 4) विधेयक, 2013

19. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) (संख्यांक 4) विधेयक, 2013

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

20. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण, मुझे..... से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं..... जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊँगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़ा होना है ताकि..... चूँकि सभा में व्यवस्था नहीं है, अतः मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं ला पाऊँगी।

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

अपराह्न 12.18 बजे

*(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा गुस्वार, 13 दिसम्बर, 2013 के
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2013/22 अग्रहायण, 1935 (शक)

संख्या 342

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की बारहवीं बरसी के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री आशुतोष लॉ तथा आठवीं, नौवीं, ग्यारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार के निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं तथा उन सुरक्षाकर्मियों, जिन्होंने आतंकवादी हमले को निष्फल करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

दोनों सदस्य, जिनके नाम से तारांकित प्रश्न सं० 121 प्रस्तुत किया गया था, अनुपस्थित थे। मंत्री ने सूचित किया कि प्रश्न के उत्तर से संबंधित वक्तव्य पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.14 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न सं० 122—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारंकित प्रश्न

अतारंकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2012-2013 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे—
 - (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेन्ज), बंगलौर।
 - (दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा), वडोदरा।
 - (तीन) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (उत्कल यूनिवर्सिटी), भुवनेश्वर।
 - (चार) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट), चंडीगढ़।
 - (पांच) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़।
 - (छह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ), दिल्ली।
 - (सात) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (जेएसएस इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च), धारवाड़।
 - (आठ) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (गांधीग्राम इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर ट्रस्ट), डिंडीगुल।
 - (नौ) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी), गुवाहाटी।
 - (दस) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ), लखनऊ।
 - (ग्यारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पटना यूनिवर्सिटी), पटना।

- (बारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स), पुणे।
- (तेरह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ जेनरल एण्ड एप्लाइड जियोग्राफी, डॉ॰ हरिसिंह गौड़ यूनिवर्सिटी), सागर।
- (चौदह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी), शिमला।
- (पंद्रह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर), श्रीनगर।
- (सोलह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ केरल), तिरुवनंतपुरम।
- (सत्रह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी), उदयपुर।
- (अठारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (आन्ध्र यूनिवर्सिटी), विशाखापत्तनम।
- (2) उल्लिखित पोपुलेशन रिसर्च सेंट्रों के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) इंडियन रेनेवल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडियन रेनेवल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रेनेवल इनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रेनेवल इनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सेंटर फॉर विंड इनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर विंड इनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) जनजातीय विकास और प्रशासन के लिए सुशासन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का विशेष प्रतिवेदन, मई, 2012।
- (दो) जनजातीय विकास और प्रशासन के लिए सुशासन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विशेष प्रतिवेदन, मई, 2012 पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (9) (एक) ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे—
- (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम।

- (चार) डॉ० अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़।
- (पांच) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, लखनऊ।
- (छह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई।
- (सात) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद।
- (आठ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर।
- (नौ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, पूसा।
- (दस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी।
- (ग्यारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर।
- (बारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद।
- (तेरह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर।
- (चौदह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, शिमला।
- (पंद्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई।
- (सोलह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बंगलौर।
- (सत्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल।
- (अठारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर।
- (उन्नीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुरदासपुर।

- (बीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, (कलकत्ता) सोसायटी, कोलकाता।
- (इक्कीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग।
- (बाईस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, लखनऊ।
- (12) उल्लिखित संस्थानों के वर्ष 2012-13 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) भारतीय तेल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय तेल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (16) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवा संशोधन) नियम, 2013 जो 25 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 704(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (19) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2013 का संख्यांक 20)—पूर्त न्यास और संस्थाओं को छूट पर कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।
- (दो) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2013 का संख्यांक 23)—स्वायत्तशासी निकाय।
- (तीन) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) आयुध निर्माणियां (2013 का संख्यांक 24)—आयुध उपस्कर समूह की निर्माणियों का कार्यनिष्पादन।
- (20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) यूनाइटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूनाइटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) ओरिएंटल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) ओरिएंटल इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) नेशनल इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (21) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) प्रतिची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रतिची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेन्ज, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेन्ज, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (30) शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित विषयों पर संसदीय संयुक्त समिति, दिसम्बर, 2013 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा 5 के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (32) (एक) स्माल इन्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्माल इन्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संस्थागत व्यापार मंचों पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का सूचीकरण) विनियम, 2013 जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2013-14/ 28/6720 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक ब्रॉकर्स एण्ड सब-ब्रॉकर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 27 सितम्बर 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2013-14/ 25/24775 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण तथा अत्ररूजु व्यापार आचरणों का प्रतिषेध) विनियम, 2013 जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2013-14/22/22670 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का वापस खरीदा जाना) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 8 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/18/6384 में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचल फण्ड्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/18/6348 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन तथा प्रकटन अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 26 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2013-14/19/6422 में प्रकाशित हुए थे।
- (34) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का अनुज्ञप्तीकरण) विनियम, 2013 जो 24 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या आईआरडीए/रेना/21/79/2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति (बैठकें) (पहला संशोधन) का विनियम, 2012 के विनियम 3क तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या आईआरडीए/आईएसी/20/78/2013 जो 17 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 मई, 2013 से उसमें उल्लिखित बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (पावती और संदाय की रीति) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 12 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 479(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना और देना) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 20 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 645(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और देना) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 1 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 668(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 681(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 682(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 683(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (37) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकांनि० 646(अ) जो 20 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 12 फरवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या सांकांनि० 89(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) इंडियन इकोनॉमिक सर्विस सेक्शन-इंस्टीट्यूट ऑफ एकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (39) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—
- (एक) श्रेयस ग्रामीण बैंक, अलीगढ़
- (दो) मालवा ग्रामीण विकास बैंक, संगरूर

- (तीन) पांडयन ग्राम बैंक, विरूधुनगर
 (चार) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव
 (पांच) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, मंडी
 (छह) उड़ीसा ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर
 (सात) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर
 (आठ) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल
 (नौ) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग
 (दस) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
 (ग्यारह) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
 (बारह) इल्लैक्वू देहाती बैंक, श्रीनगर
 (तेरह) मरूधर ग्रामीण बैंक, जोधपुर
 (चौदह) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
 (पंद्रह) बिहार ग्रामीण बैंक, बेगुसराय
 (सोलह) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली
 (सत्रह) सतलज ग्रामीण बैंक, भटिंडा
 (अठारह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर
 (उन्नीस) बांगिया ग्रामीण विकास बैंक, बहरामपुर
 (बीस) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर
 (इक्कीस) मेघालय रूरल बैंक, शिलांग
 (बाईस) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मलाप्पुरम
 (तेईस) नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर
 (चौबीस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा
 (पच्चीस) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून
 (छब्बीस) उत्कल ग्रामीण बैंक, बलंगीर
 (सत्ताईस) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

- (अट्ठाईस) आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लखनऊ
- (उनत्तीस) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर
- (तीस) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर
- (इकत्तीस) पुदुवई भजरतीयार ग्राम बैंक, पुदुचेरी
- (बत्तीस) मिजोरम रूरल बैंक, आईजोल
- (तैंतीस) डेकन ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
- (चौत्तीस) जे एंड के ग्रामीण बैंक, जम्मू
- (41) 31 मार्च, 2013 के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम की 43वीं मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2013 जो 25 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 705(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कारपोरेशंस) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 2 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-2014/21/6463 में प्रकाशित हुए थे।

5. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह का दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और यह कि उन्होंने उनका त्यागपत्र 13 दिसम्बर, 2013 से स्वीकार कर लिया है।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित “तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन” के बारे में पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी०सी० चाको ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।
- (2) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 36वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।
- (3) विद्युत मंत्रालय से संबंधित ‘राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन’ के बारे में 41वां प्रतिवेदन।
- (4) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित ‘नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग’ के बारे में 36वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन।
- (5) विद्युत मंत्रालय से संबंधित ‘हाइड्रो सेक्टर का विकास’ के बारे में 43वां प्रतिवेदन।

- (6) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'नेशनल ग्रिड का विकास' के बारे में 37वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

8. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने 'बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 40वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ० रामचन्द्र डोम ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों—2012-2013' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।
- (2) 'भारतीय रेल की नई खानपान नीति-2010' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 18वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

10. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 174वां प्रतिवेदन।
- (2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में इसके 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 175वां प्रतिवेदन।

11. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी०के० बीजू ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2013 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 260वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री पी०के० बीजू ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2013 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

13. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पबन सिंह घाटोवार ने कार्य मंत्रणा समिति का 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने “उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पर्यटन का विकास” के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.07 बजे

15. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013

अपराहन 12.08 बजे

16. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2013, राज्य सभा द्वारा यथापारित

आबंटित समय: 01 घंटा

लिया गया समय: 01 मिनट

शेष समय: 59 मिनट

श्री सुशील कुमार शिंदे की ओर से श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया परंतु व्यवधान के कारण वे अपना भाषण पूरा नहीं कर सके।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराहन 12.09 बजे

17. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण, मुझे..... से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं..... जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊँगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़ा होना है ताकि चूँकि सभा में व्यवस्था नहीं है, अतः मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं ला पाऊँगी।”

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाहन 12.10 बजे स्थगित हुई और अपराहन 1.00 बजे पुनःसमवेत हुई।)

अपराहन 1.00 बजे

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा भी की:—

“माननीय सदस्यगण, मुझे मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इस बात कि क्या इन्हें अनुमति प्रदान की जाए अथवा नहीं, का निर्धारण केवल तभी कर सकती हूँ जब सभा में व्यवस्था होगी। अतः मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने स्थानों पर वापस चलें जाएं....”

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

अपराह्न 1.02 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शंखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013/25 अग्रहायण, 1935 (शक)

संख्या 343

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री शीश राम ओला, लोक सभा के वर्तमान सदस्य और केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने श्री सोमनाथ रथ, आठवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

सभा निधन संबंधी उल्लेख किए जाने के पश्चात् स्थगित हो गई इसलिए तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 141—160 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक)

संख्या 344

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न सं० 162—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) (एक) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डीजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डीजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (तीन) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्मम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्मम का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता और उसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन [खंड I और खंड II (भाग I और II)], लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (12) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 784(अ) जो 20 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2155(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 942(अ) जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 784(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (क) (एक) मेकॉन लिमिटेड, राँची के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मेकॉन लिमिटेड, राँची का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) बिरसा स्टेन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बिरसा स्टेन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (14) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, अधिनियम 1958 की धारा 38 के अंतर्गत प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष(संशोधन) नियम, 2011 जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 37(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत चीनी सीजन 2012-2013 के लिए चीनी का फ़ैक्ट्री-वार उचित और लाभकारी मूल्य जो 22 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 697(अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भाण्डागारण (विकास और विनियमन) प्राधिकरण, चेयरपर्सन एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2013 जो 3 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 669(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 50 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी भाण्डागारण (विकास और विनियमन) प्राधिकरण-वित्तीय एवं प्रबंधकीय शक्तियां नियम, 2010 जो 12 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सांकांनि० 730(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (25) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित जांच केन्द्र) नियम, 2013 जो 5 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 593(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (27) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अधिसूचना संग्रह की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलाॅजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 62 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 3299(अ) जो 1 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (36) (एक) हिमालयन माउंटैनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमालयन माउंटैनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटैनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटैनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (38) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटैनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटैनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (39) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (40) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन विनियम, 2013 जो 7 सितम्बर, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 56 में प्रकाशित हुए थे ।
- (41) (एक) आयोजन समिति कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) आयोजन समिति कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) आयोजन समिति कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (43) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 की धारा 31 के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का पहला परिनियम, 2013 जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 461(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डिक्राफ्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डिक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हैण्डिक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूमस एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूमस एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (49) (एक) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) वुल एण्ड वुलेन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वुल एण्ड वुलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वैज्ञानिक समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2013 जो 28 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 758(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2013 जो 8 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 725(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (59) नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशन लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशन लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (61) (एक) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का० आ० 2494 (अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए “न्यायाधीश” की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (दो) का० आ० 2495 (अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए “न्यायाधीश” की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का० आ० 2995 (अ) जो 3 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए “न्यायाधीश” की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (चार) का० आ० 2996 (अ) जो 3 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए “न्यायाधीश” की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (पाँच) का० आ० 3271 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के

अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए “न्यायाधीश” की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

- (छह) का० आ० 3272 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए “न्यायाधीश” की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (सात) का० आ० 3406 (अ) जो 9 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए “न्यायाधीश” की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (63) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 15 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) का० आ० 3052 (अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नागालैंड राज्य के राज्य क्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (दो) का० आ० 3053 (अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य के राज्य क्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का० आ० 3054 (अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के राज्य क्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (चार) का० आ० 3055 (अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मणिपुर राज्य के राज्य क्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय

अन्वेषण अभिकरण की ओर से विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(पांच) का०आ० 3056(अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(छह) का०आ० 3057(अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(64) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2760(अ) जो 13 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार में श्री राकेश सिंह, संयुक्त सचिव (आईएस-1) को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(66) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2013, जो भारत के राजपत्र में 25 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 656(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षु (दूसरा संशोधन) नियम, 2013, जो भारत के राजपत्र में 27 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 662(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (68) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) (एक) नेशनल ऑयल सीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ऑयल सीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) स्टेट फार्मर्स को-ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) स्टेट फार्मर्स को-ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (72) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (76) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (78) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (80) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 3058(अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित बारह कस्टमाइज्ड उर्वरक को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

- (दो) का०आ० 3540(अ) जो 29 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 मई, 2011 की अधिसूचना सं० का०आ० 1024(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) उर्वरक (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2013 जो 29 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 3541(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (चार) का०आ० 3542(अ) जो 29 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 जून, 2012 की अधिसूचना सं० का०आ० 1421(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (84) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (85) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) डेडिकेटेड फ़ाइट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) डेडिकेटेड फ़ाइट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (86) (एक) इंडियन रेलवे फ़ाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेलवे फ़ाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (87) (एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (88) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)---
- (एक) का०आ० 2181(अ) जो 17 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 99 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, लातेहर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (दो) का०आ० 2653(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलूरीपेट-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 2651(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2715(अ) जो 29 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विभिन्न खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 84(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2943(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छह) का०आ० 1830(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18

(कडपा-कुर्नुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सात) का०आ० 106(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुर्नुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 2660(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुर्नुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 1826(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादगिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 117(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुर्नुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 2631(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 2589(अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (सोलापुर-संगरेडु खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 2773(अ) जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (हनुमान जंक्शन बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चौदह) का०आ० 2124(अ) जो 8 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (सोलापुर-संगरेडुडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पन्द्रह) का०आ० 1829(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (सोलह) का०आ० 1870(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुर्नुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 100(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरी-बारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 2084(अ) जो 7 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुर्नुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नीस) का०आ० 1383(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुर्नुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 74(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुर्नुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (इक्कीस) का०आ० 2124(अ) जो 8 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (सोलापुर-संगरेड्डी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बाईस) का०आ० 2773(अ) जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (हनुमान जंक्शन बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 2854(अ) जो 7 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 2257(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कासरगौड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 2267(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कासरगौड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) का०आ० 72(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्ताईस) का०आ० 2643(अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (89) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन।
- (90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (91) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (92) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) एसटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (93) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (94) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (95) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (96) (एक) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (97) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (98) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (99) (एक) सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (100) (एक) जेम्स एण्ड ज्वेलरी कलस्टर (मेसर्स सार इन्फ्राकॉन गुजरात), सूरत के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जेम्स एण्ड ज्वेलरी कलस्टर (मेसर्स सार इन्फ्राकॉन गुजरात), सूरत के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (101) (एक) इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी कलस्टर (मेसर्स त्रिची इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी कलस्टर), त्रिची के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी कलस्टर (मेसर्स त्रिची इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी कलस्टर), त्रिची के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (102) (एक) लेदर कलस्टर (मेसर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड), कानपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लेदर कलस्टर (मेसर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड), कानपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (103) (एक) ऑटो कलस्टर (मेसर्स मराठवाड़ा ऑटो कलस्टर), औरंगाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑटो कलस्टर (मेसर्स मराठवाड़ा ऑटो कलस्टर), औरंगाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (104) (एक) रबर पार्क (मेसर्स साउथ एशिया रबर एण्ड पॉलीमर्स पार्क लिमिटेड), हावड़ा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रबर पार्क (मेसर्स साउथ एशिया रबर एण्ड पॉलीमर्स पार्क लिमिटेड), हावड़ा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (105) (एक) फाउंड्री क्लस्टर (मेसर्स कोल्हापुर इंजीनियरिंग एसोसिएशन), कोल्हापुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फाउंड्री क्लस्टर (मेसर्स कोल्हापुर इंजीनियरिंग एसोसिएशन), कोल्हापुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (106) (एक) पंधुरना इंडस्ट्रियल पार्क (मेसर्स छिंदवाड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड), छिंदवाड़ा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पंधुरना इंडस्ट्रियल पार्क (मेसर्स छिंदवाड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड), छिंदवाड़ा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (107) (एक) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (108) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (109) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (110) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (111) (एक) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (112) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (113) (एक) इंडियन डायमण्ड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन डायमण्ड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (114) (एक) इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (115) (एक) कॅश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोल्लम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कॅश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोल्लम के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (116) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2689(अ) जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 11 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1105(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

4. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राव इन्द्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2013-2014) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 44वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।
- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।
- (3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।
- (4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 43वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

5. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र सिंह राणा ने 'नालन्दा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013' के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनरुज्जीवन' के बारे में 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।
- (2) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 17वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

7. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कार्यकरण' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।
- (2) 'जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

8. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विश्व मोहन कुमार ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।
- (2) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोल इंडिया लिमिटेड और इसके अनुषंगी एककों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप' के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन।
- (3) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2013-14)' के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन।
- (4) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2013-14)' के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 45वां प्रतिवेदन।
- (5) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात के उपयोग का संवर्धन' के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 47वां प्रतिवेदन।
- (6) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'एमएसटीसी लिमिटेड का कार्यकरण' के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

9. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री के०पी० धनपालन ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 108वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी स्थायी समिति का 113वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एम० कृष्णास्वामी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'राष्ट्रीय अकादमी एवं अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं का कार्यकरण—मुद्दे और चुनौतियां' के बारे में 201वां प्रतिवेदन*।
- (2) 'वाणिज्यिक पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2013' के बारे में 202वां प्रतिवेदन[®]।
- (3) 'विमान पत्तनों पर सेवाओं का निजीकरण' के बारे में 203वां प्रतिवेदन[®]।

11. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2013 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 66वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 3 दिसम्बर से 7 दिसम्बर, 2013 तक बाली, इंडोनेशिया में आयोजित 9वां मंत्रियों के सम्मेलन के परिणाम के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे—
 - (एक) आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) (माँग संख्या 47) के बारे में समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन।
 - (दो) एड्स नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) (माँग संख्या 49) के बारे में समिति के

* प्रतिवेदन 17 अक्टूबर, 2013 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया और उसी दिन लोक सभा की माननीया अध्यक्ष को अग्रेषित किया गया।

[®] ये प्रतिवेदन 20 नवंबर, 2013 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए और उसी दिन लोक सभा की माननीया अध्यक्ष को अग्रेषित किए गए।

57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

- (तीन) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) (माँग संख्या 48) के बारे में समिति के 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 63वां प्रतिवेदन।
- (चार) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) (माँग संख्या 46) के बारे में समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 64वां प्रतिवेदन।
- (3) पोत परिवहन मंत्री की ओर से उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2012-13) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 183वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (4) कोयला मंत्री ने कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2013-14) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (5) इस्पात मंत्री ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2013-14) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (6) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे—
- (एक) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2013-14) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

- (दो) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (7) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे—
- (एक) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 107वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और
- (दो) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 108वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.14 बजे

13. प्रस्ताव

श्री कमलनाथ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 13 दिसम्बर, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 53वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2013

अपराह्न 12.15 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) श्री एस०एस० रामासुब्बू द्वारा छोटे नमक उत्पादकों के हित में लवण भूमि पर बड़े हुए किराए को वापस लिए जाने और केन्द्रीय नमक सलाहकार बोर्ड को क्रियाशील बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भद्रा क्षेत्र के गांवों के लिए नाबार्ड योजना के अंतर्गत नहर-आधारित त्वरित पेयजल तथा सिंचाई जल आपूर्ति सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किए जाने, जिनके द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के समुचित प्रबंधन में लापरवाही बरतने के कारण भगदड़ हो जाने की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है और लोग घायल हो जाते हैं, के बारे में।
- (5) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए आदान सामग्री हेतु राज सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा महाराष्ट्र में पुणे, शिवाजी नगर, हडप्सर, किर्की, देहुरोड और लोनावाला रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने और सुरक्षा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री गणेश सिंह द्वारा बरगी दार्या तट नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने और उक्त परियोजना हेतु अपेक्षित धनराशि मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री मनसुखभाई डी० वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर झाड़ेसर के निकट "सरदार पुल" के समीप एक नया पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री ए०टी० नाना पाटील द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से चिकित्सीय उपचार के लिए सहायता प्राप्त करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त चिकित्सीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री नलिन कुमार कटील ने देश में सुपारी उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड में भूमिहीन लोगों विशेषतया “दिक्कुओं” को भूमि अंतरित किए जाने और स्वामित्व अधिकार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री बाल कुमार पटेल द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में बकाया रिक्तियों को भरे जाने और आरक्षित श्रेणियों की रिक्तियों को भरने के लिए निर्दिष्ट नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में जापानी एन्सेफलाईटिस से बच्चों की मृत्यु रोकने के लिए अविलम्ब कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री पूर्णमासी राम द्वारा बिहार में पिपराकोठी से उत्तर प्रदेश में कसया तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के निर्माण कार्य को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री अब्दुल रहमान द्वारा देश में विशेषतया तमिलनाडु में बिना विवाह प्रमाण-पत्र वाले व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट जारी किए जाने संबंधी नियमों में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन को उनकी शिकायतें प्रस्तुत करने हेतु अलग दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री थोल तिरुमावलावन द्वारा केन्द्रीय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर स्थगित अवधि के लिए ब्याज छूट प्रदान करने के लिए सभी पात्र शिक्षा ऋणों की लेखा परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.16 बजे

16. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

माननीय सदस्यों, मुझे श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जिसे सभा के समक्ष लाना मेरा कर्तव्य है। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक

मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़े होना है ताकि मैं यह पता लगा सकूँ कि अनुमति दी गई है या नहीं। अतः, आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं ताकि मैं उन 50 सदस्यों की गिनती कर सकूँ।

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त सूचना को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

अपराह्न 12.17 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 18 दिसम्बर, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 (शक)

संख्या 345

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि 17 दिसम्बर, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा 27 दिसम्बर, 2011 को पारित लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 को संशोधनों के साथ लौटा दिया है और यह अनुरोध किया है कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।

2. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

पूर्वाह्न 11.02 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न सं० 182—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) लंबित विधि आयोग प्रतिवेदनों (दिसम्बर, 2013) के बारे में नौवें वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (क) (एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) बिल्डिंग मैटीरियल्स एंड टेक्नालॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) बिल्डिंग मैटीरियल्स एंड टेक्नालॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिण्डा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिण्डा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिण्डा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (12) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (भाग I और II), नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (भाग I और II), नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (26) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (27) (एक) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) एमएसएमई-टेक्नॉलॉजी डेवलपमेन्ट सेन्टर (फ्रग्रेन्स एंड फ्लेवर डेवलपमेन्ट सेन्टर), कन्नौज के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नॉलॉजी डेवलपमेन्ट सेन्टर (फ्रग्रेन्स एंड फ्लेवर डेवलपमेन्ट सेन्टर), कन्नौज के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) एमएसएमई-टेक्नॉलॉजी डेवलपमेन्ट सेन्टर (सेन्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नॉलॉजी डेवलपमेन्ट सेन्टर (सेन्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटेग्रेटिड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटेग्रेटिड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (31) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेन्टर, उमियाम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेन्टर, उमियाम के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस्.ए.एस. नगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस्.ए.एस. नगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (घ) (एक) इंडियन रेयर अथर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेयर अथर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (39) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेस, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेस, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (पेंशन का संराशीकरण) संशोधन विनियम, 2013 जो 20 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 647(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (1) और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व नियम, 2011 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2911(अ) जो 25 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें प्रत्येक परमाणुवीय प्रतिष्ठापन के ऑपरेटर द्वारा उसके प्रतिष्ठापन में या परमाणुवीय सामग्री

के परिवहन के दौरान, उसमें उल्लिखित प्रत्येक परमाणुवीय घटनाक्रम की सूचना प्रपत्र 'क' में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक और फ़ैक्स दोनों माध्यम से घटना के 24 घंटों के भीतर दिए जाने संबंधी आदेश शामिल हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (49) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, मेघालय, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, मेघालय, शिलांग के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (61) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस), गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान (स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस), गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) (एक) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन अथॉरिटी) अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन अथॉरिटी) अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (67) (एक) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (यूटी मिशन अथॉरिटी) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (यूटी मिशन अथॉरिटी) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, (स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस) सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, (स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस) सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) ओडिशा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ओडिशा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) डॉ॰ हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी, सागर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (80) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (81) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (82) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगौड के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (83) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (84) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (86) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (87) (एक) नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (88) (एक) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (90) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (91) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (92) उपर्युक्त (91) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (93) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (94) उपर्युक्त (93) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (95) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (96) उपर्युक्त (95) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (97) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू-कश्मीर, जम्मू के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू-कश्मीर, जम्मू के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (98) उपर्युक्त (97) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (99) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (100) उपर्युक्त (99) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (101) (एक) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (102) उपर्युक्त (101) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (103) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (104) (एक) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोडो हिल्स के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोडो हिल्स के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (105) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (106) (एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (107) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (108) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (109) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग I और II), दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (110) (एक) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (111) (एक) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (112) (एक) मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (113) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (114) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (115) नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (116) (एक) रिसर्च एंड इंफार्मेशन सिस्टम फार डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष के 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रिसर्च एंड इंफार्मेशन सिस्टम फार डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सराकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (117) नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 41 की उप धारा (2) के अंतर्गत नालन्दा विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर किया जाना) आदेश, 2013 जो 22 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 3454(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (118) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (119) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (120) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजायन एंड मेन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (121) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (122) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (123) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (124) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (125) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (126) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (127) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (128) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मंडी, मंडी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (129) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (130) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (131) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (132) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (133) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (134) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (135) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (136) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंबई, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (137) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (138) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (139) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (140) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (141) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (142) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (143) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (144) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (145) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (146) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (147) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग (वैस्टर्न रीजन), मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (148) (एक) औरोविल्ले फाउंडेशन, औरोविल्ले के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) औरोविल्ले फाउंडेशन, औरोविल्ले के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (149) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (150) उपर्युक्त (149) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (151) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादमी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता तथा उच्च शिक्षा में मानक अनुरक्षण हेतु उपाय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 24 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 1-2/2009 (ईसी/पीएस) V(i) खंड II में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (152) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजायन एंड मेन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (153) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (154) उपर्युक्त (153) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (155) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (156) (एक) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (157) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2013 जो 4 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 3022(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) का०आ० 3023(अ) जो 4 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 का कार्यान्वयन किया गया है।
- (तीन) का०आ० 2033(अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के परीक्षाधीन

गुड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 के लागू होने की तारीख बढ़ाए जाने के बारे में है।

- (चार) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता) संशोधन आदेश, 2013 जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2034(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (पांच) का०आ० 822(अ) जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 के लागू होने की तारीख बढ़ाए जाने के बारे में है।
- (छह) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 जो 3 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2357(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (158) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 116-4/2013-एनएसएल-II में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-27/2013-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 305-20/2009-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सेवा गुणवत्तामानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० 23/1/2012-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।
- (159) उपर्युक्त (158) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (160) (एक) सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (161) (एक) अरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (162) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (163) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (164) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) “विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनी और ग्रामीण आबादी के लिए भवन विनियम 2010” जो 17 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 97(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) का०आ० 954(अ) जो गैर अनुरूप क्षेत्रों/अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक जमावड़ा के कलस्टर के पुनर्विकास हेतु विनियम के बारे में है तथा जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

- (तीन) का०आ० 683(अ) जो विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु विनियम और मार्गनिर्देश के बारे में है तथा जो 1 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (चार) का०आ० 2622(अ) जो दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमितिकरण हेतु विनियम के बारे में है तथा जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (पांच) (भोजकक्ष की अनुमति) विनियम, 2010 जो 21 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 2272(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (छह) का०आ० 1441(अ) जो एमपीडी - 2021 (औद्योगिक प्लॉट के अतिरिक्त एफएआर हेतु दरों की कटौती) के फलस्वरूप उपयोग, संपरिवर्तन मिश्रित भूमि उपयोग एवं बढ़े हुए एफएआर के लिए अन्य प्रभार हेतु लागू होने वाली दरों को नियत किए जाने के बारे में है तथा जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (सात) का०आ० 202(अ) जो एमपीडी - 2021 के फलस्वरूप उपयोग, संपरिवर्तन मिश्रित भूमि उपयोग एवं होटलों समेत बढ़े हुए एफएआर के लिए अन्य प्रभार हेतु लागू होने वाली दरों को नियत किए जाने के बारे में है तथा जो 1 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (आठ) का०आ० 1297(अ) जो दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण हेतु विनियमन के बारे में है तथा जो 6 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (नौ) का०आ० 1606(अ) जो शैक्षणिक संस्थाओं/न्यास/स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य समाज कल्याण सोसायटियां आदि जिन्हें आयकर से छूट दी गई है, को अतिरिक्त एफएआर प्रभार से छूट दिए जाने के बारे में है तथा जो 18 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (दस) का०आ० 1542(अ) जो विभिन्न बाजारों (सरोजिनी नगर मार्केट, खान मार्केट और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन आदि) की ऊपरि आवासीय तलों पर संपरिवर्तन प्रभार को नियत किए जाने के बारे में है तथा जो 11 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (ग्यारह) का०आ० 2822(अ) जो दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमितिकरण हेतु विनियमन के बारे में है तथा जो 20 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

- (बारह) का०आ० 2922(अ) जिसके द्वारा मौजूदा नियोजित औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु बनाए गए विनियम और मार्ग-निर्देशों में कतिपय संशोधन/आशोधन किए गए हैं तथा जो 27 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (165) उपर्युक्त (164) की मद सं० (एक) से (दस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (166) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोच्चि मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (167) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (168) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापीक्षित लेखे।
- (169) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (170) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत सहायकों की भर्ती विनियमन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 2013 (संशोधित) जो 20 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 644(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (171) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 19 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 738(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री टी० आर० बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'गत पांच वर्षों के दौरान हुई बड़ी रेल दुर्घटनाएं—कारण और उपचारात्मक कदम' विषयक 21वां प्रतिवेदन।
- (2) रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों—2013-2014 के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

7. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन से संबंधित समिति का 40वां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन से संबंधित समिति का 41वां प्रतिवेदन।
- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन से संबंधित समिति का 42वां प्रतिवेदन।
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) से संबंधित 'कीटनाशकों का उत्पादन और उपलब्धता' विषयक की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में समिति का 43वां प्रतिवेदन।

8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री गोपीनाथ मुंडे ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'उर्वरकों का उत्पादन इसकी मांग और उपलब्धता तथा इसका वितरण' विषय पर 28वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही विवरण।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण' विषय पर 39वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही विवरण।

9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रदीप टम्टा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 239वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 246वां प्रतिवेदन।
- (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 247वां प्रतिवेदन।
- (3) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 241वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 248वां प्रतिवेदन।
- (4) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 249वां प्रतिवेदन।
- (5) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 250वां प्रतिवेदन।
- (6) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 251वां प्रतिवेदन।
- (7) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 252वां प्रतिवेदन।

10. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 78वां प्रतिवेदन।
- (2) ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2013 के बारे में 79वां प्रतिवेदन।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) वित्त मंत्री की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय एवं विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 239वें और 244वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—
 - (एक) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 12.08 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले

विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) डॉ० चार्ल्स डिएस द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय की शिकायतों का निराकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा देश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए सरकारी खरीद केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने और दिल्ली में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री एन०एस०वी० चित्तन द्वारा तमिलनाडु में पलानी और तिरुचेन्दुर के बीच एक नई यात्री रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए निधियां दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा गुजरात के हिम्मत नगर में केन्द्रीय विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने और साबरकांठा जिले में नए शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना किए जाने तथा राज्य के अरावली जिले के मोडासा में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिले में मनुष्यमारा (पुरानीधार) नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राकेश सचान द्वारा दिल्ली के द्वारका, सेक्टर-21 से चलने वाली मेट्रो ट्रेनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किए जाने और उत्तर प्रदेश के शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मजारों के विद्युतीकरण को अनुमोदन प्रदान किए जाने और विशेषकर देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) श्रीमती जे० हेलेन डेविडसन द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के रखरखाव के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री वैजयंत पांडा द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव द्वारा राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के मसौदे में किसानों के स्वामित्व वाली सिंचित और गैर-सिंचित भूमि पर भूमि की प्रस्तावित अधिकतम सीमा के प्रावधान को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री राजू शेट्टी द्वारा प्याज के मूल्यों में गिरावट के कारण प्याज की खेती करने वाले किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.09 बजे

13. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

माननीय सदस्यों, मुझे श्री सब्बम हरि और अन्य तथा श्री० कोनाकला नारायण राव और अन्य से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाना मेरा कर्तव्य है। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़े होना है ताकि मैं यह पता लगा सकूँ कि अनुमति दी गई है या नहीं। अतः आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने-अपने स्थानों पर चले जाएँ।

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त सूचना को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

अपराह्न 12.09 बजे

14. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यों, जैसाकि आपको विदित है कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011, जिले लोक सभा द्वारा 27 दिसम्बर, 2011 को पारित किया गया था, राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ वापस किया गया है। राज्य सभा द्वारा किए गए इन संशोधनों पर लोक सभा द्वारा विचार किया जाना है। इस मद को आज की अनुपूरक कार्य सूची की मद संख्या 22क में शामिल किया गया है।

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के बारे में जनता की आशाओं को ध्यान में रखते हुए मैं निदेश-2 के अधीन निदेश देती हूँ कि सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं लाए जाने से पूर्व सभा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करे।

अब मद संख्या 22क ली जाती है। माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल प्रस्ताव करेंगे कि राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए।”

अपराहन 12.10 बजे

15. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन स्वीकृत हुए।

*लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

लिया गया समय: 36 मिनट

श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री राहुल गांधी
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री शरद यादव

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. श्री हरिन पाठक
2. श्री पी० डी० राय
3. श्री अर्जुन राम मेघवाल
4. श्री पन्नालाल पुनिया
5. श्री आर० ध्रुवनारायण

*विधेयक 27 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था तथा राज्य सभा की सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 17 दिसम्बर, 2013 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन लोक सभा को लौटा दिया।

6. श्री वीरेन्द्र कुमार
7. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
8. श्री कल्याण बनर्जी
9. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
10. डॉ० महबूब बेग
11. श्री रामशंकर राजभर
12. श्री जगदम्बिका पाल
13. श्री गुरुदास दासगुप्त
14. डॉ० तरूण मंडल
15. श्री नामा नागेश्वर राव
16. श्री टी० के० एस्० इल्लेंगवोन
17. श्रीमती सुप्रिया सुले
18. डॉ० संजीव गणेश नाईक
19. श्री प्रहलाद जोशी
20. श्री अनंत कुमार
21. श्री भक्त चरण दास
22. श्री थोल तिरूमावलान
23. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
24. डॉ० एम० तम्बिदुरई
25. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय
26. मौलाना बदरूद्दीन अजमल

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 से 36 स्वीकृत किए जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव किया कि सभा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.46 बजे

16. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013 को भी विचार और पारित किए जाने के लिए अनुपूरक कार्यसूची में शामिल किया गया है। इस विधेयक में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 के अधीन बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी-शिवपुर, पश्चिम बंगाल को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिवपुर, पश्चिम बंगाल बनाए जाने का प्रावधान है। यह विधेयक संस्थान में बड़ी संख्या में अध्ययनरत छात्रों से जुड़ा हुआ है।

कल कार्यमंत्रणा समिति की हुई बैठक में सदस्य इस बात पर एकमत थे कि इस विधेयक को सभा द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाओं को लाए जाने से पहले इस विधेयक को भी लिया जाए।”

17. सरकारी विधेयक—पारित

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए डॉ॰ शशी थरूर द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ शशी थरूर ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 12.50 बजे

18. सदस्यों द्वारा निवेदन

संयुक्त राज्य अमेरीका में भारतीय उप महाकौंसल के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में:—

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त राज्य अमेरीका में भारतीय उप महाकौंसल के साथ कथित

दुर्व्यवहार के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री मुलायम सिंह यादव
2. श्रीमती सुषमा स्वराज
3. श्री संजय निरुपम
4. प्रो० सौगत राय
5. श्रीमती सुप्रिया सुले
6. श्री शरद यादव
7. श्री दारा सिंह चौहान
8. श्री नामा नागेश्वर राव
9. श्री तथागत सत्पथी
10. श्री टी०के०एस० इलेंगोवन
11. श्री अनंत कुमार हेगड़े
12. श्री ए० सम्पत

निम्नलिखित सदस्य सहयोजित हुए:—

1. डॉ० तरुण मंडल
2. श्री अर्जुन राम मेघवाल
3. डॉ० महबूब बेग
4. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
5. श्री शिवकुमार उदासी
6. श्री शिवराम गौड़ा
7. श्री देवजी एम० पटेल
8. श्री बी०वाई० राघवेन्द्र
9. डॉ० वीरेन्द्र कुमार
10. श्री श्रीपाद येसो नाईक

11. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाँधी
12. डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
13. श्री हरिन पाठक
14. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
15. श्री नारनभाई काछड़िया
16. श्रीमती दर्शना जरदोश
17. श्री सी०आर० पाटिल
18. श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
19. श्री एस०एस० रामासुब्बू

श्री सलमान खुर्शीद ने उत्तर दिया।

अपराहन 1.19 बजे

19. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराहन 1.21 बजे

(लोक सभा अपराहन 1.21 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 5 फरवरी, 2014/16 माघ, 1935 (शक)

संख्या 346

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्षा ने श्री एम०एम० हाशिम, पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य; श्री पी०के० घोष, तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य; श्री दीपक कुमार, तेरहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री पीयूष तिरकी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्षा ने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया:—

(एक) 21 नवम्बर, 2013 को लात्वियन कैपिटल (राजधानी) रीगा के एक उपनगर में अवस्थित एक सुपर मार्केट की छत के ढह जाने के कारण 54 लोगों की मृत्यु और 41 अन्य लोगों के घायल होने।

(दो) दिसम्बर, 2013 में रूसी शहर वोल्गोगार्ड में नागरिकों के विरुद्ध कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले।

- (तीन) 28 दिसम्बर, 2013 को आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में नादेड़-बंगलौर एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने से दो बच्चों सहित छब्बीस लोगों की मृत्यु होने और अन्य कई लोगों के घायल होने।
- (चार) 2 जनवरी, 2014 को मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर दूर मालशेज घाट पर 400 फुट गहरी घाटी में राज्य परिवहन निगम की एक बस गिर जाने के कारण सत्ताईस यात्रियों की मृत्यु होने और अन्य अठारह लोगों के घायल होने।
- (पाँच) 4 जनवरी, 2014 को पणजी, गोवा में एक निर्माणाधीन भवन के गिर जाने से इकतीस लोगों की मृत्यु।
- (छ) 18 जनवरी, 2014 को मुंबई में भगदड़ मचने की एक घटना में अठारह लोगों की मृत्यु होने और चालीस से अधिक अन्य लोगों के घायल होने।
- (सात) 26 जनवरी, 2014 को अंडमान में पोर्ट ब्लेयर के निकट रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे के बीच एक यात्री नौका के पलट जाने के कारण इक्कीस पर्यटकों की मृत्यु।
- तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

3. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 201-220 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2301-2433 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवीयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवीयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विनियम, 1988 की धारा 38 के अंतर्गत जारी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) नियम, 2013 जो 27 अगस्त, 2013 के अंडमान और निकोबार के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना संख्या 196/2013/सं० 166/ 2003/एफ०सं० 50-560/2000-डेक्० I में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत खादी चिन्ह विनियम, 2013 जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०कार्नि० 498(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 3(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2013, जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 601(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2013, जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 602(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2013, जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 603(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2013, जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 604(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2013, 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 605(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2013, जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 606(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2013, जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 607(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2013, जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 608(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (नौ) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य का नियतन) संशोधन विनियम, 2013, जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2013, जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 610(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2013, जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 611(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2013, जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 612(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2013, जो 24 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 651(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2013, जो 24 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 652(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन नियम, 2013, जो 24 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 653(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2013, जो 24 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 654(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (10) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, 2013 जो 11 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 773(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2013 जो 10 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि-11(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (11) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान) मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान) मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) यूईई मिशन दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूईई मिशन दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आइजोल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आइजोल के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

- (एक) अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा की निर्वाचित सदस्या श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी दिनांक 19 दिसंबर, 2013 का एक पत्र प्राप्त हुआ था और उन्होंने 19 दिसंबर, 2013 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

(दो) अध्यक्ष ने सभा को यह भी सूचित किया कि उन्हें राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य श्री किरोड़ी लाल मीणा का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी दिनांक 19 दिसंबर, 2013 का एक पत्र प्राप्त हुआ था और उन्होंने 19 दिसंबर, 2013 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री कमल नाथ ने कार्य मंत्रणा समिति का 54वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार' के बारे में 30वां प्रतिवेदन*।
- (2) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 'जनजातीय कल्याण स्कीमें' के बारे में प्राक्कलन समिति (2012-2013) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन*।
- (3) युवा मामले और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) से संबंधित 'भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) का कार्य-निष्पादन' के बारे में प्राक्कलन समिति (2012-2013) के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 32वां प्रतिवेदन*।
- (4) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'फसल विविधता' के बारे में प्राक्कलन समिति (2012-2013) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी 33वां प्रतिवेदन*।
- (5) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

*30वें से 33वें प्रतिवेदनों का निदेश 71क के अंतर्गत 4 जनवरी, 2014 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे क्योंकि सभा 18 दिसम्बर, 2013 को *अनिश्चित काल* के लिए स्थगित हो गई थी और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

8. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 2010-2011 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा) पर आधारित ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के संयुक्त उद्यम प्रचालनों के बारे में 27वां प्रतिवेदन।
- (2) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2009-2010 के प्रतिवेदन सं० 9 के लेखापरीक्षा पैरा सं० 13.5.1 पर आधारित तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल के मूल्य पर कंडन्सेट की खरीद के बारे में 28वां प्रतिवेदन।

9. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) बेसिक ट्रेनिंग रेजीमेंट (बीटीआर), सशस्त्र कोर केन्द्र, अहमदनगर की सेना की भूमि से होकर नागरदेओल-भिंजर के ग्रामवासियों को आने-जाने के मार्ग का अधिकार दिए जाने के बारे में श्री दिलीप गांधी, संसद सदस्य लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 30वां प्रतिवेदन।
- (2) 'मध्य रेलवे में समूह घ पदों के लिए चिकित्सीय जांच में उपर्युक्त पाए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति' के बारे में श्री आनंदराव अडसुल, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 31वां प्रतिवेदन।
- (3) 'यवतमाल-मुर्तिजापुर-अचलपुर-पुलगांव की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा अन्य संबंधित मामलों' के बारे में श्री आनंदराव अडसुल, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

10. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'कृषि जैव-सुरक्षा विधेयक, 2013' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 56वां प्रतिवेदन# (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

यह प्रतिवेदन, लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 4 जनवरी, 2014 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

11. राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री के०एच० मुनियप्पा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

“कि राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 और 17 के साथ पठित राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.06 बजे

12. अध्यक्षा द्वारा घोषणा

अध्यक्षा ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यों, मुझे श्री वी० अरूणा कुमार, श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी और श्री के० नारायण राव और अन्य से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाना मेरा कर्तव्य है। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं उन पचास सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़े होना है ताकि मैं यह पता लगा सकूं कि अनुमति दी गई है या नहीं। अतः आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं।”

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

12.07 बजे

13. सदस्यों द्वारा निवेदन

दिल्ली में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं तथा वहां के एक छात्र की हत्या के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने दिल्ली में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं तथा वहां के एक छात्र की हत्या के बारे में निवेदन किया:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री निनोंग ईरींग
3. श्री शरद यादव
4. श्री बसुदेव आचार्य

डॉ० संजय जायसवाल, सर्वश्री देवजी एम० पटेल, सी०आर० पाटिल, राम सिंह कास्वां, शिवकुमार उदासी, गणेश सिंह, डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री अर्जुन मेघवाल, श्रीमती दर्शाना विक्रम जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण, श्री दुष्यंत सिंह, श्री बालकृष्ण एम० शुक्ल, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री अशोक अर्गल, श्री पी०डी० राय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर और श्री एम०बी० राजेश, श्री गुरदास दासगुप्त, डॉ० थोकचोम मैन्या तथा प्रो० सौगत राय सहयोजित हुए।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“मुझे सभा को यह कहना है कि उत्तर-पूर्व से दिल्ली आए बच्चों के साथ जो घटित हुआ है वह खेदजनक है तथा पूरी सभा द्वारा उसकी निन्दा की जानी चाहिए। पूरी सभा द्वारा इस घटना की भर्त्सना की जानी चाहिए तथा देश को यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि भारतीय संसद तथा लोक सभा के सदस्य उत्तर-पूर्व के बच्चों तथा लोगों को संरक्षण देने में एकजुट हैं। हमें यह संदेश सब जगह भेजना चाहिए।”

अपराहन 12.24 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री एम० कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु के अरानी में सिल्क पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा नागपुर के लिए मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने और गैर-मेट्रो शहरों हेतु मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार के अंशदान को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री अवतार सिंह भडाना द्वारा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एम०आई० शानवास द्वारा पश्चिमी घाटों के संबंध में डॉ० के० कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा देश में स्कूली बच्चों में मादक पदार्थों और शराब के उपयोग के खतरे को रोकने हेतु प्रत्येक राज्य में एंटी-नारकोटिक्स विशेष कार्यबल गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (6) श्री एम०के० राघवन द्वारा केरल के कोझिकोड में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री हरित पाठक द्वारा गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो रेल परियोजना हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राधा मोहन सिंह द्वारा बिहार के उत्तरी भाग में रेल सेवाओं और रेल सम्पर्क में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रामकिशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुगलसराय-गया रेल मंडल के अंतर्गत समपार संख्या 72ए और 76ए पर सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा संसद द्वारा साम्प्रदायिक हिंसा निरोधक विधेयक पारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) प्रो० सौगत राय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तनों का निजीकरण किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री ए०के०एस० विजयन द्वारा तमिलनाडु में नागापट्टिनम और तंजावूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 को चार लेन का बनाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री एम०बी० राजेश द्वारा केरल के पालक्काड़ में एक नया पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री एस० सेम्मलई द्वारा तमिलनाडु के सलेम में सरकारी मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में स्थापित सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा केयर सेन्टर हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.25 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार, 6 फरवरी, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुस्वार, 6 फरवरी, 2014/17 माघ, 1935 (शक)

संख्या 347

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 221—240 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2434—2645 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यों, मुझे श्री एम० राजा मोहन रेड्डी, श्री सब्बम हरि और श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी से मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाना मेरा कर्तव्य है। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं उन पचास सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़े होना है ताकि मैं यह पता लगा सकूं कि अनुमति दी गई है या नहीं। अतः आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने-अपने स्थानों पर चलें जाएं।”

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

अपराहन 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कॅलीब्रेशन लेबोरेट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कॅलीब्रेशन लेबोरेट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) अगर्कर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अगर्कर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) बायो प्रोसेसिंग यूनिट, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बायो प्रोसेसिंग यूनिट, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (12) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जिओमैग्नेटिज्म, नवी मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जिओमैग्नेटिज्म, नवी मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एण्ड न्यू मेटिरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एण्ड न्यू मेटिरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिऑलॉजी, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिऑलॉजी, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ नैनो साइंस एण्ड टेक्नोलोजी, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ नैनो साइंस एण्ड टेक्नोलोजी, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (1) (एक) एन्ड्र्यू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एन्ड्र्यू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (8) (एक) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) (एक) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) (एक) तुंगभद्र स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, होसपेट के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) तुंगभद्र स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, होसपेट का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (28) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (29) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (31) (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुडगांव के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुडगांव के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (संवितरित सृजन संसाधनों की संयोजनता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 जो 7 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 12/X/एसटीडी (कोन)/जीएम/सीईए में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजनता के लिए तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2013 जो 15 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 12/X/एसटीडी (कोन)/जीएम/सीईए में प्रकाशित हुए थे।

- (34) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत प्राधिकरण आयोग (विद्युत प्रदाय संहिता) पहला संशोधन विनियम, 2013 जो 27 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० जेईआरसी-11/2010 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत प्राधिकरण आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया) विनियम, 2013 जो 9 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० जेईआरसी-16/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (35) उपर्युक्त (34) की मद सं० (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) वालमार्ट से संबंधित मीडिया रिपोर्टों की जांच करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में गठित एक-सदस्यीय जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 के अंतर्गत कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2013 जो 20 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 2821(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—
- (एक) लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2013 जो 6 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सीडब्ल्यूआर (1) 2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) लागत और संकर्म लेखापाल (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 6 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सीडब्ल्यूआर (2) 2013 में प्रकाशित हुए थे।

- (39) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (40) (एक) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (45) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2693(अ) जो 6 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उन चैनलों, जिन्हें केबल प्रचालकों द्वारा उनकी केबल सेवाओं में पुनः प्रसारित किया जाना है, के नाम तथा उसमें उल्लिखित ऐसे चैनलों को प्राप्त करने और उन्हें पुनः प्रसारित करने की रीति निर्दिष्ट की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (48) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (50) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने लोक लेखा समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2011-2012) से अधिक व्यय' के बारे में 92वां प्रतिवेदन।
- (2) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'भारत में नागर विमानन का कार्य-निष्पादन' के बारे में 93वां प्रतिवेदन।
- (3) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी-निजी भागीदारी का कार्यान्वयन-इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, दिल्ली' के बारे में 94वां प्रतिवेदन।
- (4) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के कार्यान्वयन' के बारे में 95वां प्रतिवेदन।
- (5) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित 'वित्त मंत्रालय द्वारा सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन: संसदीय अनुमोदन के बिना धन वापसी पर ब्याज पर उपगत व्यय' के बारे में 96वां प्रतिवेदन।
- (6) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित 'पर्यावरण और वन मंत्रालय का कार्य-निष्पादन' के बारे में 57वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 97वां प्रतिवेदन।
- (7) वित्त मंत्रालय से संबंधित 'गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं (2010-2011) पर की-गई-कार्रवाई/टिप्पणियों को समय पर प्रस्तुत करने का मंत्रालय/विभागों द्वारा गैर-अनुपालन' के बारे में 58वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 98वां प्रतिवेदन।
- (8) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित 'राष्ट्रीय सुदूरवर्ती संवेदी केन्द्र के कार्यकलाप' के बारे में 60वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 99वां प्रतिवेदन।
- (9) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत में चाय विकास में चाय बोर्ड की भूमिका' के बारे में 65वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 100वां प्रतिवेदन।

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

श्री जगदम्बिका पाल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) एफसीआई—भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न निर्यात की समीक्षा के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 10वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 19वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 15वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 22वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) बीएसएनएल द्वारा प्रदान की गई डब्ल्यूएलएल सेवाओं के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 28वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (4) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण—अवसंरचना और प्रचालनात्मक सुविधाओं की समीक्षा [भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2007 के लेखापरीक्षा पैरा सं० 17 (निष्पादन लेखापरीक्षा) (वाणिज्यिक) पर आधारित] के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (5) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 26वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (6) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण—संरक्षा और सुरक्षा पहलू के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 29वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 37वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

- (7) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 33वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (8) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड—बुनियादी सेडीमेंट्स और मानदंडों से ऊपर जल का अवयव रखने वाले कच्चे तेल की बिक्री के कारण घाटे के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (9) 'विद्युत उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का भौतिक और वित्तीय कार्य-निष्पादन'—क्षैतिज अध्ययन के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 34वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (10) भारतीय खाद्य निगम (2008 के प्रतिवेदन सं० सीए 11 के अध्याय 7 के लेखापरीक्षा पैरा 7.1.1 पर आधारित) के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 35वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (11) एनएचआई द्वारा सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सरकारी-निजी भागीदारी-दिल्ली-गुडगांव परियोजना [नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० पीए 16 (निष्पादन लेखापरीक्षा) पर आधारित] के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (12) राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

- (13) सिक्क्युरिटी, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

6. नियम समिति का प्रतिवेदन

श्री राजाराम पाल ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 के उपनियम (1) के अंतर्गत नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार सन्नियमों के उल्लंघन तथा लोक सभा सदस्यों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधी समिति (15वीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन

श्री एम० कृष्णास्वामी ने सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार सन्नियमों के उल्लंघन तथा लोक सभा सदस्यों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधी समिति (15वीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री टी०आर० बालू ने 'महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए भारतीय रेल की उपनगरीय रेल सेवाएं' विषय पर रेल संबंधी स्थायी समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के आबंटन, विकास और कार्यनिष्पादन की समीक्षा" के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन।
- (2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 46वां प्रतिवेदन।
- (3) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयले का मूल्य निर्धारण और कोयला रायल्टी से संबंधित मुद्दों" विषय पर समिति का 49वां प्रतिवेदन।

- (4) कोयला मंत्रालय से संबंधित “सीआईएल और इसकी अनुषंगियों में ठेका श्रमिकों सहित अन्य श्रमिकों की सेवा शर्तें” विषय पर समिति का 50वां प्रतिवेदन।
- (5) इस्पात मंत्रालय से संबंधित “सरकारी क्षेत्र की स्टील कंपनियों में श्रमिकों की सेवा शर्तें” विषय पर समिति का 51वां प्रतिवेदन।

10. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० महेश जोशी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) ‘भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण विधेयक 2013’ के बारे में 204वां प्रतिवेदन*।
- (2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 192वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 205वां प्रतिवेदन।
- (3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 206वां प्रतिवेदन।
- (4) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 194वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 207वां प्रतिवेदन।
- (5) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 195वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 208वां प्रतिवेदन।
- (6) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 209वां प्रतिवेदन।

*यह प्रतिवेदन 24 जनवरी, 2014 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन लोक सभा के माननीय अध्यक्ष को अग्रेषित किया गया।

11. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एस० सेम्मलई ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना के विकास तथा उनके सुदृढीकरण के बारे में 67वां प्रतिवेदन।
- (2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 60वें प्रतिवेदन पर मंत्रालय के की-गई-कार्यवाही उत्तरों संबंधी 68वां प्रतिवेदन।
- (3) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 के बारे में 69वां प्रतिवेदन।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 247वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया:—

- (1) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में यात्री सुविधाएं और यात्री सुरक्षा' के बारे में 19वां प्रतिवेदन।
- (2) रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

13. प्रस्ताव

श्री कमल नाथ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 5 फरवरी, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 54वें प्रतिवेदन से इस आशोधन के अध्यधीन सहमत है कि क्रम संख्या 1 की मद से संबंधित सिफारिश, जिसका सभा द्वारा पहले ही निपटान किया जा चुका है, का लोक किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.13 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा इंदिरा आवास योजन के अंतर्गत योजना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के सभी पात्र भूमिहीन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एस०एस० रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु के कुलशेकरापट्टिनम में रॉकेट प्रक्षेपण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एंटो एंटोनी द्वारा प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री हेमानंद बिसवाल द्वारा ओडिशा में हाल ही में आए चक्रवात, जिससे राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों को काफी नुकासान हुआ, से जिन लोगों की फसलों को नुकसान हुआ उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री एन०एस०वी० चित्तन द्वारा तुतीकोरिन से चेन्नई तक नई रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में किर्की छावनी बोर्ड द्वारा तैयार बायोगैस संयंत्र परियोजना स्थापित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा श्रावण माह में “कांवड़ मेले” के उचित प्रबन्धन हेतु एक राजकीय निकाय/प्राधिकरण स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में सतना और मैहर रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुनकरों के कल्याण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटुर जिले में नागार्जुन सागर बांध को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बिहार के बक्सर और भोजपुर जिलों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु एक व्यापक योजना बनाए जाने एवं उसे कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री जोस के० मणि द्वारा पश्चिमी घाटों संबंधी माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट पर आधारित केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.13 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा शुक्रवार, 7 फरवरी, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 7 फरवरी, 2014/18 माघ, 1935 (शक)

संख्या 348

पूर्वाह्न 11.01 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 और 242 पुकारे गए। चूंकि वे सदस्य जिनके नाम पर ये प्रश्न सूचीबद्ध थे वे सभा में उपस्थित नहीं थे अतः उनके उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 243—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2646—2848 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यों, मुझे श्री जी०वी० हर्ष कुमार श्री मोडुगुल वेणुगोपाल रेड्डी और श्री एम० राजा मोहन रेड्डी से मंत्री परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाना मेरा कर्तव्य है। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं

होगी तब तक मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़े होना है ताकि मैं यह पता लगा सकूँ कि अनुमति दी गई है अथवा नहीं। अतः आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं।”

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरूअनंतपुरम का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) पेस्ट्रियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) पेस्ट्युर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कृन्पुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) भारतीय भेषज परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (20) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (22) (एक) जवाहरलाल नेहरू अल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू अल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स, के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स, के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइन्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइन्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) लौह अयस्क और मैगनीज के अवैध खनन के लिए न्यायमूर्ति एम॰बी॰ शाह जांच आयोग के प्रथम अंतरिम प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी अद्यतन ज्ञापन* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) गोवा राज्य में अवैध खनन के लिए न्यायमूर्ति एम॰बी॰ शाह जांच आयोग के प्रथम अंतरिम प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी अद्यतन ज्ञापन@ की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक को-ऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

*प्रतिवेदन की-गई-कार्रवाई ज्ञापन के साथ 20.12.2011 को सभा पटल पर रखा गया।

@प्रतिवेदन की-गई-कार्रवाई ज्ञापन के साथ 07.09.2012 को सभा पटल पर रखा गया।

- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक को-ऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और निराकरण) अधिनियम, 2013 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और निराकरण) नियम, 2013 जो 9 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 769(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (1) (क) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (क) डोनी पोलो अशोक होटल निगम लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) डोनी पोलो अशोक होटल निगम लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (क) उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (4) (क) मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (क) कुमार कृष्णा फ्रंटीयर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) कुमार कृष्णा फ्रंटीयर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) (क) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) (क) रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड, रांची का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) (क) पंजाब अशोक होटल निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) पंजाब अशोक होटल निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) (क) असम अशोक होटल निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (ख) असम अशोक होटल निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (32) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (39) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अलमोड़ा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अलमोड़ा का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (44) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) इरीगेशन एण्ड वाटर रिसोर्सेस फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इरीगेशन एण्ड वाटर रिसोर्सेस फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (46) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2013 जो 23 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 649(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (48) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 18 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/31/6883 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 16 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/24/6573 में प्रकाशित हुए थे।
- (49) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) कांआं 2592(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्रगति ग्रामीण बैंक और कृष्णा ग्रामीण बैंक का प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक के रूप में विलय करने के बारे में है।
- (दो) कांआं 2657(अ) जो 2 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दुर्ग राजनंद गांव ग्रामीण बैंक का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के रूप में विलय करने के बारे में है।
- (तीन) कांआं 2690(अ) जो 6 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विलय के कारणों से उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक और दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक का विघटन किए जाने के बारे में है।
- (50) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकांनि 744(अ) जो 21 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी,

तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 448(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (51) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) विजया बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 9 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० वीबी/पीईआर/पीए एंड पीडी/2182/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार की स्वीकृति) विनियम, 2013 जो 9 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० पीईआर/आईआरडी/2255/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार की स्वीकृति) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 18 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० प्रशा०/5/04076 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 18 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० प्रशा०/5/04077 में प्रकाशित हुए थे।
- (52) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 22 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 747(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य निर्धारण (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का निर्धारण) संशोधन नियम, 2013 जो 22 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 748(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सांकांनि 750(अ) जो 26 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 22/2013-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सेनवेट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 27 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 663(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि 161(अ) जो 6 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (53) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)---
- (एक) प्रतिवर्तित बंधक (संशोधन) स्कीम, 2013, जो 7 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांसा 3034(अ) में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) कांआ 3513(अ) जो 27 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के खण्ड (5) के परंतुक के खण्ड (ड) के प्रयोजनों के लिए नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरीवेटिव्स लिमिटेड, मुम्बई को मान्यताप्राप्त एसोसिएशन के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) कांआ 3514(अ) जो 27 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के खण्ड (5) के परंतुक के खण्ड (ड) के प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, मुम्बई को मान्यताप्राप्त एसोसिएशन के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) कांआ 3539(अ) जो 29 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के खण्ड (5) के परंतुक के खण्ड (ड) के प्रयोजनों के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज

आफ इंडिया लिमिटेड मुम्बई को मान्यताप्राप्त एसोसिएशन के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पांच) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2013 जो 5 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2363(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2013 जो 2 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2659(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2013 जो 4 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2668(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2013 जो 18 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2810(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) आयकर (17वां संशोधन) नियम, 2013 जो 23 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2887(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2013 जो 24 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2900(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (54) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सा०का०नि० 726(अ) जो 8 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण पूरा होने तक कोरिया गणराज्य और थाईलैण्ड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “एक्रीलिक फाइबर” के आयात पर लगाए गए प्रतिपादन शुल्क के उद्ग्रहण को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 19 नवंबर, 2014 तक, जिसमें यह तिथि भी शामिल है, आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांकांनि 732(अ) जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण पूरा होने तक कोरिया गणराज्य और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “केबल टाइम” के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 30 अक्टूबर, 2014 तक, जिसमें यह तिथि भी शामिल है, आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 733(अ) जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण पूरा होने तक दक्षिण अफ्रीका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “फिनोल” पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 30 अक्टूबर, 2014 तक, जिसमें यह तिथि भी शामिल है, आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 735(अ) जो 13 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा के अंतिम परिणामों के अनुसरण में स्विटजरलैण्ड और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “विटामिन ए पाल्मिटेट 1.7 एमआईयू/ग्राम और विटामिन ए पाल्मिटेट 1.0 एमआईयू/ग्राम (जिसमें विटामिन ए पाल्मिटेट 1.6 एमआईयू/ग्राम शामिल नहीं है)” के आयात पर पांच वर्ष की और अवधि तक निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि 736(अ) जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण पूरा होने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “डेक्लोफेनेक सोडियम” पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 9 अप्रैल, 2014 तक, जिसमें यह तिथि भी शामिल है, आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (55) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

- (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयर धारकों को आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के अप्रैल, 2013 से सितम्बर, 2013 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयर धारकों को आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के बारे में परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (56) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) बिहार ग्रामीण बैंक सेवा (संशोधन) विनियम, 2013 जो 24 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 247 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पंजाब ग्रामीण बैंक सेवा (संशोधन) विनियम, 2013 जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ:एचआरडी/2013/3874 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) यूपी ग्रामीण बैंक सेवा (संशोधन) विनियम, 2013 जो 17 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 305-टी/13 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) हरियाणा ग्रामीण बैंक सेवा (संशोधन) विनियम, 2013 जो 29 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचजीबी/एचआरडी/2013/3195 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 10 में प्रकाशित हुए थे।
- (57) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) सांकांनि 636(अ) जो 17 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 664(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांका० 659(अ) जो 26 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 36 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का०आ० 2522(अ) जो 21 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का०आ० 2523(अ) जो 21 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2467(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का०आ० 2560(अ) जो 22 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2467(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का०आ० 2607(अ) जो 26 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या 83/2013-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) का०आ० 2640(अ) जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) का०आ० 2641(अ) जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या 83/2013-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) का०आ० 2654(अ) जो 30 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) का०आ० 2676(अ) जो 5 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) का०आ० 2761(अ) जो 16 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) का०आ० 2802(अ) जो 16 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 95/2013-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) का०आ० 2814(अ) जो 19 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) का०आ० 2891(अ) जो 23 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 19 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 100/2013-सी०शु० (एन०टी०) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) का०आ० 2961(अ) जो 23 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) का०आ० 2997(अ) जो 3 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सत्रह) का०आ० 3112(अ) जो 15 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) का०आ० 3119(अ) जो 17 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) का०आ० 3277(अ) जो 29 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) का०आ० 3297(अ) जो 31 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) का०आ० 3397(अ) जो 7 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) का०आ० 3439(अ) जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (58) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 29 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 344(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 12 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 480(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 12 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 481(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 30 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 515(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2013 जो 30 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 516(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 5 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 529(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 5 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 5 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 531(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013 जो

5 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 532(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजीगत लेखा संव्यवहार) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 551(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 552(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 27 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 573(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (चौथा संशोधन) विनियम, 2013 जो 27 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 574(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 4 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 591(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2013 जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 595(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सौलह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 596(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (बारहवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 597(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 12 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 627(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) सांकांनि 624(अ) जो 12 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 29 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या फेमा 230/2012-आरबी का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(बीस) सांकांनि 625(अ) जो 12 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 25 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या फेमा 237/2012-आरबी का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(इक्कीस) सांकांनि 626(अ) जो 12 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 19 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या फेमा 243/2012-आरबी का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(59) 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 की पहली तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों तथा व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 9 दिसम्बर, 2013 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के 15वें सत्र के पहले भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 3 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

- (1) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013;
- (2) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2013; और
- (3) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2013।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने “दक्षिण-पश्चिम रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन” के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2013-2014) के छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बी०के० हान्डिक ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियोजन में आरक्षण और कल्याणकारी उपायों के बारे में चौथा प्रतिवेदन।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित ‘अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा तथा एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जे प्रदान किया जाना’ विषय पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

8. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र कुमार ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।
- (2) नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013 के बारे में 42वां प्रतिवेदन।
- (3) इलाहाबाद बैंक के स्थायी चालकों का आमेलन/नियमितकरण के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

9. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन# (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में 41वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 47वां प्रतिवेदन।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में 38वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 48वां प्रतिवेदन।
- (3) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में 39वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 49वां प्रतिवेदन।
- (4) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में 40वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 50वां प्रतिवेदन।
- (5) 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सतर्कता और निगरानी समितियों का कार्यकरण' के बारे में 46वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिस्वाल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2013-2014) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) 'वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन' विषय के बारे में 39वां प्रतिवेदन[§]।

ये प्रतिवेदन, लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 04 जनवरी, 2014 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

[§] यह प्रतिवेदन, लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 04 जनवरी, 2014 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

- (2) निःशक्तता मामले विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2013-2014 के बारे में 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।
- (3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2013-2014 के बारे में 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।
- (4) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2013-2014 के बारे में 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन।
- (5) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2013-2014 के बारे में 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

11. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी०के० बीजू ने 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक, 2013' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 261वां प्रतिवेदन** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री पी०के० बीजू ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

13. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री की ओर से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने 10 फरवरी, 2014 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

** प्रतिवेदन माननीय सभापति, राज्य सभा को 30 जनवरी, 2014 को प्रस्तुत किया गया और माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन अंग्रेषित किया गया।

अपराह्न 12.10 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा सोमवार, 10 फरवरी, 2014 के
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 10 फरवरी, 2014/21 माघ, 1935 (शक)

संख्या 349

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 262—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2849—3078 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने श्री नवीन जिन्दल और उनके पोलो टीम को इंडियन पोलो एसोसिएशन द्वारा आयोजित छह टूर्नामेंट जीतने पर सभा की ओर से बधाई दी।

अपराह्न 12.01 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्य, मुझे सर्वश्री मोडुगुल वेणुगोपाल रेड्डी, वी० अरुण कुमार, के० नारायण राव और एम० राजामोहन रेड्डी से मंत्री परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव की चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाना मेरा कर्तव्य है। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़े होना है ताकि मैं यह पता लगा सकूँ कि अनुमति दी गई है अथवा नहीं। अतः आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थानों पर चले जाएँ।”

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।
अपराह्न 12.02 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) का० आ० 21 (अ) जो 3 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (दो) का० आ० 3489 (अ) जो 26 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (तीन) का० आ० 3822 (अ) जो 27 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का० आ० 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2014 जो 2 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) पर्यावरण (संरक्षण) (तीसरा संशोधन)नियम, 2013 जो 11 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०कार्नि० 771(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 24 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-12/13/2/2010-पी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2013 जो 1 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां कां नि० 667(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) (एक) एस्टव्हाइल-बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) एस्टव्हाइल-बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) सीमेन्स प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गनाइजेशन, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सीमेन्स प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गनाइजेशन, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सीमेन्स प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गनाइजेशन, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनलाइसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनलाइसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) छावनी बोर्डों के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) छावनी बोर्डों के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एण्ड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एण्ड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) टेक्सटाइल्स कमिटी, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्सटाइल्स कमिटी, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2012-13 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2012-13 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) सिन्थेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिन्थेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) सिन्थेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिन्थेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) अप्पैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अप्पैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कॉरपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कॉरपोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (35) उपर्युक्त (34) की मद संख्या (घ) और (ङ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 3300 (अ) जो 1 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (37) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 3915 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जूट पैकेज सामग्रियों में खाद्यान्न और चीनी के पैकेज को अनिवार्य किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) वूल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) नेशनल इन्फोर्मेटिक सेन्टर सर्विसेज इनकोर्पोरेटिड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इन्फोर्मेटिक सेन्टर सर्विसेज इनकोर्पोरेटिड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (42) (एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पूणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पूणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) सेन्टर फॉर मेटैरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पूणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्टर फॉर मेटैरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पूणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 84(अ) जो 13 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जनवरी, 2014 के 15वें दिवस को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जब उक्त अधिनियम की धारा 93 और 94 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (47) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 27 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 664(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) कां आ 3067(अ) जो 9 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या कां आ 1049(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) कांआ 1795(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) कांआ 2490(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-वलाजापेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चार) कांआ 1861(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) कांआ 2030(अ) जो 5 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) कांआ 2086(अ) जो 7 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार एवं 220 (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सात) का०आ० 1791(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 2073(अ) जो 7 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुत्तानी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 1557(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अतिपल्ली-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 1655(अ) जो 20 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अतिपल्ली-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 64(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1301(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बारह) का०आ० 1823(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2177(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तेरह) का०आ० 3236(अ) जो 23 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (बिरमित्रपुर-बरकोटे खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 3247(अ) जो 25 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (होस्पेट-बेल्लारी-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

- (पंद्रह) का०आ० 3248(अ) जो 25 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पनीखोली-रिमुली-रॉक्सी-राजामुण्डा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सोलह) का०आ० 3443(अ) जो 14 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा से कानपुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 2794(अ) जो 24 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपास सहित) (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 2561(अ) जो 11 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नीस) का०आ० 105(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या चेन्नई बाईपास (फेज-1) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 113(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) का०आ० 2480(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-वलाजापेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बाईस) का०आ० 99(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67

(त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तेईस) का०आ० 2269 (अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 एवं 45 विस्तार (परियोजना शृंखला) (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 2206(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 2553(अ) जो 11 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) का०आ० 106(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2177(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्ताइस) का०आ० 2790(अ) जो 14 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अट्ठाईस) का०आ० 2556(अ) जो 11 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतीस) का०आ० 2462(अ) जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 194(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (तीस) का०आ० 2993(अ) जो 3 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (नरदाना गांव के नजदीक पुल और इसके अभिगम) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 426(अ) जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (आरओबी और अभिगम) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (बत्तीस) का०आ० 2121(अ) जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (अमरावती-महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतीस) का०आ० 2789(अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (भण्डारा-नागपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौत्तीस) का०आ० 2780(अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (जलगांव-महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतीस) का०आ० 2671(अ) जो 5 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (महाराष्ट्र खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 2090(अ) जो 9 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-सोलापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतीस) का०आ० 3075(अ) जो 9 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 22 (परवानू-सोलन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (अड़तीस) कांआ० 2372(अ) जो 6 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (जिंद बाईपास सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतालीस) कांआ० 2385(अ) जो 6 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चालीस) कांआ० 2387(अ) जो 6 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतालीस) कांआ० 1825(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग जोन, बंगलौर को हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (बयालीस) कांआ० 544(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतालीस) कांआ० 2465(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चवालीस) कांआ० 1919(अ) जो 19 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या कांआ० 968(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (पैतालीस) का०आ० 1982(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2182(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छियालीस) का०आ० 96(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़-रोहतक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतालीस) का०आ० 1369(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (जींद-रोहतक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तालीस) का०आ० 2242(अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1960(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनचास) का०आ० 1757(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (अम्बाला-जिरकपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचास) का०आ० 1914(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (जींद बाइपास सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यावन) का०आ० 1886(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बावन) का०आ० 2386(अ) जो 6 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तिरपन) का०आ० 557(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 973(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौवन) का०आ० 538(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचपन) का०आ० 2904(अ) जो 28 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छप्पन) का०आ० 2099(अ) जो 9 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 (होन्नीगनाहल्ली-तलाघड्डपुरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतावन) का०आ० 2741(अ) जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (सोलन-शिमला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठावन) का०आ० 2476(अ) जो 16 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पणजी-मंगलोर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनसठ) का०आ० 927(अ) जो 5 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (साठ) का०आ० 1240(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4

(धारवाड़-बेलगाम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (इकसठ) का०आ० 2107(अ) जो 9 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, के०आर० सर्किल, पीडब्ल्यूडी कम्पाउंड, बंगलौर को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 (हुलियार-सीरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (बासठ) का०आ० 2801(अ) जो 16 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 (बीजापुर-हुबली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरसठ) का०आ० 3099(अ) जो 14 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218, 63 और 4 को हुबली सिटी से जोड़ने वाले बाईपास के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौसठ) का०आ० 1240(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 (धारवाड़-बेलगाम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंसठ) का०आ० 1532(अ) जो 14 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ख, 12 और 113 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (छियासठ) का०आ० 1533(अ) जो 14 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सड़सठ) का०आ० 2792(अ) जो 16 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (अड़सठ) का०आ० 2517(अ) जो 21 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनहत्तर) का०आ० 2410(अ) जो 7 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1289(अ) को निरस्त किया गया है।
- (सत्तर) का०आ० 2411(अ) जो 7 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इकहत्तर) का०आ० 2145(अ) जो 12 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बहत्तर) का०आ० 1488(अ) जो 18 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित विशेष भूमि अर्जन अधिकारी को असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 और 37क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (तिहत्तर) का०आ० 69(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौहत्तर) का०आ० 8(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुंदुरपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचहत्तर) का०आ० 1794(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (छिहत्तर) का०आ० 1357(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अतिपल्ली-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतहत्तर) का०आ० 1859(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठहत्तर) का०आ० 1810(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नासी) का०आ० 68(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अस्सी) का०आ० 103(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यासी) का०आ० 1222(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरियालुर जिले के विशेष भूमि अर्जन अधिकारी को तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (बयासी) का०आ० 141(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पूनमेली-बलाजापेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरासी) का०आ० 99(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

- संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौरासी) का०आ० 10(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचासी) का०आ० 2535(अ) जो 11 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (डिंडीगुल-थेनी और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियासी) का०आ० 2647(अ) जो 25 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपास सहित) (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतासी) का०आ० 2547(अ) जो 11 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठासी) का०आ० 2769(अ) जो 12 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (तिरुचिरापल्ली-कराईकुडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नवासी) का०आ० 2479(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (डिंडीगुल-थेनी और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नब्बे) का०आ० 2259(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (इक्यानवे) का०आ० 267(अ) जो 13 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-वलाजापेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बानवे) का०आ० 2082(अ) जो 7 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरानवे) का०आ० 1818(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चोरानवे) का०आ० 1379(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचानवे) का०आ० 2121(अ) जो 8 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियानवे) का०आ० 2489(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतानवे) का०आ० 2486(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (अठानवे) का०आ० 1806(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (निन्यानवे) का०आ० 2424(अ) जो 10 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपास सहित) (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सौ) का०आ० 1797(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ एक) का०आ० 2092(अ) जो 7 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ दो) का०आ० 104(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तीन) का०आ० 132(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चार) का०आ० 1557(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अतिपल्ली-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ पांच) का०आ० 102(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ छह) का०आ० 1860(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सात) का०आ० 2538(अ) जो 11 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ आठ) का०आ० 2565(अ) जो 11 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ नौ) का०आ० 2464(अ) जो 28 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ दस) का०आ० 2642(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ ग्यारह) का०आ० 2770(अ) जो 12 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (कराईकुडी-रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ बारह) का०आ० 2633(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तेरह) का०आ० 2408(अ) जो 7 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 701 के खंडों को सीमा सड़क संगठन को सौंपे जाने के बारे में है।
- (एक सौ चौदह) का०आ० 3049(अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (अगरतला-सबरूम खण्ड) के विकास और रखरखाव का कार्य करने के लिए सीमा सड़क संगठन को निदेश दिए जाने के बारे में है।
- (एक सौ पंद्रह) का०आ० 3050(अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ सोलह) का०आ० 3047(अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (एक सौ सत्रह) का०आ० 3048(अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ अठारह) का०आ० 2796(अ) जो 16 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1035(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (एक सौ उन्नीस) का०आ० 2794(अ) और का०आ० 2794(अ) जो 16 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ बीस) का०आ० 415(अ) जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इक्कीस) का०आ० 1114(अ) जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152 (कैथल-नरवाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बाईस) का०आ० 1448(अ) जो 5 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (हिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तेईस) का०आ० 676(अ) जो 13 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-जींद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौबीस) का०आ० 980(अ) जो 17 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ पच्चीस) का०आ० 1560(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ छब्बीस) का०आ० 872(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (बिलासपुर-नेर चौक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सत्ताईस) का०आ० 2277(अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित भूमि अर्जन अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ अठ्ठाईस) का०आ० 617(अ) जो 11 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2241(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ उनतीस) का०आ० 1396(अ) जो 31 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (हरियाणा/पंजाब सीमा जींद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तीस) का०आ० 719(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (बिलासपुर से नेर चौक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इकतीस) का०आ० 2216(अ) जो 26 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ बत्तीस) का०आ० 2596(अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़-रोहतक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ तैंतीस) का०आ० 2088(अ) जो 7 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ चौतीस) का०आ० 2760(अ) जो 8 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ पैंतीस) का०आ० 2545(अ) जो 11 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ छत्तीस) का०आ० 2241(अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सब-डिवीजन अधिकारी (सिविल), सोलन को हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (वर्तमान श्रृंखला) (जिला सोलन और शिमला खण्ड में बाईपास सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (एक सौ सैंतीस) का०आ० 2179(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (परवानू-सोलन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ अड़तीस) का०आ० 656(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उनतालीस) का०आ० 1911(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चालीस) का०आ० 1232(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इकतालीस) का०आ० 756(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (किरतपुर-बिलासपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बयालीस) का०आ० 146(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ तैंतालीस) का०आ० 2304(अ) जो 29 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152 (नरवाना-सुरजेवाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चवालीस) का०आ० 2542(अ) जो 11 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ पैतालीस) का०आ० 2554(अ) जो 11 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ छियालीस) का०आ० 908(अ) जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सैंतालीस) का०आ० 901(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ अड़तालीस) का०आ० 570(अ) जो 7 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (जींद से हरियाणा/पंजाब सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उनचास) का०आ० 714(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 22 (परवानू से सोलन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ पचास) का०आ० 747(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 और 71 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इक्यावन) का०आ० 730(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़-रोहतक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बावन) का०आ० 894(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी को हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अम्बाला बाईपास के अंतर्गत अम्बाला से कैथल रोड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ तिरपन) का०आ० 2158(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौवन) का०आ० 2548(अ) जो 11 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ पचपन) का०आ० 2783(अ) जो 14 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खण्ड)

के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ छप्पन) का०आ० 2233(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सत्तावन) का०आ० 3220 (अ) जो 23 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ अठावन) का०आ० 3221 (अ) जो 23 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ उनसठ) का०आ० 3223 (अ) जो 23 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ साठ) का०आ० 3245 (अ) जो 25 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (चुराईबारी-अगरतला खण्ड) के विकास और रख-रखाव का कार्य करने के लिए सीमा सड़क संगठन को निदेश दिए जाने के बारे में है।
- (एक सौ इकसठ) का०आ० 3246 (अ) जो 25 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ बासठ) का०आ० 3401(अ) जो 8 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के उसमें उल्लिखित खण्डों

(पंजाब/हरियाणा सीमा जीद रोहतक खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

- (एक सौ तिरसठ) का०आ० 3402(अ) जो 8 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ चौंसठ) का०आ० 3486(अ) जो 26 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ पैंसठ) का०आ० 3487(अ) जो 26 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ छियासठ) का०आ० 3490(अ) जो 26 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 के उसमें उल्लिखित खण्डों को (सितारगंज-उत्तराखंड/यूपी सीमा और उत्तराखण्ड/यूपी सीमा-बरेली खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (एक सौ सड़सठ) का०आ० 3491(अ) जो 26 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ अड़सठ) का०आ० 561(अ) जो 7 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (सोलन-शिमला खण्ड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उनहत्तर) का०आ० 2518(अ) जो 21 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतूल-पंदुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ सत्तर) का०आ० 2566(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतूल-पंदुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इकहत्तर) का०आ० 2571(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (छिंदवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बहत्तर) का०आ० 2584(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 विस्तार (भोपाल-सांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तिहत्तर) का०आ० 3042(अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) (छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा/सिवनी जिला सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौहत्तर) का०आ० 1425(अ) जो 4 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (अमरवारा से छिंदवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ पचहत्तर) का०आ० 1717(अ) जो 17 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज से बेतुल खण्ड) के

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ छिहत्तर) का०आ० 1728(अ) जो 17 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रेवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सतहत्तर) का०आ० 2024(अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) (बेतुल/छिंदवाड़ा जिला सीमा से छिंदवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ अठहत्तर) का०आ० 2370(अ) जो 6 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोली-रेमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उनासी) का०आ० 2449(अ) जो 13 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (बिरमित्रपुर-बरकोटे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ अस्सी) का०आ० 2578(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इक्यासी) का०आ० 2567(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ बयासी) का०आ० 2579(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तिरासी) का०आ० 2580(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (बिरमित्रपुर-बरकोटे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौरासी) का०आ० 3019(अ) जो 4 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहारागोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ पचासी) का०आ० 2974(अ) जो 1 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ छियासी) का०आ० 3267(अ) जो 28 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (भुवनेश्वर-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सतासी) का०आ० 2347(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ अठासी) का०आ० 1976(अ) जो 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ नवासी) का०आ० 3076(अ) जो 9 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पनीकोयली-रेमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ नब्बे) का०आ० 2767(अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहारागोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इक्यानवे) का०आ० 3114(अ) जो 17 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बानवे) का०आ० 2944(अ) जो 30 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहारागोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तिरानवे) का०आ० 3020(अ) जो 4 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहारागोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौरानवे) का०आ० 2907(अ) जो 25 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ पचानवे) का०आ० 2768(अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहारागोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ छियानवे) का०आ० 2769(अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहारागोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ सतानवे) का०आ० 2743(अ) जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ अठानवे) का०आ० 2581 (अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (बिरमित्रपुर-बरकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ निन्यानवे) का०आ० 2582 (अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो सौ) का०आ० 2781 (अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (बिरमित्रपुर-बरकोट खण्ड) के

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (दो सौ एक) का०आ० 2773 (अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहारागोरा-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ दो) का०आ० 2740 (अ) जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ तीन) का०आ० 2942 (अ) जो 30 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो सौ चार) का०आ० 2636 (अ) जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (खेड-सिन्नार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ पांच) का०आ० 2489 (अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ छह) का०आ० 2672 (अ) जो 5 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (जलगांव-महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (दो सौ सात) का०आ० 2586 (अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (येदशी-औरंगाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ आठ) का०आ० 1450 (अ) जो 5 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 795(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (दो सौ नौ) का०आ० 1417 (अ) जो 4 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (पनवेल-इंदापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ दस) का०आ० 2242 (अ) जो 20 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ ग्यारह) का०आ० 1228 (अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 219(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो सौ बारह) का०आ० 2200 (अ) जो 18 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ तेरह) का०आ० 2128 (अ) जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (पल्लावरम गांव में एयरपोर्ट जंक्शन पर अलांदुर तालुक में पल्लावरम कंटोनमेंट और मीनाम्बक्कम गांव, कांचीपुरम जिला) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो सौ चौदह) का०आ० 2379(अ) जो 6 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 3086(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो सौ पन्द्रह) का०आ० 1465(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अतीपल्ली-कृष्णागिरि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(दो सौ सोलह) का०आ० 1896(अ) जो 17 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो सौ सत्तरह) का०आ० 1796(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(दो सौ अठारह) का०आ० 2201(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो सौ उन्नीस) का०आ० 2116(अ) जो 8 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जून, 2012

की अधिसूचना संख्या का०आ० 1377(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (दो सौ बीस) का०आ० 1329(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अतीपल्ली-कृष्णगिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ इक्कीस) का०आ० 1478(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिडीवनम-कृष्णगिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ बाईस) का०आ० 159(अ) जो 14 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (येदशी-औरंगाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ तेईस) का०आ० 1272(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (औरंगाबाद-धुले खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ चौबीस) का०आ० 1342(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (अमरावती-महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ पच्चीस) का०आ० 1419(अ) जो 4 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कंपटी-कन्हन बाईपास से नागपुर-

हैदराबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (दो सौ छब्बीस) का०आ० 748(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव से धुले खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ सत्ताईस) का०आ० 764(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (दो सौ अठाईस) का०आ० 1753(अ) जो 19 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हट्टूर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ उनतीस) का०आ० 1341(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पीम्पलगांव-नासिक-गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ तीस) का०आ० 712(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (जलगांव-महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ इकतीस) का०आ० 526(अ) जो 6 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (महाराष्ट्र खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (दो सौ बत्तीस) का०आ० 723(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (औरंगाबाद, जलगांव और धुले खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो सौ तैंतीस) का०आ० 1340(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (अमरावती-महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (49) उपर्युक्त (48) की मद संख्या (223) से (226) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2013 जो 21 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11011/17/2012-एचआरआई (खण्ड 15) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू और एसईजैड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू और एसईजैड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (53) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (54) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (55) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2013 जो 9 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 469(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) बॉइलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उपधारा (2) के अंतर्गत बॉइलर अपील नियम, 2013 जो 28 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 711(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) नेशनल प्रोडक्टीविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल प्रोडक्टीविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेन्ट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल, बल्लभगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेन्ट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल, बल्लभगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि० 655(अ) जो 25 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रक्षोपाय (परिमाणात्मक निर्बंधन) नियम, 2012 के नियम 3(1) के प्रयोजनार्थ श्री जयकांत सिंह, विदेशी व्यापार अपर महानिदेशक को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) (एक) मैरिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) मैरिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. लोक उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने लोक उपक्रमों संबंधी निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान का भण्डारण, प्रबंधन और संचलन के बारे में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 13 पर अंशतः आधारित भारतीय खाद्य निगम के संबंध में 29वां प्रतिवेदन।
- (2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक वर्ष 2011-2012 की रिपोर्ट संख्यांक 3 के लेखापरीक्षा पैरा सं० 2.5 पर आधारित मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की ओर से वैश्वासिक हैसियत में धारित निलंब लेख खाते से अप्राधिकृत प्रत्याहरण किए जाने के बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में 30वां प्रतिवेदन।
- (3) पवन हंस लिमिटेड के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) रक्षा मंत्री ने सर्वश्री यशवीर सिंह और नीरज शेखर, संसद सदस्यों द्वारा “रक्षा सौदों में अनियमितताएं” के बारे में 16 दिसम्बर, 2013 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 144 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य रखा।
- (2) कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2013-2014) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य रखा।
- (3) श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2013-2014) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के

35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(4) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य रखा:—

(1) “खाद्यान्नों का निर्यात-प्रीमियम नोन-बासमती चावल और गेहूँ” के बारे में 103वाँ प्रतिवेदन।

(2) ‘कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का निर्यात संवर्धन’ के बारे में 104वाँ प्रतिवेदन।

8. मसाला बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री आनंद शर्मा की ओर से डॉ० ई० एम० सुदर्शन नाचीयप्पन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के उपनियम 4(1) और नियम 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.11 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में रेलों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 12.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (3) डॉ० चार्ल्स डिएस द्वारा केरल के कोचीन कैंसर उपचार और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा देश में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री अवतार सिंह भडाना द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सराई ख्वाजा में जहां उपरिपुल का निर्माण किया गया है उसी स्थान पर एक अंडर ब्रिज का भी निर्माण करने, बामनीखेडा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर एक उपरिपुल और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तिगांव से जसाना और मुण्डकटी से हसनपुर के बीच सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री मोहम्मद असरारूल हक द्वारा बिहार के किशनगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा बांसवाडा, राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पेयजल योजनाओं और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को सड़कों के द्वारा जोड़ने के लिए निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) डॉ० बलीराम द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ रेलवे स्टेशन में समपार पर बने उपरिपुल की चौड़ाई बढ़ाने और वहां पर दूसरे और तीसरे रेलवे प्लेटफार्मों का निर्माण करने तथा आजमगढ़ जिले के फरिहौं और सरायमीर में कैफियत एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री पूर्णमासी राम द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के दूसरे चरण को आरंभ करने और इस योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र के नए गांवों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) डॉ० रत्ना डे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन मरीजों के स्वास्थ्य की देखरेख सुनिश्चित करने के लिए देश से बाहर चिकित्सकों के प्रतिभा पलायन को रोकने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री पी०आर० नटराजन द्वारा देश में सरकारी रियायतों का लाभ उठाने वाले निजी कॉर्पोरेट अस्पतालों/चैरिटेबल अस्पतालों में निर्धन मरीजों को निःशुल्क उपचार

सुविधा दिए जाने संबंधी नियमों और दिशानिर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए दंडात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (13) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा लौह अयस्क पर रॉयल्टी को बढ़ाए जाने और खननकर्ताओं को प्राप्त अतिरिक्त किराए पर खनिज संसाधन रेंट कर लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.11 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 11 फरवरी, 2014 के
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 (शक)

संख्या 350

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 9 फरवरी, 2014 को उड़ीसा के संबलपुर में हीराकुंड बांध के जलाशय में एक मोटरबोट के डूब जाने के कारण महिलाओं और बच्चों समेत 10 व्यक्तियों की मृत्यु होने और अन्य कई व्यक्तियों के लापता हो जाने के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 11 फरवरी, 2014 को पश्चिम बंगाल में मालदा के समीप एक ट्रक की कार से टक्कर होने के कारण 16 व्यक्तियों की मृत्यु होने और 3 अन्य व्यक्तियों के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 281—300 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3079—3308 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्य, मुझे सर्वश्री एल० राजगोपाल, एम० राजामोहन रेड्डी, सब्बम हरि और के० नारायण राव से मंत्री परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव की चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाना मेरा कर्तव्य है। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़े होना है ताकि मैं यह पता लगा सकूँ कि अनुमति दी गई है अथवा नहीं। अतः आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं।”

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) ओडिशा राज्य में लौह तथा मैंगनीज़ अयस्कों (खण्ड एक, दो, दो क, तीन, चार और पांच) के अवैध खनन से संबंधित न्यायमूर्ति एम०बी० शाह जांच आयोग का पहला प्रतिवेदन—जून, 2013।
 - (दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।
- (2) (एक) नॉर्थ-ईस्ट ज़ोन कल्चर सेन्टर, दीमापुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नॉर्थ-ईस्ट ज़ोन कल्चर सेन्टर, दीमापुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) संगीत नाटक एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) संगीत नाटक एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) साहित्य एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहित्य एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेहरू मैमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू मैमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) (एक) ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैन्डर्ड्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैन्डर्ड्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों (अनुज्ञापितकरण आवश्यकताएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) को हटया जाना आदेश, 2013 जो 27 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2927(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों (अनुज्ञापितकरण आवश्यकताएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) (दूसरा संशोधन) को हटया जाना आदेश, 2013 जो 29 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 3543(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों (अनुज्ञापितकरण आवश्यकताएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) (संशोधन) को हटया जाना आदेश, 2014 जो 10 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का०आ० 77(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (13) (एक) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्म्युलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्म्युलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (20) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 389 के अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (जल-निकास) उप-विधि, 2012 जो 23 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/3/2007/यूडी/एमबी/13393 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 10 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या एफ० 4/3/2007/यूडी/एमबी/17550 में प्रकाशित हुआ था।
- (21) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013 जो 24 सितम्बर, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13/17/2002/एच०पी-आई/स्थाप०/3445 से 3448 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013 जो 24 सितम्बर, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13/3/2004/एच०पी-आई/स्थाप०/3449 से 3452 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013 जो 24 सितम्बर, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13/38/2009/एच०पी-आई/स्थाप०/3422 से 3525 में प्रकाशित हुए थे।
- (22) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) मई, 2007 से नवम्बर, 2009 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा चौथे प्रतिवेदन का दिसम्बर, 2009 से मई, 2010 तक का अनुपूरक प्रतिवेदन।
- (दो) मई, 2007 से मई, 2010 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली का चौथे वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) डॉ० अंबेडकर फाउण्डेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-1993 से वर्ष 2011-2012 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) डॉ० अंबेडकर फाउण्डेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-1993 से वर्ष 2011-2012 तक के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) वर्ष 2012 के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21(4) के अंतर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 जो 12 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या सांकाणि 776(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेंट फन्ड ऑर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोल माइन्स प्रोविडेंट फन्ड ऑर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (33) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सीमा सुरक्षा बल इंजीनियरिंग (सिविल) संयोधी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 जो 19 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 642(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय, वरिष्ठ जेस्टेनर संचालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 जो 1 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 721(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सीमा सुरक्षा बल इंजीनियरिंग सेट अप (सिविल) संयोधी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 जो 19 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 739(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सीमा सुरक्षा बल वायु स्कंध अधिकारी (समूह 'क' योधक पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013 जो 19 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 643(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (34) असम राईफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) असम राईफल्स वारंट अधिकारी (रेडियो मैकेनिक) समूह 'ग' योधक पद भर्ती नियम, 2012 जो 18 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 208 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) असम राईफल्स रेडियो मैकेनिक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 जो 15 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 152 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) असम राईफल्स, फार्मासिस्ट, समूह 'ग' योधक पद, भर्ती नियम, 2013 जो 2 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 55 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) असम राईफल्स वारंट अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ग' योधक पद भर्ती नियम, 2012 जो 16 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 142 में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) असम राईफल्स ट्रेड्समैन (समूह 'ग' योधक पद) भर्ती नियम, 2013 जो 1 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 142 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) असम राईफल्स (परा चिकित्सीय संवर्ग) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 जो 24 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 205 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) असम राईफल्स, नायब सूबेदार (सामान्य ड्यूटी), समूह 'ख' योधक पद भर्ती नियम, 2013 जो 5 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 672(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) असम राईफल्स वारंट अधिकारी (निजी सहायक) भर्ती नियम, 2013 जो 6 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 78 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) असम राईफल्स हवलदार (लिपिक) भर्ती नियम, 2013 जो 6 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 79 में प्रकाशित हुए थे।
- (35) (एक) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, उपनिरीक्षक (कार्यपालक) भर्ती नियम, 2013 जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 783(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, सहायक उपनिरीक्षक (कार्यपालक) भर्ती नियम, 2013 जो 24 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 788(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (38) भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 30 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 712(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन्टरप्रन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन्टरप्रन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) नेशनल मीट एण्ड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल मीट एण्ड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रोप प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रोप प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) वेस्टबंगाल लाइवस्टॉक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) वेस्टबंगाल लाइवस्टॉक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (45) (एक) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर कोरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर कोरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर कोरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) कर्नाटक केश्यु डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कर्नाटक केश्यु डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (50) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (51) (एक) नेशनल लेबर कॉर्पोरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल लेबर कॉर्पोरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 3554(अ) जो 2 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो क्लोरिप्रोफोस 50 प्रतिशत + साइपरमेथ्रीन 5 प्रतिशत ईसी फोर्मूलेशन के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 (4) के अंतर्गत प्रदान किए गए सभी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों के प्रत्यावर्तन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 2934(अ) जो 27 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो क्लोरिप्रोफोस 50 प्रतिशत + साइपरमेथ्रीन 5 प्रतिशत ईसी

फोर्मूलेशन के लिए मैसर्स घादा केमिकल्स लिमिटेड के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रत्यावर्तन के बारे में है।

- (54) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) आर्टिफिशियल लिंब्स मैनुफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आर्टिफिशियल लिंब्स मैनुफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (57) (एक) ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (59) (एक) रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (1) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल)(2013 का संख्यांक 25) अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (खण्ड दो)।
 - (2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—(2013 का संख्यांक 27)—राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई), विद्युत मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोविन्द चन्द्र नास्कर ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित “नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन” विषय पर 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन।
- (2) वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग से संबंधित “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन और उनके लिए बैंक द्वारा प्रदान की जा रही ऋण सुविधाएं” विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन।

6. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बी० के० हान्डिक ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 36वां प्रतिवेदन।
- (2) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

- (3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित लम्बित आशवासनों की समीक्षा के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

7. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, इन्टरप्रन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 57वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (2) कोयला मंत्री ने कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से खान मंत्री ने भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों के बारे में रसायन तथा उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति (भेषज विभाग) के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

9. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

डॉ० भीमराव अम्बेडकर स्मारक के लिए मुम्बई में कतिपय क्षेत्र का अर्जन विधेयक, 2014

*अपराहन 12.11 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, लिम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री सतपाल महाराज द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण नीति कार्यान्वित किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.09 बजे से अपराहन 12.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के मामले उठाए।

- (2) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैसूर-बानूर मालवली, कोलेगल-मेत्तुर-सेलम और नंजनगुड-चामराजनगर राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश के सिरिसिल्ला में विद्युत करघा क्षेत्र के लिए कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री के० सुधाकरण द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सामुदायिक कॉलेज योजना को स्थगित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में वनाज़-रामवाडी कॉरीडोर में मेट्रो परियोजना की लागत में केन्द्र सरकार का हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री इज्यराज सिंह द्वारा राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चंबल नदी पर पुल का पुनर्निर्माण किए जाने और इस प्रयोजनार्थ आवश्यक निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री मानिक टैगोर द्वारा तमिलनाडु के विल्लूपुरम जिले में कयर पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक नई इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन से बद्रीनाथ मंदिर को आसन्न खतरे का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा रेलवे द्वारा रेललाईनों के नीचे से किसानों को बिना किसी शुल्क के पानी की पाईपलाइन बिछाने हेतु अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा दिल्ली और मेरठ के बीच उच्च गति रेल परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (12) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जेठवाडा से लालगोपालगंज और कुंडा तहसील से खनवाडी तक सड़कों का निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) प्रो० सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के ऋणों पर ब्याज के भुगतान को स्थगित करने और ऋणों का पुनःनिर्धारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्रीमती जे० हेलन डेविडसन द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मेडिकल कॉलेज परिसर में 100 बिस्तरों वाला ई०एस्०आई० हॉस्पिटल स्थापित किए जाने हेतु अपेक्षित भूक्षेत्र के मानदंड में छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री एस्० सेम्मलई द्वारा तमिलनाडु में सेल रिफ्रेक्टरी कम्पनी लिमिटेड, सेलम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री पी० लिंगम द्वारा एमपीलैड योजना के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले अनुमति प्राप्त कार्यों की सूची से नालों के निर्माण को हटाए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार में विभिन्न जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल किए जाने की उनकी मांगों पर गौर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्रीमती पुतुल कुमारी द्वारा बिहार के बांका जिले में रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने और उस क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए स्टेशन पर एक भांडागार स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.11 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 12 फरवरी, 2014 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस्० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 12 फरवरी, 2014/23 माघ, 1935 (शक)

संख्या 351

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 302—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3309—3315, 3317—3532 और 3534—3538 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यों, मुझे सर्वश्री आर० सांबासिवा राव, एम० वेणुगोपाल रेड्डी और एम० राजा मोहन रेड्डी से मंत्री परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाना मेरा कर्तव्य है। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं

उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़े होना है ताकि मैं यह पता लगा सकूँ कि अनुमति दी गई है अथवा नहीं। अतः आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने-अपने स्थानों पर चले जाएँ।”

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनःसमायोजन (तीसरा) अध्यादेश, 2013 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संविधान में यथापरिकल्पित पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अधिसूचना संख्या ओएन० 3(अ) जो 13 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 की अनुसूची 2 और अनुसूची 28 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) सेन्ट्रल गवर्नमेंट इम्प्लोइज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेन्ट्रल गवर्नमेंट इम्प्लोइज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) श्री पबन सिंह घाटोवार तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

तेरहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 35 दसवां सत्र, 2002

चौदहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या 29 तीसरा सत्र, 2004
 3. विवरण संख्या 29 चौथा सत्र, 2005
 4. विवरण संख्या 29 सातवां सत्र, 2006
 5. विवरण संख्या 25 नौवां सत्र, 2006
 6. विवरण संख्या 22 तेरहवां सत्र, 2008
 7. विवरण संख्या 16 पन्द्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

8. विवरण संख्या 18 दूसरा सत्र, 2009
 9. विवरण संख्या 16 तीसरा सत्र, 2009
 10. विवरण संख्या 16 चौथा सत्र, 2010
 11. विवरण संख्या 13 पांचवां सत्र, 2010
 12. विवरण संख्या 12 छठा सत्र, 2010
 13. विवरण संख्या 10 सातवां सत्र, 2011
 14. विवरण संख्या 10 आठवां सत्र, 2011
 15. विवरण संख्या 9 नौवां सत्र, 2011
 16. विवरण संख्या 8 दसवां सत्र, 2012
 17. विवरण संख्या 6 ग्यारहवां सत्र, 2012
 18. विवरण संख्या 5 बारहवां सत्र, 2012
 19. विवरण संख्या 4 तेरहवां सत्र, 2013
 20. विवरण संख्या 2 चौदहवां सत्र, 2013

- (6) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 1 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 119(अ) जो 16 जनवरी, 2014 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 जनवरी, 2014 को उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत तलाश समिति (संरचना, सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें और निर्बंधन तथा लोकपाल के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नाम तालिका के चयन का तरीका) नियम, 2014 जो 24 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाग्नि० 31(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, वारंगल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, वारंगल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सूरथकल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सूरथकल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्दौर, इन्दौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्दौर, इन्दौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिल्चर, कछाड़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिल्चर, कछाड़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (45) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत अवर श्रेणी लिपिक-सह-टंकक की भर्ती (अंग्रेजी/हिन्दी), 2011 (संशोधित) जो 24 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 789(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या कांआ 1(अ) जो 1 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 10 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या कांआ 1199(अ) के माध्यम से प्रकाशित कम आबादी वाले आवासीय क्षेत्र से संबंधित नीति के अंतर्गत फार्महाउस के संबंध में अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो का इस्तेमाल करने के लिए प्रभारों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या कांआ 3598(अ) जो 7 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या कांआ 2272(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
(क) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. याचिका समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18.5.2012 के कांज़ा के गलत निर्वाचन के बारे में श्री निशिकांत एन० भोजने से प्राप्त अभ्यावेदन से संबंधित 33वां प्रतिवेदन।
- (2) कोयला खान स्कूलों के अध्यापकों को उच्चतर वेतनमान दिए जाने के बारे में श्री बी० के० सिंह, महासचिव, कोयला खदान शिक्षक मोर्चा से प्राप्त तथा श्री जॉर्ज फर्नांडिस, पूर्व-संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित प्रत्यावेदन के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन, 14वीं लोक सभा में याचिका समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी० करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० (प्रो०) थोकचोम मैन्या ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित “साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा और निजता का अधिकार” विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2013-2014) का 52वाँ प्रतिवेदन।
- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित “टेलीकॉम टॉवरों की स्थापना हेतु मानक, उसका हानिकारक प्रभाव तथा दूरभाष सुविधाओं के विस्तार में सुरक्षा मानकों को स्थापित करना” विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2013-2014) का 53वाँ प्रतिवेदन।

9. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राज बब्बर ने “सैनिक स्कूलों के कार्यकरण की निर्णायक समीक्षा” के बारे में 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री राज बब्बर ने “तटरक्षक संगठन का कार्यनिष्पादन” के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. रसायन तथा उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने उर्वरक विभाग से संबंधित “उर्वरकों का मूल्य निर्धारण” के बारे में रसायन तथा उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2013-2014) के 39वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) जनजातीय कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सूचीबद्ध करने से संबंधित मुद्दों का समाधान करने हेतु एक कार्यबल के गठन तथा तत्संबंधी मामलों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

- (2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री की ओर से शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- *(3) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 69वें और 77वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

13. अंतरिम बजट (रेल)—2014-2015

#श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने वर्ष 2014-2015 के लिए अंतरिम रेल बजट प्रस्तुत किया।

14. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2013-2014

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने वर्ष 2013-2014 के लिए बजट (रेल) की अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.21 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा ओडिशा के सम्बलपुर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एम० कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में जिंजी शहर को एक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित और विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.20 बजे

#उन्होंने अपने भाषण का अंश सभा पटल पर भी रखा।

- (3) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ब्यावर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एम०आई० शानवास द्वारा रबड़ के खरीद मूल्य में भारी गिरावट के कारण परेशान रबड़ उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को झारखंड के चन्द्रपुरा, बोकारो और कोनार डैम क्षेत्र में इसके निगमित सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत विकास कार्य शुरू किए जाने हेतु निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री गणेश सिंह द्वारा देश में किसानों को एक बेहतर बीमा कवर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र के खेतुड़ी, घटवाल-घटवार और अन्य समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री दानवे रावसाहेब पाटील द्वारा देश में किसानों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री सुदर्शन भगत द्वारा देश में मानव तस्करी की समस्या से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डॉ० मिर्जा महबूब बेग द्वारा जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जमीन और फल वाले उद्यानों के लिए क्रमशः किराए और मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.21 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार, 13 फरवरी, 2014 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 13 फरवरी, 2014/24 माघ, 1935 (शक)

संख्या 352

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री सीता राम सिंह के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 322—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3539—3768 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.02 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

5. नियम 374क के अधीन सभा की सेवा से सदस्यों का निलम्बन

अध्यक्ष ने नियम 374क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों का नाम लिया और वे सभा की पांच लगातार बैठकों अर्थात् 13, 17, 18, 19 और 20 फरवरी, 2014 के लिए सभा की सेवा से स्वतः निलम्बित हो गए:—

1. श्री सब्बम हरि
2. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी
3. डॉ० एन० शिवप्रसाद
4. श्री रायापति सांबासिवा राव
5. श्री एन० कृष्ण
6. श्री वाई०एस० जगन मोहन रेड्डी
7. श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी
8. श्री एस०पी०वाई० रेड्डी
9. श्री के० नारायण राव
10. श्री एम० राजा मोहन रेड्डी
11. श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी
12. श्री वी० अरूण कुमार
13. श्री ए० साई प्रताप
14. श्री एल० राजगोपाल
15. श्री के०आर०जी० रेड्डी
16. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी

अपराहन 2.02 बजे

6. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि उन्हें मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तथापि, चूंकि सभा में व्यवस्था नहीं थी, वह 50 सदस्यों की गिनती कर पाने की स्थिति में नहीं थीं।

अतः सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 2.03 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराहन 3.01 बजे

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 17 फरवरी, 2014 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक
के लिए स्थगित हुई।)*

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 (शक)

संख्या 353

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्य वर्षीय आर्थिक समीक्षा, 2013-2014 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फ़ैमिली वेलफ़ेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फ़ैमिली वेलफ़ेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फ़ैमिली वेलफ़ेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2009—2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम, 2014 जो 10 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 13(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छह माह प्रशिक्षण) नियम, 2014 जो 10 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 14(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (25) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में विद्युत उपस्कर विनिर्माण क्षमता का विस्तार तथा उपयोग के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2013 का संख्यांक 26)—(अनुपालन लेखापरीक्षा) प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कोटा का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ)(एक)एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (27) उपर्युक्त (26) की मद संख्या (ख और ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलाक्कड के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलाक्कड के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अनुसूची I और II संशोधन आदेश, 2013 जो 3 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 19(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) भारतीय विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (32) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी दामोदर घाटी निगम (निगम के सभापति, सदस्य और सदस्य-सचिव का वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें) नियम, 2013 जो 28 दिसम्बर, 2013 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 802(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (34) दामोदर घाटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांका 2496(अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 अगस्त, 2013 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांका 3641(अ) जो 11 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा लाइनर पोतपरिवहन उद्योग के वेसेल शेयरिंग करारों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन के 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 57वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) महिला समाख्या उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) महिला समाख्या उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) असम महिला समता सोसायटी, दिसपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) असम महिला समता सोसायटी, दिसपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसायटी, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसायटी, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान एण्ड मॉडल स्कूल समिति, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान एण्ड मॉडल स्कूल समिति, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) (एक) मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र (राजीव गांधी शिक्षा मिशन), भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र (राजीव गांधी शिक्षा मिशन), भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

- (61) (एक) यूनिजन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी दादर एण्ड नगर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनिजन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी दादर एण्ड नगर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) (एक) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(69) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(70) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

*(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष के निदेशों में संशोधन और उपांतरण

महासचिव ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों में संशोधनों और उपांतरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

3. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री कमल नाथ ने कार्य मंत्रणा समिति का 55वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती मेनका गांधी ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (सहमति की गई) के बारे में 39वां प्रतिवेदन।
- (2) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (सहमति नहीं दी गई) के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

5. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

राजकुमारी रत्ना सिंह ने 'यौन उत्पीड़न और देह व्यापार के पीड़ित और उनका पुनर्वास' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के विवरण

राजकुमारी रत्ना सिंह ने निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'आशा (एएसएचए) में कार्य करने की परिस्थिति' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2009-2010) के चौथे प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2010-2011) के 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।
- (2) 'सशस्त्र बलों में महिलाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2010-2011) के 10वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2011-2012) के 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।
- (3) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मगनरेगा) और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करना' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2011-2012) के 14वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2012-2013) के 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

7. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2013-2014) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012' के संबंध में 83वां प्रतिवेदन।
- (2) 'सूक्ष्म वित्त संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012' के संबंध में 84वां प्रतिवेदन।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पन्ना लाल पुनिया ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'कच्चे तेल के दीर्घावधि क्रय नीति और रणनीतिक भण्डारण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2012-2013) के 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (2) 'तेल उद्योग विकास बोर्ड का कार्यकरण' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2013-2014) का 23वां प्रतिवेदन।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ० महबूब बेग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2013-2014) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और अध्याय पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने के संबंध में समिति के विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'पेट्रोलियम उत्पादों की कम वसूलियों की चुनौतियाँ' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 14वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2012-2013)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2012-2013) के 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 15वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (3) 'तेल संस्थापनों की सुरक्षा' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2012-2013) के 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 17वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

10. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2013-2014) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 27वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (3) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी भूमि और कालोनियों के अनधिकृत कब्जे पर रोक लगाने में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की भूमिका तथा सरकारी भवनों के अनुरक्षण में उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन' के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 29वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (4) 'भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 30वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

11. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) असम विधान परिषद विधेयक, 2013 के बारे में 70वां प्रतिवेदन।
- (2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में 58वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई उत्तरों संबंधी 71वां प्रतिवेदन।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) *गृह मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यों की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।
- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।
- (3) वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 100वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 105वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।
- (4) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।
- (5) शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

13. अंतरिम बजट (सामान्य)—2014-15

श्री पी० चिदम्बरम ने वर्ष 2014-2015 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.06 बजे

14. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

श्री पी० चिदम्बरम ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

- (1) वृहत्-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

*पूर्वाह्न 11.09 बजे

- (2) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और
- (3) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

15. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

वित्त विधेयक, 2014

अपराह्न 12.07 बजे

16. वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री पी० चिदम्बरम ने वर्ष 2013-2014 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.08 बजे

17. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री के० जयप्रकाश हेगड़े द्वारा डॉ० कस्तूरीरंगन की पश्चिमी घाटों संबंधी रिपोर्ट की सिफारिशों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा खोए हुए संचार उपकरणों का असामाजिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से उनके खोए जाने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशनों में दर्ज कराए जाने को अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल पैसेंजर एंड कार्गो हब एयरपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु वायु सेना द्वारा महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कम्पनी को भूमि का हस्तांतरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा देश में कृषि उत्पादों के लिए लाभाकारी मूल्यों का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री एम० कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु के चेर्यूर में खाली पड़ी भूमि पर औद्योगिक विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री के० पी० धनपालन द्वारा केरल के कोच्चि में स्थित हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में नए फिनोल और एसिटोन संयंत्र स्थापित किए जाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (7) श्री हंसराज गं० अहीर द्वारा महाराष्ट्र में पृथक विदर्भ राज्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा छोटे और मध्यम उद्यमों संबंधी नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री गणेश सिंह द्वारा गोवा में खनन गतिविधियों की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री राधे मोहन सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में 17 जातियों के पिछड़े लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री मंगनी लाल मंडल द्वारा बिहार के मधुबनी जिले में पूर्व-पश्चिम गलियारे के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 को चार लेन का बनाए जाने हेतु जिन विस्थापितों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनको तत्काल मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री पी० करुणाकरन द्वारा देश में सुपारी पर प्रस्तावित प्रतिबंध को वापस लेने एवं सुपारी उत्पादकों हेतु पुनर्वास पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री के० सुगुमार द्वारा पोल्लाची के रास्ते डिंडीगुल और पालक्काड तथा पोल्लाची और पोथानूर के बीच रेललाइनों के आमाम परिवर्तन कार्य को तेजी से पूरा किए जाने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बिहार के बक्सर-आरा-पटना खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने हेतु कार्य आरंभ करने और सोन नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री राजू शेट्टी द्वारा लिंगायत धर्म को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

18. (एक) सरकारी संकल्प; (दो) अंतरिम बजट (रेल)—2014-15; (तीन) लेखानुदानों की माँगें (रेल)—2014-15; और (चार) अनुदानों की अतिरिक्त माँगें (रेल)—2013-14

लिया गया समय : 23 मिनट

सरकारी संकल्प—स्वीकृत

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व, आदि को संदेय लाभांश की दर की

समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के छठे प्रतिवेदन, जो 8 मई, 2013 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 86 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।”

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा एक साथ की गई:—

- (i) सरकारी संकल्प;
- (ii) अंतरिम बजट (रेल)—2014-15 पर सामान्य चर्चा;
- (iii) अंतरिम बजट (रेल)—2014-15 के संबंध में अनुदानों की माँग संख्या 1 से 16; और
- (iv) बजट (रेल)—2013-14 के संबंध में अनुदानों की अतिरिक्त माँग संख्या 8, 10, 13, 15 और 16

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“सभा में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके वर्ष 2014-15 के बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं, यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करने के इच्छुक हैं तो उन कटौती प्रस्तावों, जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं, की क्रम संख्या दर्शाते हुए सभा पटल पर 15 मिनट के भीतर पर्चियां भेजें। केवल उन कटौती प्रस्तावों जिनके संबंध में पर्चियां सभा पटल पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त होती हैं, को ही पेश किया हुआ समझा जाएगा।”#

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. *श्री अर्जुन मेघवाल
2. श्रीमती सुषमा स्वराज
3. **श्री मुलायम सिंह यादव

निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखा:—

1. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
2. श्री सतपाल महाराज
3. श्री वीरेन्द्र कश्यप
4. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण

#कोई भी कटौती प्रस्ताव पेश किया हुआ नहीं समझा गया क्योंकि कोई पर्ची प्राप्त नहीं हुई।

*उनके लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

**अपराह्न 12.30 बजे।

5. श्री आर० धुवनारायण
6. श्री शैलेन्द्र कुमार
7. श्री राकेश सिंह
8. श्री पी० एल० पुनिया
9. श्री गणेश सिंह
10. श्री राधे मोहन सिंह
11. श्री विजय बहादुर सिंह
12. डॉ० संजय जायसवाल
13. श्री मिथिलेश कुमार
14. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
15. श्री राम सिंह कस्वां
16. श्री बालकृष्ण के० शुक्ल
17. डॉ० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
18. श्रीमती पूनम बेलजीभाई जाट
19. डॉ० रत्ना डे नाग
20. श्रीमती सुमित्रा महाजन
21. श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले
22. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
23. डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
24. श्रीमती ज्योति धुर्वे
25. एडवोकेट गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
26. श्री आर० थामराईसेलवन
27. श्री दिनेश चन्द्र यादव

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पेश किया गया सरकारी संकल्प स्वीकृत हुआ।

2014-2015 के अंतरिम बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांगों संख्या 1 से 16 के संबंध में वर्ष 2014-2015 के लिए लेखानुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

2013-2014 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें संख्या 8, 10, 13, 15 और 16 के संबंध में वर्ष 2013-2014 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

19. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2014

20. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2014

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा विधेयक पर विचार किया जाने वाला प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

21. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2014

22. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2014

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने वाला प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 12.32 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार 18 फरवरी, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शंखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

मंगलवार, 18 फरवरी, 2014/29 माघ, 1935 (शक)

संख्या 354

पूर्वाह्न 11.01 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री भीम सिंह पटेल के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 342—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3769—3871, 3873—3969 और 3971—3998 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) लेखा वर्ष 2012-2013 की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर निम्नलिखित संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
 - (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे।
 - (चार) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद्, चेन्नई।
- (2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) का०आ० 3577(अ) जो 3 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2012(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (दो) का०आ० 162(अ) जो 22 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के लिए, उसमें उल्लिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- (3) (एक) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) केरल लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केरल लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) (एक) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (26) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) विदेशियों विषयक (अधिकरण) संशोधन आदेश, 2013 जो 10 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 770(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2013 जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 598(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (27) (एक) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 की धारा 15क (4) के अंतर्गत वर्ष 2012 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में वर्ष 2008 का प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में वर्ष 2008 के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (32) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2013 का संख्यांक 30)—सेना और आयुध कारखानों की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।
- (33) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 जो 7 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 673(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 जो 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 451(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (प्रोग्रामर और असिस्टेंट प्रोग्रामर) समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 जो 26 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 660(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कांस्टेबल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 जो 31 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 72(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (43) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) उच्च गुणवत्ता कूटकृत भारतीय करेंसी अपराध का अन्वेषण नियम, 2013 जो 27 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 661(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) उच्च गुणवत्ता कूटकृत भारतीय करेंसी अपराध का अन्वेषण (संशोधन) नियम, 2013 जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 780(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(49) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- *(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

* अपराहन 12.13 बजे।

*(51) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (क) (एक) एग्रोनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एग्रोनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एग्रोनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एग्रोनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

*(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (क) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

* अपराहन 12.13 बजे।

- (दो) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) इंडियन रेलवे कैंटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेलवे कैंटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले 8 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2013 का संख्यांक 28)—शास्ति और अभियोजन का प्रशासन, राजस्व विभाग।
- (दो) मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2013 का संख्यांक 29)—वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की दसवीं पंचवर्षीय योजना की नेटवर्क परियोजनाओं की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।
- (तीन) मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार रक्षा सेवाएं (नौसेना) (2013 का संख्यांक 31)—भारतीय नौसेना पोतों के रिफिट्स की योजना और प्रबंधन की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।
- (चार) मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2013 का संख्यांक 32) (स्वायत्तशासी निकाय)—कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

5. वित्तीय समितियां (2012-13)—एक समीक्षा

महासचिव ने “वित्तीय समितियां (2012-13)—एक समीक्षा” के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

6. अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 128वीं और 129वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

महासचिव ने अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 128वीं और 129वीं सभा के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने प्राक्कलन समिति (2013-14) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय से संबंधित ‘पर्यटन का विकास’ विषय के बारे में 35वां प्रतिवेदन।
- (2) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित ‘राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम’ विषय के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

8. प्राक्कलन समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने प्राक्कलन समिति की बैठकों के निम्नलिखित कार्यवाही सारांश और कार्यवाही सारांश के उद्धरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) प्राक्कलन समिति (2013-14) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (2) प्राक्कलन समिति (2013-14) की 5वीं बैठक के कार्यवाही सारांश का उद्धरण।
- (3) प्राक्कलन समिति (2013-14) की 18वीं बैठक के कार्यवाही सारांश का उद्धरण।
- (4) प्राक्कलन समिति (2013-14) की 23वीं बैठक के कार्यवाही सारांश का उद्धरण।

9. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :—

- (1) भारत संचार निगम लिमिटेड से संबंधित 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

- (2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन संख्या 3 के लेखापरीक्षा पैरा संख्या 17.2 पर आधारित एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा स्वर्ण आभूषण के निर्यात संबंधी 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

10. पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान आयोजित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों के प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही सारांश

श्री जगदम्बिका पाल ने पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान आयोजित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों के निम्नलिखित प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2009-2010) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (2) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2010-2011) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2010-2011) की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (4) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2010-2011) की 7वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (5) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2010-2011) की 15वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (6) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2011-2012) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (7) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2011-2012) की 5वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (8) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2011-2012) की 7वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (9) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2012-2013) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (10) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2012-2013) की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (11) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2012-2013) की 9वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (12) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2012-2013) की 25वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।
- (13) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2013-2014) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।

11. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित “राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन” के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का की-गई-कार्रवाई विवरण

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित “केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन” के बारे में 24वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 5वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

13. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित “राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली-एक मूल्यांकन” विषय पर कृषि संबंधी स्थायी समिति का 58वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

14. कृषि संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के 52वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

15. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राज बब्बर ने “सशस्त्र बलों के लिए खतरे का आकलन और उससे निपटने की तैयारी जिसमें सीमाओं पर अतिक्रमण, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समन्वय तंत्र और सड़क, वायुमार्ग और रेल के माध्यम से सीमा संपर्क” विषय पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

16. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ० भोला सिंह ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) वर्ष 2012-13 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 18वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

- (2) वर्ष 2013-14 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 22वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

17. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री टी० आर० बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) 'भारतीय रेल में यात्री सुविधाएं और यात्री सुरक्षा' विषय पर रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।
- (2) 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र में परियोजनाओं पर विशेष बल देने के साथ वर्तमान और लम्बित रेल परियोजनाएं' विषय पर 25वां प्रतिवेदन।

18. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) से संबंधित 'भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण' के बारे में 43वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

19. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा इस्पात का विपणन और परिवहन" विषय पर 52वां प्रतिवेदन।
- (2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "लौह अयस्क के निर्यात की नीति की समीक्षा" संबंधी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 53वां प्रतिवेदन।

20. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हेमानन्द बिस्वाल ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित “जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों का कार्यकरण” के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2013-14) का 44वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

21. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

प्रो० शेख सैदुल हक ने ‘भारत व्यापार संवर्धन संगठन के क्रियाकलाप और कार्यकरण’ के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 114वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

22. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।
- (2) इस्पात मंत्री ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित ‘राउरकेला इस्पात संयंत्र के मृत कामगारों के विधिक वारिसों का कल्याण-एक मामला परक अध्ययन’ के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।
- (3) खान मंत्री ने खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।
- (4) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।
- (5) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.12 बजे

23. प्रस्ताव

श्री कमलनाथ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 17 फरवरी, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 55वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यक्षीन सहमत हैं कि क्रम संख्या 1, 2 और 3 की मर्दों, जिनका इस सभा द्वारा पहले ही निपटान कर दिया गया है, के बारे में सिफारिश का लोप किया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.13 बजे

24. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री चार्ल्स डिएस द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किए जाने तथा इस समुदाय का एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में नाम-निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश के जिला करीमनगर में एलपीजी बोटलिंग संयंत्र की इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एन०एस०वी० चित्तन द्वारा तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले को सूखा प्रभावित घोषित किए जाने तथा जिले के प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री राजय्या सिरिसिल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश में यदगिरिगुट्टा से एटुरुनागरम तक चार लेन वाली सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री सतपाल महाराज द्वारा ग्रामीण डाक सेवाओं तथा सर्व-शिक्षा अभियान और भारत संचार निगम लिमिटेड में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री एस०एस० रामामुब्बू द्वारा तमिलनाडु में थमिराभरनी नदी को करुमेनी और नाम्बी नदियों से जोड़ने के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (7) श्री रतन सिंह द्वारा डीग, कामां, जुडेरा और पलवल को भरतपुर और दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ने तथा धौलपुर से भरतपुर के लिए सीधा सम्पर्क मार्ग उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा जमाकर्ताओं को दिए जाने वाले बीमा की राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री दानवे रावसाहेब पाटील द्वारा देश में कर अपवंचन पर नियंत्रण करने के लिए कठोर उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा राजस्थान के सिरोही जिले तक रेल सम्पर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए निधियां आबंटित किए जाने तथा उत्तर प्रदेश में देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरजाज और मऊ के बीच घाघरा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ० कलिंगनार मुथुवेल करुणानिधि को “भारत रत्न” दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री ए० सम्मत द्वारा विगत वर्षों के प्रसिद्ध मलयालम फिल्म कलाकार स्वर्गीय प्रेम नाजिर के सम्मान और उनकी स्मृति में केरल के तिरुवनन्तपुरम जिले में चेरार्ईनकीडू में एक फिल्म संग्रहालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री पी० लिंगम द्वारा तमिलनाडु में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर तथा विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्येताओं को छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.14 बजे

25. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण, मुझे श्री जी०वी० हर्ष कुमार से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है। सभा के समक्ष इस सूचना को लाना मेरा कर्तव्य है। जब तक सभा में व्यवस्था

नहीं होगी, तब तक मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़ा होना है ताकि मैं यह पता लगा सकूँ कि अनुमति दी गई है या नहीं। अतः आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं।

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त सूचना को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका।

अपराह्न 12.14 बजे

26. सरकारी विधेयक—पारित

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014

लिया गया समय: 1 घण्टा 28 मिनट

श्री सुशीलकुमार शिंदे द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.16 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 12.45 बजे पुनःसमवेत हुई)*

अपराह्न 12.45 बजे

श्री सुशीलकुमार शिंदे ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

*(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.47 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 3.00 बजे पुनःसमवेत हुई)*

अपराह्न 3.00 बजे

श्री सुशीलकुमार शिंदे ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री एस० जयपाल रेड्डी ने वाद-विवाद में भाग लिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा-पटल पर रखे:—

1. श्री एस०के० बैसिमुथियारी
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. प्रो० सौगत राय
5. श्री मधु गौड़ यास्वी
6. श्री गुरुदास दासगुप्त

7. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
8. श्री पी० एल० पुनिया
9. श्री सुरेश कुमार शेटकर
10. श्रीमती पनबाका लक्ष्मी
11. श्री पोन्नम प्रभाकर
12. डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
13. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
14. श्री किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
15. श्री अर्जुन मेघवाल
16. डॉ० विवेकानंद

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

प्रो० सौगत राय द्वारा खण्ड 5 के संशोधन संख्या 39 और 40 पेश किए गए। अध्यक्ष ने संशोधनों को सभा की स्वीकृति के लिए रखा। प्रश्न के संबंध में सभा के विनिश्चय के बारे में अध्यक्ष की राय को चुनौती दिए जाने पर अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यों, मेरी राय में मतविभाजन की अनावश्यक रूप से मांग की जा रही है। अतः नियम 367 के उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन मैं ‘हां’ के पक्ष वाले सदस्यों तथा ‘नहीं’ के पक्ष वाले सदस्यों को अपने स्थान पर खड़े होने का निदेश देती हूँ, तथा गिनती की जाने पर, मैं सभा के अवधारण की घोषणा करूँगी। जो सदस्य अपने स्थान पर नहीं हैं गिनती के प्रयोजन से उनकी गिनती नहीं की जाएगी।”

गिनती की जाने पर, परिणाम इस प्रकार रहा:—

पक्ष में 29, विपक्ष में 230

श्री असादुद्दीन ओवेसी द्वारा खण्ड 5 का संशोधन संख्या 44 पेश किया गया।

गिनती की जाने पर, परिणाम इस प्रकार रहा:—

पक्ष में 6, विपक्ष में 235

संशोधन संख्या 39, 40 और 44 तदनुसार अस्वीकृत हुए तथा खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री असादुद्दीन ओवेसी द्वारा खण्ड 7 का संशोधन संख्या 45 पेश किया गया।

गिनती की जाने पर, परिणाम इस प्रकार रहा:—

पक्ष में 24, विपक्ष में 169

संशोधन तदनुसार अस्वीकृत हुआ तथा खण्ड 7 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 पेश किया गया और प्रश्न के संबंध में सभा के विनिश्चय के बारे में अध्यक्ष की राय को चुनौती दिए जाने पर गिनती की गई तथा उसका परिणाम इस प्रकार रहा:—

पक्ष में 169, विपक्ष में शून्य

खण्ड 8 तदनुसार स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 से 14 स्वीकृत हुए।

खण्ड 15, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री सुशीलकुमार शिंदे ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड में उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 17क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 17क भी स्वीकृत हुआ।

- खण्ड 18, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खण्ड 19, छोड़ दिया गया।
खण्ड 20, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खण्ड 21, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खण्ड 22, छोड़ दिया गया।
खण्ड 23, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खण्ड 24, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खण्ड 25, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खण्ड 26, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खण्ड 27, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खण्ड 28 से 31 स्वीकृत हुए।
खण्ड 32 स्वीकृत हुआ।
खण्ड 33 स्वीकृत हुआ।
खण्ड 34 से 46 स्वीकृत हुए।
खण्ड 47, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खण्ड 48 स्वीकृत हुआ।
खण्ड 49 स्वीकृत हुआ।
खण्ड 50 से 54 स्वीकृत हुए।
खण्ड 55 स्वीकृत हुआ।
खण्ड 56 से 59 स्वीकृत हुए।
खण्ड 60 स्वीकृत हुआ।
खण्ड 61 से 72 स्वीकृत हुए।
खण्ड 73, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खण्ड 74 और 75 स्वीकृत हुए।

खण्ड 76 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 77 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 78, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 79 और 80 स्वीकृत हुए।

खण्ड 81, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 82 और 83 स्वीकृत हुए।

खण्ड 84, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 85 से 90 स्वीकृत हुए।

खण्ड 91, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 92 और 93 स्वीकृत हुए।

खण्ड 94, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 95 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 96, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 97 से 109 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

तीसरी अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

चौथी अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

पांचवीं अनुसूची स्वीकृत हुई।

छठी अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

सातवीं अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

आठवीं अनुसूची स्वीकृत हुई।

नौवीं अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

दसवीं अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

ग्यारहवीं अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

बारहवीं अनुसूची स्वीकृत हुई।

तेरहवीं अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 4.24 बजे

*(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 19 फरवरी, 2014 के
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 19 फरवरी, 2014/30 माघ, 1935 (शक)

संख्या 355

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 362—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3999—4060 और 4062—4228 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर, गुडगांव के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर, गुडगांव के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- * (3) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ कांस्ट्रक्शुनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ कांस्ट्रक्शुनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- * (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- * (5) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकांनि 687(अ) जो 15 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2013 का अनुमोदन किया गया है।
- (दो) सांकांनि 729(अ) जो 11 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (वाहन अग्रिम की मंजूरी) (संशोधन) विनियम, 2013 का अनुमोदन किया गया है।
- (तीन) सांकांनि 376(अ) जो 18 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (संशोधन) विनियम, 2013 का अनुमोदन किया गया है।
- (10) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (14) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 25 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (1) अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन०(जी)/एसटी०4/पीटी०2012 जो 6 सितम्बर, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 4 के खण्ड (1)(दो)(क) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जो विश्वविद्यालय की विद्याशाखाओं के निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित हैं।
 - (2) अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन०(जी)/डीईसी/2013/3148 जो 6 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के दूरस्थ शिक्षा परिषद से संबंधित परिनियम 28 के निरसन का अनुमोदन किया गया है।
- (16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक जेनरल ड्यूटी अधिकारी भर्ती नियम, 2013 जो 30 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 78 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक (तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 जो 30 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ०79 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक (विधि अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 जो 30 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 80 में प्रकाशित हुए थे।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम, 2001 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 46(अ) जो 8 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद की नई परिषद के लिए 4 दिसम्बर, 2013 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों की संरचना के बारे में है।
- (22) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2014, जो 22 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 44(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2014, जो 22 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 45(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2014, जो 22 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणिं 46(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2014, जो 22 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणिं 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014, जो 28 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणिं 67(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014, जो 28 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणिं 68(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014, जो 28 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणिं 69(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (23) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (29) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय वित्तीय विनियम, 2013 जो 30 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस/321/24/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 21 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 163(अ) जो 22 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बेंगलूरु के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बेंगलुरु के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन) कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (59) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, राउरकेला, के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, राउरकेला, के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 26 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 305-27/2010-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (7वां संशोधन) विनियम, 2013 जो 3 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 308-3/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान उपभोक्ता संरक्षण (14वां संशोधन) विनियम, 2013 जो 3 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-28/2013-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (78) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 89 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सूचना प्रौद्योगिकी (एक विनियामक प्राधिकरण के अंतर्गत प्रचालित विदेशी प्रमाणन प्राधिकरणों को मान्यता) विनियम, 2013 जो 6 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 204(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सूचना प्रौद्योगिकी (एक विनियामक प्राधिकरण के अंतर्गत प्रचालित नहीं होने वाले विदेशी प्रमाणन प्राधिकरणों को मान्यता) विनियम, 2013 जो 6 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 205(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (79) (एक) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक पहुंच संबंधी राष्ट्रीय नीति जो 1 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 18(2)/2009ई-इन्फ्रा-प्रीएम्बल में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) (एक) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 240(अ) जो 24 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 17 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1606(अ) में कतिपय और संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 03(अ) जो 1 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमितीकरण के लिए विनियम में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (84) कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान 5 प्रतिशत विवेकाधिकार कोटा के अंतर्गत किए गए विवेकाधिकार आवंटनों के वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० बलीराम ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी० करूणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 39वां प्रतिवेदन और 40वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) का प्रतिवेदन

श्री ए०के०एस० विजयन ने “सोसायटी/न्यास/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी कार्यों का निष्पादन” विषय पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री नवीन जिंदल ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) दिल्ली पुलिस के कार्यकरण संबंधी 176वां प्रतिवेदन।
- (2) तटीय सुरक्षा स्कीम संबंधी 177वां प्रतिवेदन।
- (3) देश में आपदा प्रबंधन संबंधी 178वां प्रतिवेदन।
- (4) जम्मू-कश्मीर प्रवासियों के पुनर्वास के बारे में 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 179वां प्रतिवेदन।
- (5) संघ राज्यक्षेत्रों (दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली और चंडीगढ़) के प्रशासन संबंधी 180वां प्रतिवेदन।

8. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोरखनाथ पाण्डेय ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित एमएसएमई क्षेत्र पर मल्टी-ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रभाव के बारे में समिति के 250वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 257वां प्रतिवेदन।
- (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा के बारे में समिति के 245वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 258वां प्रतिवेदन।
- (3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन की समीक्षा के बारे में 259वां प्रतिवेदन।

9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० महेश जोशी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) रेल सुरक्षा आयोग के कार्यक्रम के बारे में 188वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 210वां प्रतिवेदन।
- (2) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित दिल्ली में विभिन्न स्मारकों, राष्ट्रीय संग्रहालय के अनुरक्षण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में 211वां प्रतिवेदन।
- (3) दार्जिलिंग और सिक्किम में पर्यटन के विकास के बारे में 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 212वां प्रतिवेदन।
- (4) केरल और कोचीन शिपयार्ड में पर्यटन, राष्ट्रीय राजमार्ग और जल परिवहन के विकास के बारे में 200वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 213वां प्रतिवेदन।

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना (ई०सी०एच०एस०) पॉलीक्लीनिक खोलने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री इज्यराज सिंह द्वारा किसानों द्वारा खराब मौसम के कारण बर्बाद हुई फसल को बेचने का निषेध करने वाले उपबंध को निरस्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री अवतार सिंह भडाना द्वारा हरियाणा सरकार से राज्य में अतिथि अध्यापकों की शिकायतों को दूर करने का अनुरोध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (5) श्री निलेश नारायण राणे द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के मुम्बई-गोवा खंड पर चार लेन की इंदापुर-जरप सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान के बीकानेर में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रघुवीर नारायण सिंह के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा कृषि बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा दी जा रही प्रीमियम की राशि पर छूट देने और किसानों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करने हेतु योजना का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राकेश सचान द्वारा पेट्रोल पम्प और एलपीजी एजेंसी के किसी एक शेयरधारक की मृत्यु होने अथवा उसके द्वारा शेयरधारिता छोड़े जाने की स्थिति में सबसे बड़े शेयरधारक द्वारा प्रचालन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती जे० हेलन डेविडसन द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक कैंसर अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.07 बजे

11. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री एल० राजगोपाल का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी दिनांक 18 फरवरी, 2014 का एक पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने 19 फरवरी, 2014 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराहन 12.10 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

- (एक) सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार और दारा सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों और 17 पिछड़ी जातियों की दयनीय स्थिति तथा उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री निशिकांत दूबे, श्री सोहन पोटाई और श्रीमती ज्योति ध्रुवे सहयोजित हुए।

(दो) श्री टी० आर० बालू, डॉ० एम० तम्बिदुरई, श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री एस०एस० रामासुब्बू ने भारतीय मछुआरों पर हमले तथा तमिलनाडु के मछुआरों के मामले का स्थायी समाधान ढूँढने के लिए काचाथीवू द्वीप के पुनरुद्धार के बारे में निवेदन किया।

श्री पन्ना लाल पुनिया और डॉ० रामचन्द्र डोम, श्री शिवकुमार उदासी, श्री देवजी एम० पटेल, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री वीरेन्द्र कश्यप और श्री अशोक अर्गल सहयोजित हुए।

(तीन) श्रीमती जयप्रदा ने लोक सभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री देवजी एम० पटेल, श्री शिवकुमार उदासी, श्री रमेश विश्वनाथ कट्टी और डॉ० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी सहयोजित हुए।

(चार) श्री एम०बी० राजेश ने संसद सदस्यों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और दिल्ली पुलिस द्वारा हमले की तथाकथित घटना के बारे में निवेदन किया।

मौलाना बदरुद्दीन अजमल, श्री प्रेमदास राय, श्री जितेन्द्र सिंह मलिक, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री खगेन दास, श्री जोसेफ टोप्पो, श्रीमती जयप्रदा और श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य सहयोजित हुए।

(पांच) श्री विजय चक्रवर्ती ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के छात्रों और लोगों के प्रति किए जाने वाले कथित दुर्व्यवहार के बारे में निवेदन किया।

श्री बदरुद्दीन अजमल, श्री प्रेमदास राय, श्री जितेन्द्र सिंह मलिक, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री खगेन दास, श्री जोसेफ टोप्पो, श्रीमती जयप्रदा और श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य सहयोजित हुए।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“मैं यहां यह उल्लेख करना चाहती हूँ कि मैं पूरी सभा की ओर से ध्वनिमत से इस घटना की वस्तुतः निन्दा करती हूँ। यह विषय संसद सदस्यों, इस सभा के सदस्यों की सुरक्षा और गरिमा तथा साथ ही सभी लोगों, जिनमें पूर्वोत्तर के युवा और वृद्धजन भी शामिल हैं और हमारे देश की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और गरिमा से भी संबंधित है।

अतः हमने इस घटना का संज्ञान लिया है। आप कृपया मुझे एक लिखित शिकायत भेज दें। मैं उस पर कार्रवाई करूंगी।”

(छह) सर्वश्री शरद यादव और मुलायम सिंह यादव ने एम्स संकाय बनाम भारत सरकार की रिट याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद के परिदृश्य में

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति के बारे में निवेदन किया।

निम्नलिखित सदस्य सहयोजित हुए:—

1. डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
2. श्रीमती पूनम वेल्जीभाई जाट
3. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
4. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
5. श्री पन्ना लाल पुनिया
6. श्री शैलेन्द्र कुमार
7. श्री विश्व मोहन कुमार
8. श्री महाबली सिंह
9. श्री महेश्वर हजारी
10. श्री भूदेव चौधरी
11. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो
12. श्री रामचन्द्र डोम
13. श्री एम०बी० राजेश
14. श्री खगेन दास
15. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
16. डॉ० अजय कुमार

श्री कमलनाथ ने निवेदनों का उत्तर दिया

(सात) *श्री पन्ना लाल पुनिया और श्री गोपीनाथ मुंडे ने देश में सुपर-स्पेशिएलिटी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति के बारे में निवेदन किया।

श्री कपिल सिब्बल और श्री बी० नारायणसामी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.02 बजे स्थगित हुई तथा अपराहन 2.02 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

13. (एक) अंतरिम बजट (सामान्य)—2014-2015; (दो) लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)—2014-2015; और (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2013-2014

लिया गया समय: 09 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा की गई—

(एक) वर्ष 2014-2015 के अंतरिम बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में लेखानुदानों की मांग सं० 1 से 34, 36, 37, 39 से 64, 66 से 73, 75 से 77, 79, 80 और 82 से 108।

(तीन) वर्ष 2013-2014 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं० 1 से 5, 9 से 12, 14, 17, 19 से 27, 30 से 34, 40 से 45, 46 से 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58 से 62, 64, 66, 68, 69, 72 से 76, 79, 82, 83, 86 से 91, 95 से 97, 100 से 102, 105 और 106।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. श्री तरुण मंडल
2. श्री एस्.एस. रामासुब्बू
3. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
4. डॉ० महबूब बेग
5. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
6. श्री अर्जुन मेघवाल
7. श्री आरु थामराई सेलवन
8. डॉ० (श्रीमती) बोचा झाँसी लक्ष्मी
9. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
10. श्री वीरेन्द्र कश्यप
11. श्री सी० शिवासामी
12. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
13. श्री भर्तृहरि महताब

14. श्री वीरेन्द्र कुमार
15. श्री सुदीप बंद्योपाध्याय
16. श्री एस० सेम्मलई
17. प्रो० सौगत राय
18. डॉ० रत्ना डे नाग
19. श्री एम० तम्बिदुरई
20. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
21. श्री राम सिंह कस्वां
22. श्री ई०जी० सुगावनम
23. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
24. श्री सी० राजेन्द्रन
25. श्री पी० सी० चाको
26. श्री पी० करूणाकरन
27. श्री के०सी० सिंह बाबा
28. डॉ० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
29. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

अध्यक्ष ने घोषणा की कि परिचालित किए गए सभी कटौती प्रस्ताव पेश किए गए माने गए हैं।
पेश किए गए माने गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2014-2015 के लिए अंतरिम बजट (सामान्य) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 34, 36, 37, 39 से 64, 66 से 73, 75 से 77, 79, 80 और 82 से 108। वर्ष 2014-2015 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2013-2014 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 5, 9 से 12, 14, 17, 19 से 27, 30 से 34, 40 से 45, 46 से 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58 से 62, 64, 66, 68, 69, 72 से 76, 79, 82, 83, 86 से 91, 95 से 97, 100 से 102,

105 और 106 । वर्ष 2013-14 के लिए अनुपूर्क अनुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई ।

14. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014

15. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014

विधेयक पर विचार किए जाने का श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए ।

अनुसूची स्वीकृत हुई ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ ।

विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया ।

16. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग विधेयक, 2014

17. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग विधेयक, 2014

विधेयक पर विचार किए जाने का श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए ।

अनुसूची स्वीकृत हुई ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ ।

विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया ।

अपराह्न 2.12 बजे

18. सरकारी विधेयक—पारित

वित्त विधेयक, 2014

लिया गया समय: 6 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया।

श्री मुरली मनोहर जोशी ने वाद-विवाद में भाग लिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

#अपराह्न 2.32 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार, 20 फरवरी, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

#अपराह्न 2.18 बजे से अपराह्न 2.32 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4631LS(S-3)—19-02-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 (शक)

संख्या 356

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छठी से बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री छितुभाई गामित तथा चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री सी०सी० गोहेन के निधन के बारे में उल्लेख किया।

पत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 382—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न संख्या

अतारांकित प्रश्न संख्या 4229—4458 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए—

अपराह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बेंगलूरु के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बेंगलूरु के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट, फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट, फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) 2012-2013 के लिए पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे (वोल्यूम I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पथान्तर निपटान तंत्र और संबंधित विषय) विनियम, 2014 जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/132/2013/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 14 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/(5)/2013/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा की पहचान किए जाने और प्रमाण-पत्र जारी किए जाने संबंधी निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/12/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापारिक अनुज्ञापन प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित विषय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 3 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/143/158/2012-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य प्रसारण में मुक्त अभिगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/105(121)/2007-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010-सीईआरसी जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसको 24 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010-सीईआरसी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (17) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (दो) से (छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) गोवा और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) दूसरा संशोधन विनियम, 2013 जो 25 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-1/2009 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गोवा और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) दूसरा संशोधन विनियम, 2013 जो 25 अक्टूबर, 2013 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-11/2010 में प्रकाशित हुए थे।

- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 146(अ) जो 20 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एस्० समीर अहमद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश वाले जांच आयोग को निर्वासित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।
(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- * (23) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) और (3) तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 50 के अंतर्गत अंतर्विष्ट उपबंधों तथा संविधान के अनुच्छेद 239 कख के अंतर्गत उससे संबंधित आदेश के अनुसरण में 16 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 410(अ) द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- * (24) राष्ट्रपति को प्रेषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के दिनांक 15 फरवरी, 2014 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 17 फरवरी, 2014 को पारित विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2014 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

- (दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 17 फरवरी, 2014 को पारित विनियोग (रेल) विधेयक, 2014 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (तीन) कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 सितम्बर, 2013 को पारित पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2013 को संशोधनों के साथ पारित कर दिया है तथा उसने विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।
- (चार) कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 24 अगस्त, 2013 को पारित राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2013 को संशोधनों के साथ पारित कर दिया है तथा उसने विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।
- (पांच) कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 2014 को हुई अपनी बैठक में रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पारित कर दिया है।
- (छह) कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2013 को पारित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधनों के साथ पारित कर दिया है तथा उसने विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।

6. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

- (एक) *पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2013*
- (दो) *राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2013*
- (तीन) *राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013*

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014

7. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमानित प्रदान की गई—

(1) श्री के०जे०के० रितीश कुमार	09.08.2013 से 06.09.2013 05.12.2013 से 15.12.2013
(2) श्री एम० के० अलागिरी	09.08.2013 से 06.09.2013 05.12.2013 से 18.12.2013 05.02.2014 से 20.02.2014
(3) श्री डी० नैपोलियन	24.08.2013 से 06.09.2013 05.12.2013 से 18.12.2013 05.02.2014 से 21.02.2014

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० भोला सिंह ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) वर्ष 2013-14 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।
- (2) 'पासपोर्ट सेवा परियोजना-लक्ष्य और उपलब्धियां' विषय के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

9. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दीप गोगोई ने 'गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की समीक्षा' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2013-14) का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० चार्ल्स डिएस ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के कार्यकरण के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 262वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

डॉ॰ चार्ल्स डिएस ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के कार्यक्रम के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) नागर विमानन मंत्री ने (i) 'विदेशी एयरलाइन्स' के बारे में श्री रघुवीर सिंह मीणा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 194 के संबंध में 22 अगस्त, 2013 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने, और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्री कि ओर से निम्नलिखित वक्तव्यों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—
 - (एक) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (4) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) 'रेल सुरक्षा' के बारे में डॉ॰ निलेश एन॰ राणे, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 743 के संबंध में 8 अगस्त, 2013 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने, और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (5) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 106वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.06 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

- (1) डॉ० महेंद्रसिंह पी० चौहाण द्वारा देश में काले धन के खतरे को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री मकनसिंह सोलंकी द्वारा मध्य प्रदेश के खारगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे लाइन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड में रेलवे सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्रीमती रमा देवी द्वारा शिवहर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, बिहार में फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2010 में खरीफ की फसल का नुकसान सहने वाले किसानों के बीमा दावों का निपटान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री हरिभाई पी० चौधरी द्वारा बनासकांठा संसदीय क्षेत्र में पालनपुर तहसील के अंतर्गत चित्रसानी रेलवे स्टेशन के निकट अंडरपास में पानी रूकावट की समस्या समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री अब्दुल रहमान द्वारा तमिलनाडु में पलाट नदी में पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित के आवश्यक उपाय और इस प्रयोजनार्थ पलाट नदी जल प्राधिकरण गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री एम०बी० राजेश द्वारा पालक्काड़, केरल में नदक्कावु पर लेवल क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा देवरिया और तरैया के साथ मुजफ्फरनगर का संपर्क सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.07 बजे

14. सरकारी विधेयकों पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमत हुए

(एक) \$पथ विन्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2013

डॉ० (सुश्री) गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

अधिनियम सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

“चौसठवें” के स्थान पर “पैंसठवें” प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 5,—

“2013” के स्थान पर “2014” प्रतिस्थापित किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ० (सुश्री) गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति दी गई।

अपराह्न 12.09 बजे

(दो) @राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2013

श्री आर०पी०एन० सिंह द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

अधिनियम सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में “चौसठवें” के स्थान पर “पैंसठवें” प्रतिस्थापित किया जाए।

\$ विधेयक लोक सभा द्वारा 6 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया था और उसे राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने अपनी 19 फरवरी, 2014 को हुई बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसे 19 फरवरी, 2014 को लोक सभा को लौटा दिया।

@ विधेयक लोक सभा द्वारा 24 अगस्त, 2013 को पारित किया गया था और उसे राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने अपनी 19 फरवरी, 2014 को हुई बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसे उसी दिन लोक सभा को लौटा दिया।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 4, में “2013” के स्थान पर “2014” प्रतिस्थापित किया जाए।

विचार किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर०पी०एन० सिंह द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति दी गई।

अपराह्न 12.11 बजे

(तीन) #राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013

डॉ० शशि थरूर द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

“चौसठवें” के स्थान पर “पैंसठवें” प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

“2013” के स्थान पर “2014” प्रतिस्थापित किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ० शशि थरूर द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति दी गई।

विधेयक लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2013 को पारित किया गया था और उसे राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने अपनी 19 फरवरी, 2014 को हुई बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसे उसी दिन लोक सभा को लौटा दिया।

*अपराहन 12.12 बजे

15. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री सैयद शहनवाज हुसैन और श्री शरद यादव ने बिहार को विशेष दर्जा प्रदान किए जाने के मामले के बारे में निवेदन किए।

श्री जितेन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री अर्जुन मेघवाल, श्री कालीकेश नारायण सिंह देव और श्री शैलेन्द्र कुमार सहयोजित हुए।

%श्री पी० चिदम्बरम ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.28 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

16. माननीय उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

माननीय उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, इससे पूर्व की हम राज्य सभा द्वारा यथापारित रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को विचार तथा पारित करने के लिए लें, मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार ने दिनांक 19 फरवरी, 2014 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर सभा में विचार किए जाने की सिफारिश की है।”

अपराहन 2.02 बजे

17. सरकारी विधेयक—पारित

रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय : 8 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री शरद पवार की ओर से श्री चरण दास महन्त द्वारा पेश किया गया।

* अपराहन 12.12 बजे से अपराहन 12.28 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

% अपराहन 3.47 बजे।

श्री अर्जुन मेघवाल ने वाद-विवाद में भाग लिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 44 स्वीकृत हुए।

अनुसूची भी स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रो० सौगत राय ने वाद-विवाद में भाग लिया।

विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव श्री चरण दास महन्त द्वारा पेश किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 2.10 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 3.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 3.01 बजे

18. सांविधिक संकल्प — स्वीकृत

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) और (3) तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 50 के साथ पठित राष्ट्रपति द्वारा 16 फरवरी, 2014 को संविधान के अनुच्छेद 239कख के अंतर्गत जारी आदेश का अनुमोदन करती है।”

संकल्प स्वीकृत हुआ

अपराहन 3.01 बजे

19. सरकारी विधेयक — पारित

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011

लिया गया समय : 47 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री पी० चिदम्बरम की ओर से श्री नमोनारायण मीणा द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
- *2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. प्रो० सौगत राय
4. डॉ० रामचन्द्र डोम
5. डॉ० अजय कुमार
6. डॉ० विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नु'
7. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
8. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. श्री पन्ना लाल पुनिया
2. श्री अर्जुनराम मेघवाल
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री एस्० सेम्मलई
5. श्री ओ०एस० मणियन
6. डॉ० अनूप कुमार साहा
7. डॉ० पी० वेणुगोपाल

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री नमोनारायण मीणा ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू

* क्रम सं० 2 से 8 पर उल्लिखित सदस्य अपराहन 3.25 बजे से अपराहन 3.45 बजे तक बोले।

करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 2क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 2क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री नमोनारायण मीणा ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 9 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4क भी स्वीकृत हुआ।

श्री नमोनारायण मीणा ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 10 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4ख को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4ख भी स्वीकृत हुआ।

श्री नमोनारायन मीणा ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 11 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4ग को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4ग भी स्वीकृत हुआ।

श्री नमोनारायन मीणा ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 12 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4घ को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4घ भी स्वीकृत हुआ।

श्री नमोनारायन मीणा ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू

करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4इ को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4इ भी स्वीकृत हुआ।

श्री नमोनारायन मीणा ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4च को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4च भी स्वीकृत हुआ।

श्री नमोनारायन मीणा ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 15 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4छ को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4छ भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 छोड़ दिया गया।

खण्ड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

श्री नमोनारायन मीणा ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क भी स्वीकृत हुआ।

श्री नमोनारायन मीणा ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 17 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7ख को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 10 से 14 स्वीकृत हुए।

खंड 15, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री नमोनारायन मीणा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

#‘ चूंकि बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया है अतः सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों और मंत्री के उत्तर को सामान्य चर्चा का भाग माना जाए।’

श्री नमोनारायन मीणा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

*अपराहन 4.55 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 21 फरवरी, 2014 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

एस० बाल शंखर,
महासचिव।

अपराहन 3.46 बजे

* अपराहन 3.49 बजे से अपराहन 4.55 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 21 फरवरी, 2014/2 फाल्गुन, 1935 (शक)

संख्या 357

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पांचवीं और छठी लोक सभा की सदस्या श्रीमती पार्वती कृष्णन के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401 और 402 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 403—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4459—4688 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

*(1) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

*अपराह्न 12.08 बजे।

- (दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) हज कमेटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हज कमेटी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) हज कमेटी के वर्ष 2005-2006 से 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) हज कमेटी के वर्ष 2005-2006 से 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (6) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) नेशनल को-ओपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल को-ओपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) बिको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बिको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) सेंट्रल कॉटज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल कॉटज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2013 जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 781(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) ब्लॉक-केजी-डीडब्ल्यूएन-98-3 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा नाइको रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (दो) ब्लॉक-एनईसी-ओएसएन-97-2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा नाइको रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।

- (तीन) ब्लॉक-केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और केयर्न इनर्जी इंडिया पीटीवाई लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (चार) ब्लॉक-जीएस-ओएसएन-2000/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा हार्डी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक. के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (पांच) ब्लॉक-सीबी-ओएनएन-2000/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा जोशी टेक्नोलॉजीज़ इंटरनेशनल इंक. के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (छह) ब्लॉक-सीबी-ओएनएन-2000/2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और नाइको रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (सात) ब्लॉक-सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2001/2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा हार्डी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक. के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (आठ) ब्लॉक-सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2001/3 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा हार्डी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक. के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (नौ) ब्लॉक-केजीओएसएन-2001/3 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और जुबिलेंट इन्प्रो लिमिटेड एण्ड जियोलॉजिक रिसोर्सेज (इंडिया) इंक. के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।

- (दस) ब्लॉक-एए-ओएनएन-2001/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (ग्यारह) ब्लॉक-एए-ओएनएन-2001/3 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड (तेल) के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (बारह) ब्लॉक-सीबी-ओएनएन-2002/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा केयर्न इनर्जी गुजरात ब्लॉक 1, के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (तेरह) ब्लॉक-सीबी-ओएनएन-2002/3 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और जुबिलेंट इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड एण्ड प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड एण्ड जियोग्लोबल रिसोर्सेज (बारबाडोस) इंक., के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (चौदह) ब्लॉक-एए-ओएनएन-2002/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और इन्फ्रा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एण्ड गेल (इंडिया) लिमिटेड, के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (पंद्रह) ब्लॉक एनईसीडीडब्ल्यूएन-2002/2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (सोलह) ब्लॉक-एए-ओएनएन-2002/3 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।

- (सत्रह) ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2003/2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एण्ड गेल (इंडिया) लिमिटेड एण्ड जुबिलेंट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एण्ड जियोलॉजिक रिसोर्सेस (बारबाडोस) इंक. के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (अठारह) ब्लॉक केएस-डीडब्ल्यूएन-2003/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा हार्डी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक. के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (उन्नीस) ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2003/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (बीस) ब्लॉक एए-ओएनएन-2003/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और जुबिलेंट ऑयल एण्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड एण्ड जुबिलेंट सिक्वैरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (इक्कीस) ब्लॉक वीएन-ओएनएन-2003/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और केयर्न इनर्जी इंडिया पीटीवाई लिमिटेड, केयर्न एक्सप्लोरेशन (संख्या 6) लिमिटेड एण्ड तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (बाईस) ब्लॉक एएन-डीडब्ल्यूएन-2003/2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और ईएनआई इंडिया लिमिटेड एण्ड तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड एण्ड गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (तेईस) ब्लॉक एए-ओएनएन-2004/2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा सनटेरा रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।

- (चौबीस) ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2004/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और फोकस इनर्जी लिमिटेड तथा न्यूबरी होल्डिंग्स टू लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (पच्चीस) ब्लॉक आरजे-ओएनएन-2004/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड एण्ड हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हालवर्दी शिपिंग लिमिटेड एसए और सिल्वरवेव इनर्जी पीटीई लिमिटेड और नितिन फायर प्रोटेक्शन इंड्स लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (छब्बीस) ब्लॉक सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (सत्ताईस) ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2005/2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (अट्ठाईस) ब्लॉक एमबी-डीडब्ल्यूएन-2009/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और केयर्न इनर्जी इंडिया पीटीवाई लिमिटेड और केयर्न इंडिया लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (उनतीस) ब्लॉक एए-ओएनएन-2009/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और जुबिलेंट तेल और गैस प्रा० लिमिटेड और जुबिलेंट इनर्जी (खरसांग) प्रा० लिमिटेड और जुबिलेंट ऑफशोर ड्रिलिंग प्रा० लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।

- (तीस) ब्लॉक एमबी-डीडब्ल्यूएन-2010/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और बीजी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड और बीएचपी बिलिटन पेट्रोलियम (इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन) पीटीवाई लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (इकतीस) ब्लॉक वीएन-ओएनएन-2010/1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और दीप इनर्जी एलएलसी एण्ड केजीएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (बत्तीस) ब्लॉक-केजी-ओएसएन-97-2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा नाइको रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (तैंतीस) ब्लॉक-एमबी-ओएसएन-97-3 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा नाइको रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (चौत्तीस) ब्लॉक-एमएन-डीडब्ल्यूएन-98-2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा नाइको रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (पैंतीस) ब्लॉक-जीके-ओएसएन-97-1 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा नाइको रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (छत्तीस) ब्लॉक-एमबी-ओएसएन-97-2 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा नाइको रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।

- (सैंतीस) ब्लॉक-केजी-ओएसएन-97-3 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा नाइको रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (अड़तीस) ब्लॉक-केजी-ओएसएन-97-4 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के लिए भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा नाइको रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी)।
- (25) ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) राष्ट्रीय कृषि वन नीति, 2014 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 3516(अ) जो 27 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागपट्टिनम-तंजावुर-त्रिचि-करूर-कोयम्बटूर-मेट्टुपलयम-तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली दरों के बारे में है।
- (दो) का०आ० 3517(अ) जो 27 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली दरों के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 3518(अ) जो 27 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (त्रिचि-करायकुडी खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली दरों के बारे में है।
- (चार) का०आ० 3522(अ) जो 28 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल-मुलताई-एमपी/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली दरों के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 82(अ) जो 13 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया से बख्तियारपुर से पूर्णिया खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली दरों के बारे में है।
- (छह) का०आ० 83(अ) जो 13 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 और 44 (शिलांग बाईपास खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली दरों के बारे में है।

- (सात) कांआ० 122(अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (हापुड़-मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली दरों के बारे में है।
- (32) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2013 जो 16 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 778(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 जो 16 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 26(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (33) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या कांआ० 2448(अ) जो 13 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (34) (एक) ऑफिस ऑफ दि कंट्रोलर जेनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन, ट्रेड मार्क्स एण्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) ऑफिस ऑफ दि कंट्रोलर जेनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन, ट्रेड मार्क्स एण्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केपेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केपेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) शेलैक एण्ड फॉरिस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) शेलैक एण्ड फॉरिस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2013 जो 11 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 772(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2014 जो 25 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 8 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक सुरक्षा और शिक्षा निधि) विनियम, 2014 जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/38/49 में प्रकाशित हुई थी।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक निवेश स्कीम) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/39/51 में प्रकाशित हुई थी।

- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक एवं सिविल कार्यवाही का निपटान) विनियम, 2014 जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/37/50 में प्रकाशित हुई थी।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और जब्ती प्रक्रिया) विनियम, 2014 जो 10 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/40/52 में प्रकाशित हुई थी।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2014 जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/36/12 में प्रकाशित हुई थी।
- (47) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 31 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 818(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सत्रहवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 30 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 805(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा व्यवसाय के अन्य स्थल की भारत में स्थापना) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 6 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 767(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सांकांनि० 741(अ) जो 19 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 17 सितंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या फेमा 287/2013-आरबी का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

- (48) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) इंडियन ओवरसीज बैंक (कर्मचारियों का) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 27 सितंबर, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं० पैड/पेन/001/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पंजाब एंड सिंध बैंक (कर्मचारियों का) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 10 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० पीएसबी/पेन/अमेंड/1/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) देना बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 16 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० आईआर/अमेंड/01/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र में नौकरी की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 2013 जो 14 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० आईआर/अमेंड/02/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (49) उपर्युक्त मद संख्या (48) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 3433(अ) जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आमेलन के कारण प्रगति ग्रामीण बैंक और कृष्णा ग्रामीण बैंक के विलय के बारे में है।
- (दो) का०आ० 3434(अ) जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आमेलन के कारण छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक के विलय के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 3536(अ) जो 29 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुडगांव ग्रामीण बैंक और हरियाणा ग्रामीण बैंक का सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के रूप में आमेलन के बारे में है।

- (51) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) उत्कल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2012 जो 28 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/1611 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 12 जुलाई, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 27 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 18 जनवरी, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2 में प्रकाशित हुए थे।
- (52) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) बीमा सलाहकार समिति (बैठकें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 29 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० आईआरडीए/रेग०/24/82/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2013 जो 29 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० आईआरडीए/रेग०/23/81/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (53) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सा०का०नि० 762(अ) जो 29 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका वित्तपोषण एड्स, तपेदिक और मलेरिया का नियंत्रण करने वाले विश्वकोष से किया जाता है, के अंतर्गत आयातित विशिष्ट माल पर उन पर लग सकने वाले उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांकांनिं 779(अ) जो 16 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 10/2008-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनिं 787(अ) जो 20 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनिं 791(अ) जो 26 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनिं 814(अ) जो 31 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनिं 815(अ) जो 31 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनिं 816(अ) जो 31 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 53/2011-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनिं 817(अ) जो 31 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनिं 76(अ) जो 3 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) सांकांनि 791(अ) जो 26 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 93/2009-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकांनि 28(अ) जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अग्रिम प्राधिकार, जोकि उन वस्तुओं के निर्यात से संबंधित है जिनका निर्यात अन्यथा निषिद्ध है, के एवज में भारत में आयातित सामग्री पर कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, आयात शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) कांआ 3442(अ) जो 14 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशु(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) कांआ 3453(अ) जो 21 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) कांआ 3537(अ) जो 29 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशु(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पन्द्रह) कांआ 3589(अ) जो 5 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) कांआ 3667(अ) जो 13 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशु(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सत्रह) का०आ० 3731(अ) जो 19 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) का०आ० 3919(अ) जो 31 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) का०आ० 17(अ) जो 2 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) का०आ० 109(अ) जो 15 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) का०आ० 118(अ) जो 16 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सीमा शुल्क बैगेज घोषणा (संशोधन) विनियम, 2013 जो 30 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 803(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सीमा शुल्क बैगेज घोषणा विनियम, 2013 जो 30 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 584(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 10 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 615(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चौबीस) का०आ० 35(अ) जो 20 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) का०आ० 64(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (54) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सा०का०नि० 15(अ) जो 10 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा०का०नि० 792(अ) जो 26 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 6/2013-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा०का०नि० 74(अ) जो 3 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी प्राधिकृत व्यक्ति अथवा राज्य एक्सचेंज के सदस्य के उप-दलाल द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर 10.9.2004 से 30.6.2012 की अवधि के लिए, ऐसी अवधि के दौरान ऐसी सेवाओं पर सेवा कर के गैर-उद्ग्रहण की सामान्यतः प्रचलित अभिक्रिया को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के अंतर्गत सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा०का०नि० 71(अ) जो 30 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (55) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) सांकांनि 56(अ) जो 24 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या 42/2008-के०ऊशु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 57(अ) जो 24 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 16/2010-के०ऊशु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) पहला संशोधन नियम, 2014 जो 24 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में सांकांनि 58(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) चबाने वाला तम्बाकू और गैर-विनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) पहला संशोधन नियम, 2014 जो 24 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में सांकांनि 59(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि 75(अ) जो 3 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०ऊशु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सेनवेट क्रेडिट (पहला संशोधन) नियम, 2014 जो 8 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 6 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 30 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 807(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सेनवेट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 30 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 808(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) सांकांनि 793(अ) जो 26 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सेनवेट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 20 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 36 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकांनि 763(अ) जो 29 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक निधि द्वारा वित्तपोषित संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खरीदे गए विनिर्दिष्ट माल को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सांकांनि 795(अ) जो 26 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सांकांनि 813(अ) जो 31 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के टैरिफ शीर्ष 3304 के अंतर्गत आने वाले माल के संबंध में और जिसके संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 (2) के अंतर्गत टैरिफ मूल्य निर्धारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (56) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकांनि 48(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलो नाइट्राइल बूटाडीन रबड़ के भारत में आयात किए जाने पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की अवधि को एक वर्ष और अर्थात् 1 जनवरी, 2015 तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांकांनि 49(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया से विनिर्दिष्ट श्रेणियों के फ्लोट ग्लास के भारत में आयात किए जाने पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की अवधि को एक वर्ष और अर्थात् 5 जनवरी, 2015 तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 50 (अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में सऊदी अरब और रूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'हेक्जामिन' का भारत में आयात किए जाने पर पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 51(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए गए अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 4, 4 डायमिनो स्टिबेन 2, 2 डायसल्फानिक एसिड का भारत में आयात किए जाने पर पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि 764(अ) जो 3 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 नवंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 119/2010-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनि 811(अ) जो 31 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए गए अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फास्फोरिक एसिड, टेक्निकल ग्रेड अथवा इंडस्ट्रियल ग्रेड सहित खाद्य ग्रेड' का भारत में आयात किए जाने पर पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनि 812(अ) जो 31 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई गई मध्यावधिक समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में

वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के रिकार्डेबल डिजिटल वर्सेटर्ड डिस्क का भारत में आयात किए जाने पर पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिपाटन शुल्क की दर का उपांतरण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (आठ) सांकांनि 3(अ) जो 3 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 121/2009-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनि 4(अ) जो 3 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कम्पैक्ट फ्लारोसेन्ट लैम्प का भारत में आयात किए जाने पर और एक वर्ष की अवधि अर्थात् 20 नवंबर, 2014 तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकांनि 23(अ) जो 16 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कार्बोनाट सोडा का भारत में आयात किए जाने पर और एक वर्ष की अवधि अर्थात् 25 दिसम्बर, 2014 तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकांनि 24(अ) जो 16 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कार्बोनाट सोडा का भारत में आयात किए जाने पर और एक वर्ष की अवधि अर्थात् 25 दिसम्बर, 2014 तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सांकांनि 25(अ) जो 16 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण के अनुसरण में चीनी ताईपे में

उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित नौनिल फिनोल का भारत में आयात किए जाने पर और पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(57) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2013, जो भारत के राजपत्र में 23 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 3794(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2014, जो भारत के राजपत्र में 15 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का०आ० 108(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(58) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 43(4) जो 21 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 14 सितंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 98/2013-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा अपनी 20 फरवरी, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 फरवरी, 2014 को पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

श्री कड़िया मुंडा ने वर्तमान सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 37वीं और 38वीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

7. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने नेशनल टेस्ट हाउस (एनटीएच)—उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित अभियंत्रण उपस्कर के परीक्षण, मूल्यांकन और अंशांकन की सुविधाएं विषय पर खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2013-14) का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिस्वाल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (निःशक्तता कार्य विभाग) से संबंधित 'निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2013-14) का 45वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. नयाचार सन्नियमों के उल्लंघन तथा लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों का अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री एम० कृष्णासामी ने नयाचार सन्नियमों के उल्लंघन तथा लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों का अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मजदूरी की दरों के संशोधन के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'दीर्घावधिक क्रय नीति और कच्चे तेल का रणनीतिक भण्डारण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.08 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री मनसुखभाई डी० वसावा द्वारा गुजरात के भरूच और नर्मदा जिलों में आरक्षित वन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में रेल सेवाओं और सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री ई०जी० सुगावनम द्वारा तमिलनाडु में जोलारपेट-तिरुपथूर-कांडली-बरुगुर-ओरप्पम-कृष्णागिरी-शुलागिरि-होशुर रेल परियोजना के लिए पर्याप्त निधियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री ए०के०एस० विजयन द्वारा तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र के मन्नारगुडी क्षेत्र में प्रस्तावित कोल-बेड मीथेन गैस की खोज को इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर इसके गंभीर दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए निरस्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री चंद्रकांत खैरे द्वारा महाराष्ट्र में औरंगाबाद और दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.09 बजे

12. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली बजट —2014-15

श्री जेसुदासु सीलम ने वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

13. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली)—2013-14

श्री जेसुदासु सीलम ने वर्ष 2013-14 के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराहन 12.35 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने लोक सभा की आगामी चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों पर आदर्श आचार संहिता के संभावित प्रभाव के बारे में निवेदन किया।

श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री एंटी० नाना पाटील, श्री हंसराज गं० अहीर, श्री हरिभाऊ माधव जावले, डॉ० वीरेन्द्र कुमार और श्री एस०एस० रामासुब्बू सहयोजित हुए।

डॉ० फारुख अब्दुल्ला ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.07 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.03 बजे

15. प्रस्ताव

श्री जेसुदासु सीलम ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:—

“कि यह सभा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट के संबंध में चर्चा पर इसके प्रचालन में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 205, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि जिस दिन बजट को सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, को निलंबित करे ताकि बजट को उसी दिन प्रस्तुत किया जा सके और उस पर चर्चा की जा सके।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 2.05 बजे

16. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली बजट—2014-15

लिया गया समय : 10 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा की गई—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के बजट पर सामान्य चर्चा।

*अपराहन 12.09 बजे से अपराहन 1.07 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के मामले उठाए।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के बजट के संबंध में लेखानुदानों की मांग सं० 1 से 13,

(तीन) वर्ष 2013-2014 के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं० 2, 4, 6 और 7 से 11.

श्री जेसुदासु सीलम बोले तथा उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के लिए बजट में अनुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 13 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा, दोनों) वर्ष 2014-2015 के लिए अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अनुदानों की अनुपूरक सभी मांग संख्या 2, 4, 6 और 7 से 11 वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराहन 2.11 बजे

17. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014

18. सरकारी विधेयक—पारित

दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री जेसुदासु सीलम द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री जेसुदासु सीलम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

@अपराहन 2.13 बजे

19. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

दिल्ली विनियोग विधेयक, 2014

20. सरकारी विधेयक—पारित

दिल्ली विनियोग विधेयक, 2014

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री जेसुदासु सीलम द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री जेसुदासु सीलम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 3.32 बजे

21. विदाई संबंधी उल्लेख

निम्नलिखित सदस्यों ने पन्द्रहवीं लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र के दूसरे भाग की समाप्ति पर विदाई संबंधी उल्लेख किए:—

1. श्री सुशीलकुमार शिंदे (सभा के नेता)
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री शरद यादव
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. प्रो० सौगत राय
6. श्री टी० आर० बालू
7. श्री बसुदेव आचार्य

@अपराहन 2.15 बजे से अपराहन 3.32 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री शरद पवार
10. श्री गुरुदास दासगुप्त
11. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
12. श्री ओ० एस्० मणियन
13. श्री शरीफुद्दीन शरिक
14. श्रीमती सुषमा स्वराज (नेता प्रतिपक्ष)
15. डॉ० मनमोहन सिंह (प्रधानमंत्री)

अपराहन 5.24 बजे

22. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराहन 5.26 बजे

(लोक सभा अपराहन 5.26 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

एस्० बाल शेखर,
महासचिव।